

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

National Film Development Corporation Limited
A Government of India Enterprise

2014-15 40वीं
वार्षिक
रिपोर्ट
40th
Annual
Report



राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

40वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

National Film Development Corporation Limited
A Government of India Enterprise

40th Annual Report 2014-15

NFDC
cinemas of india



NFDC Ltd. PRESENTS

കളിയച്ചൻ

Kaliyachan

DIRECTED & SCRIPTED BY FAROOK ABDUL RAHIMAN

PRODUCED BY NFDC - CINEMATOGRAPHY M.J RADHAKRISHNAN - SUPERVISING PRODUCER ROSHAN CHITTUR

MUSIC BIJIBAL LYRICS RAFAQ AHAMMED / RAMANNUNI EDITOR BIJITH BALA ART GIRISH MENON COSTUME SAKHI MAKE-UP SAJI KORATTY
SOUND DESIGN GANESH MARAR / JUSTIN JOSE PRO. CONTROLLER SHAFI CHEMMAD STILLS GIRISANKER DESIGN GABRIEL GEORGE

विषय सूची

Contents

निदेशक मंडल Board of Directors.....	5
हमारे बारे में About us	7
फिल्म निर्माण Film Production.....	9
वितरण Distribution.....	11
प्रमोशन Promotion	13
प्रशिक्षण और विकास Training & Development.....	15
सूचना Notice	16
प्रबन्ध निदेशक की ओर से अंशधारकों को पत्र Managing Director's Letter To Shareholders.....	17
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report.....	18
प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट Management Analysis Report	35
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	40
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance.....	46
दिनांक 31 मार्च 2015 का तुलन पत्र Balance Sheet as at 31st March, 2015.....	47
दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2015	48
दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2015	49
लेखाओं पर टिप्पणियां Notes on Accounts	51
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors Report.....	73
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक Annexure to the Auditors' Report	76
31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, की टिप्पणियां Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(B) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Film Development Corporation Ltd. for the year ended 31st March 2015	78

पंजीकृत कार्यालय मुम्बई

डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, छठी मंजिल,
नेहरू सेंटर, डॉ. अनी बेसेंट रोड,
वरली, मुम्बई - 400 018
सीआईएन यू92100एमएच1975जीओआई022994

Registered Office Mumbai

Discovery of India Building (6th Floor),
Nehru Center, Dr. Annie Beseant Road,
Worli, Mumbai - 400 018
CIN U92100MH1975GOI022994

क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई

पहली मंजिल, को ऑप्टेक्स वेअर हाउस बिल्डिंग,
350, पैंथोन रोड, इगमोर,
चेन्नई - 600 008

Regional Offices Chennai

1st Floor, Co-optex Warehouse Building,
350, Pantheon Road, Egmore
Chennai - 600 008

कोलकाता

आरआयसी इंडस्ट्रियल इस्टेट कम्पाउंड,
उपेन बेनर्जी रोड, पर्नाश्री, बेहाला,
कोलकाता 700 060

Kolkata

R.I.C. Industrial ,Estate Compound,
Upen Banerjee Road, Parnasree,
Behala, Kolkata - 700 060

नई दिल्ली

चौथी मंजिल, सूचना भवन,
फेज - 1, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

New Delhi

4th Floor, Sookhana Bhavan,
Phase I, C.G.o. Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003

शाखा कार्यालय तिरुवनंतपुरम

चित्रांजली स्टूडिओ कॉम्प्लेक्स,
तिरुवनंतपुरम - 695027

Camp office Thiruvananthapuram

Chitrnanjali Studio Complex
Thiruvananthapuram - 695 027

बैंक एच.डी.एफ.सी. बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

इंडियन ओवरसीज बैंक

पंजाब नैशनल बैंक

आयडीबीआई बैंक

यस बैंक

बैंक ऑफ इंडिया

कॉर्पोरेशन बैंक

Bankers H.D.F.C Bank

State Bank of India

State Bank of Travancore

Indian Overseas Bank

Punjab National Bank

IDBI Bank

Yes Bank

Bank of India

Corporation Bank

लेखा परीक्षक मैसर्स सी.बी. छाजेड एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
डीजीपी हाउस, ग्राउंड फ्लोर
88-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुम्बई - 400 025

Auditor M/s C. B. Chhajed & Co.
Chartered Accountants
DGP House, Ground Floor,
88-C, Old Prabhadevi Road,
Mumbai - 400 025

निदेशक मंडल

(31/03/2015 तक)

Board of Directors

(As on 31/03/2015)

पूर्ण कालिक निदेशक Full-time Directors



नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
Nina Lath Gupta
Managing Director



साहब नारायण
निदेशक (वित्त)
Sahab Narain
Director (Finance)

अंशकालिक निदेशक (सरकारी) Part-time Directors (Official)



के. संजय मूर्ति
सरकार द्वारा नामित निदेशक
K. Sanjay Murthy
Government Nominee Director



विनोद कुमार ठकराल
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Vinod Kumar Thakral
Government Nominee Director

परिकल्पना

सिनेमाज ऑफ इंडिया मिशन के प्रति अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सराहना एवं उत्सव भावना की संरचना.

लक्ष्य

एनएफडीसी का उद्देश्य है सिनेमा में उत्कृष्टता एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों के समर्थन तथा प्रोत्साहन के जरिये इसकी विविधतापूर्ण संस्कृति का उन्नयन.

Vision

To create domestic and global appreciation and celebration of the Cinemas of India.

Mission

NFDC aims at fostering excellence in cinema and promoting the diversity of its culture by supporting and encouraging films made in various Indian languages.

हमारे बारे में

वर्ष 1975 में समामेलित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना भारत सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग के सुनियोजित, सुसंबद्ध एवं समग्र विकास जैसे मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की थी।

हाल ही में इसकी सफल फिल्मों में रितेश बात्रा की फिल्म *द लंचबाक्स*, ग्यान कोरिया की *द गुड रोड* आदि सहित एनएफडीसी के कैटेलोग में नामी फिल्मकारों की उल्लेखनीय फिल्मों का समावेश है जिनमें सत्यजित रे की *आगंतुक*, रिचर्ड एटनबरो की *गांधी*, श्याम बेनेगल की *द मेकिंग ऑफ महात्मा*, मीरा नायर की *सलाम बॉम्बे*, राजन खोसा की *डान्स ऑफ द विंड*, कल्पना लाजमी की *रूदाली*, गोविंद निहलानी का *पार्टी*, कुंदन शाह की *जाने भी दो यारों*, आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है।

21 भारतीय भाषाओं में बनी 300 से भी अधिक फिल्मों में एनएफडीसी का एक ही उद्देश्य रहा है- 'सिनेमाज ऑफ इंडिया' मिशन के प्रति अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सराहना एवं उत्सव भावना की संरचना। इसके साथ ही भारतीय फिल्म उद्योग में योजनाबद्ध काम, इसके प्रभावपूर्ण उन्नयन तथा समग्र विकास के साथ अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र फिल्मों की फंडिंग के अतिरिक्त एनएफडीसी नयी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करता है और और सभी भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण, सहनिर्माण, पटकथा विकास तथा आवश्यकता आधारित कार्यशालाओं के माध्यम से भारतीय सिनेमा के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। 17 भारतीय भाषाओं में 30 फिल्म निर्माण/सह निर्माण में शामिल होने तथा 19 नये फिल्मकारों को परिचित कराने के साथ ही एनएफडीसी ने अपने ब्रैंड 'सिनेमाज ऑफ इंडिया' के अंतर्गत 87 टाइटल्स को रीस्टोर तथा 31 को डिजिटाइज्ड किया है। इसके अलावा, हाल ही में 'वीडियो ऑन डिमांड' प्लेटफार्म लॉन्च किया गया है जिसमें 75 से भी अधिक टाइटल्स 'पे पर व्यू', निःशुल्क अथवा 'वीडियो ऑन डिमांड सबस्क्रिप्शन' पर उपलब्ध हैं।

एनएफडीसी गोवा में फिल्म बाजार का आयोजन भी करता है जो संपूर्ण दक्षिण एशिया के सहनिर्माण एवं वितरण का सबसे बड़ा दक्षिण एशियाई ग्लोबल मार्केट है।

About us

Incorporated in the year 1975, National Film Development Corporation Limited (NFDC) was formed by the Government of India with the primary objective of planning, promoting and organizing an integrated and efficient development of the Indian film industry.

While its recent successes include films like *The Lunchbox* by Ritesh Batra, *The Good Road* by Gyan Correa, NFDC boasts of a catalogue of noteworthy films with acclaimed filmmakers like *Agantuk* by Satyajit Ray, *Gandhi* by Richard Attenborough, *The Making of the Mahatma* by Shyam Benegal, *Salaam Bombay* by Mira Nair, *Dance of the Wind* by Rajan Khosa, *Rudaali* by Kalpana Lajmi, *Party* by Govind Nihalani, *Jaane Bhi Do Yaaro* by Kundan Shah amongst many others.

With more than 300 films in 21 regional languages, NFDC's architecture aims towards creating domestic and global appreciation of the Cinemas of India. In addition to planning, promoting and funding independent films in India and international markets, NFDC develops new talent and facilitates the growth of Indian cinema in all languages through productions and co – productions, script development and need – based workshops. Having commissioned 30 productions/co-productions in 17 Indian languages and introduced 19 new filmmakers, NFDC has restored 87 titles and digitised 31 titles under its brand Cinemas of India and recently launched a Video-on-Demand platform currently hosting more than 75 titles available for Free, Pay-Per-View, and Subscription Video-On-Demand.






NFDC also organizes Film Bazaar, South Asia's Global Film Market, in Goa which is the biggest co – production and distribution market for the entire South Asian region.

फिल्म निर्माण

1. एनएफडीसी का फिल्म निर्माण विभाग एनएफडीसी के प्रमुख लक्ष्य नई प्रतिभाओं का विकास एवं नवोदित फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण तथा भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के साथ भागीदारी में अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों के सहनिर्माण के जरिये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य को समर्थन देता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना – विभिन्न क्षेत्रीय/भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण – भारत के संस्कृति के सबसे कल्पनाशील, विविधतापूर्ण एवं ओजस्वी फिल्म संस्कृति का प्रदर्शन करने का साधन है।
2. इस योजना के जरिये 19 नवोदित फिल्म निर्माताओं का समावेश हुआ तथा हिन्दी सहित 14 भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण/ सहनिर्माण किया गया। इस तरह विविध संस्कृतियों के बहु प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं के समुदाय का समर्थन।
3. फिल्म निर्माण के अलावा, एनएफडीसी विभिन्न सरकारी ग्राहकों के लिए विज्ञापन, वृत्तचित्र, लघु फिल्मों टीवी धारावाहिक, वेब विज्ञापनों, रेडिओ श्रृंखला और कथ्यपरक संगीत गान का भी निर्माण करता है जोकि बाद में सरकारी ग्राहकों द्वारा विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किये जाते हैं।

Film Production

1. The Production Department at NFDC supports and drives NFDC's mission to develop new talent and to promote Indian culture through production of films by first time feature filmmakers and through Co-producing good quality films in partnership with Indian and International filmmakers. The successful execution of the 11th & 12th Five Year Plan Schemes of the Ministry of Information & Broadcasting - Film Production in various Regional/Indian languages – is a means to showcase India's most imaginative, diverse and vibrant film culture.
2. 19 first time filmmakers were introduced through the Plan Scheme and films across 14 Indian languages including Hindi, were Produced/Co-produced, thus supporting a community of multitalented filmmakers, across diverse cultures.
3. Apart from production of films, NFDC also produces advertisements, documentaries, short films, TV series, web advertisements, radio series and thematic musical anthems for various Govt. clients, which are subsequently released across various media platforms by the patron.



वितरण

एनएफडीसी में, अपनी स्व निर्माण तथा उन स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं की फिल्मों की पहुँच जो घरेलू बाजार तक सीमित है उन के लिए एक स्थायी व्यवस्था विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है,

वित्तीय वर्ष 2011-12 से नये पुनर्गठित वितरण विभाग ने 'सिनेमाजऑफइंडिया' नामक ब्रैंड लांच किया- जिससे कि पहले तो अपनी फिल्मों के वितरण में सहूलियत हो और आगे चल कर दूसरे चरण में स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को भी इसका लाभ मिल सके.

वितरण के बहुमुखी मंच – 'सिनेमाज ऑफ इंडिया' ब्रैंड के अंतर्गत वर्तमान में निम्न का समावेश है

- होम वीडियो
- थियेटर रिलीज
- सैटेलाइट सिंडिकेशन
- इंटरनेट वीओडी मंच – 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू सिनेमाजऑफइंडिया.कॉम'

देखने के प्रति भुगतान तथा सबस्क्रिप्शन मोडेल, विश्व भर में उपलब्ध

- यू ट्यूब इंटरनेट चैनल

भविष्य में अन्य कई अभिनव मंच किये जाने हैं जैसे कि –

- मोबाइल प्लेटफॉर्म – विभिन्न सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं पर सिनेमाज ऑफ इंडिया चैनल

इसके अतिरिक्त, एनएफडीसी टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल थिएटर्स, वेब, मोबाइल्स एवं पब्लिक एलसीडीज पर 30 से भी अधिक सरकारी ग्राहकों के लिए मीडिया अभियान भी रिलीज करता है जिनमें इंक्रेडिबल इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, नरेगा, कृषि मंत्रालय तथा सीमा शुल्क विभाग आदि शामिल हैं.

Distribution

At NFDC, the focus is to establish a sustainable mechanism for distribution of films in India, both its own productions and also for films of independent filmmakers with limited access to domestic markets.

With effect from FY 2011-12, the newly restructured Distribution Division has launched the brand 'Cinemas of India' to facilitate distribution of its own films, to begin with and subsequently films of independent filmmakers in the second phase.

The Multifaceted Distribution Platform – with products under the brand 'Cinemas of India' currently comprises

- Home Video
- Theatre Releases
- Satellite Syndication
- Internet VOD Platform – 'www.cinemasofindia.com'

a pay-per-view and subscription model, available worldwide.

- YouTube Internet Channel

There are several other innovative platforms in the offing such as –

- Mobile Platforms – Cinemas of India channel across various mobile service providers.

In addition, NFDC releases media campaigns across Television, Radio, Digital Theatres, Web, Mobiles and Public LCDs for more than 30 Government clients including Incredible India, National Rural Health Mission, NREGA, Ministry of Agriculture and Department of Customs etc.



प्रमोशन

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा आयोजित फिल्म बाजार एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय तथा दक्षिण एशियाई फिल्म बिरादरी के बीच सहनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए ही विशेष रूप से विकसित किया गया है।

यह इवेंट फिल्म निर्माण, निर्माण और वितरण के क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई प्रतिभाओं एवं उनकी कृतियों को सामने लाने, प्रोत्साहित करने और प्रदर्शित करने के प्रति केंद्रित है। यह बाजार विश्व भर के फिल्म विक्रेताओं और खरीदारों का मिलनबिंदु है और विश्व सिनेमा की दक्षिण एशियाई क्षेत्र तक विक्री की सुविधा भी प्रदान करता है।

पहली बार फिल्म बाजार 2007 में शुरू हुआ। अब यह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कैलेंडर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग की नियमित गतिविधि बन चुका है। वर्ष 2013 के फिल्म बाजार में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा पोलैंड जैसे सक्षम देशों सहित 36 देशों के 831 से भी अधिक प्रतिनिधि जुड़ चुके थे।

Promotion

Organized by the National Film Development Corporation (NFDC), Film Bazaar is a platform exclusively created to encourage collaboration between the international and South Asian film fraternity.

The Bazaar is focused on discovering, supporting and showcasing South Asian content and talent, in the realm of filmmaking, production and distribution. A converging point for film buyers and sellers from all over the world, the Bazaar also aims at facilitating the sales of world cinema in the South Asian region.

First held in 2007, Film Bazaar has evolved into South Asia's global film market, witnessing an increased South Asian and International participation with every edition. The 2013 market saw an attendance of 831 delegates from 36 countries including dedicated country delegations from Australia, Canada and Poland.



एनएफडीसी लैब्स

लैब्स
मास्टर
क्लासेस

पटकथा लेखन | निर्देशन | सृजनात्मक निर्माण
सम्पादन | सिनेमाटोग्राफी | ध्वनि

NFDC LABS

LABS
MASTER
CLASSES

SCREENWRITING | DIRECTING | CREATIVE PRODUCING
EDITING | CINEMATOGRAPHY | SOUND



प्रशिक्षण और विकास

फिल्म सेक्टर में मिड कैरियर ट्रेनिंग के मौकों और कथ्य को लेकर रिसर्च तथा उसके विकास क्षेत्र के अभाव को देखते हुए इनकी बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए 2012 में प्रशिक्षण तथा विकास विभाग की स्थापना की गई.

एनएफडीसी लैब्स ब्रैंड के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि यह एनएफडीसी की फिल्मों तथा भारतीय फिल्म समुदाय के लिए दो तरह के आउटपुट प्रदान करेगा.

- व्यवसायिक फिल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं – निर्देशन, लेखन, संपादन सिनेमाटोग्राफी तथा फिल्म निर्माण के लिए वर्कशॉप और मास्टर क्लासेस का प्रबंध.
- एनएफडीसी के भीतर ही एक डेवलपमेंट आर्म की व्यवस्था जिससे पटकथा तथा परियोजना विकास में सहायता मिल सके और एनएफडीसी के निर्माण विभाग तथा फिल्म उद्योग को भी निरंतर बेहतरीन प्रोजेक्ट्स तथा पटकथाएं मिलती रह सके.

ट्रेनिंग गतिविधियों में देश के विविध प्रांतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों और समारोहों में जा सकने योग्य क्रमबद्ध लंबे समय तक चलने वाले, पटकथा विकास कार्यक्रम शामिल हैं.

एनएफडीसी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत एविड और एफसीपी डिजिटल नॉन लीनियन एडिटिंग, ऑडिया डबिंग, डिजिटल सिनेमेटोग्राफी, मल्टीमीडिया सबटाइटलिंग आदि में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है.

Training & Development

Given the gap in the area of mid – career training opportunities in the film sector, as also the need for greater focus on research and development in content creation, the Training & Development Division was set up in 2012.

It has been established under the brand NFDC Labs to deliver two outputs for the NFDC & Indian Film community –

- Training for Professional filmmakers, providing workshops and master – classes in core disciplines; Directing, Writing, Editing, Cinematography and Producing.
- Establish a development arm within the NFDC itself to support script and project development to ensure a steady flow of quality projects towards the NFDC production department and towards the Industry at large.

Training activities include long running staged development programmes for scripts in different states across the subcontinent, including international industry immersion programmes in overseas film markets & festivals.

NFDC also conducts various training programmes in Avid & FCP Digital Non – Linear Editing, Audio Dubbing, Digital Cinematography, Multimedia Subtitling, etc., for students under State Government sponsored schemes.

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की 40 वीं सर्वसाधारण सभा बुधवार दि. 30 सितम्बर, 2015 को सुबह 11.00 बजे एनएफडीसी के निदेशक मंडल कक्ष, 7वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ.ए.बी.रोड, वरली, मुम्बई 400 018 में निम्नलिखित विषयों के सम्पादनार्थ होगी :

सामान्य विषय

1. 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि लेख तथा रोकड़ प्रवाह का विवरण, दिनांक 31 मार्च 2015 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा संशोधन सहित या संशोधन रहित निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना.

"संकल्पित है कि दिनांक 31 मार्च 2015 समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2015 समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सहित प्राप्त किये उन पर विचार किया गया तथा पारित की गई."

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 5 सितम्बर 2015

ई.जे. पॉल
कम्पनी सचिव

टिप्पणी
सभा में उपस्थित रह कर मत देने का अधिकार प्राप्त सदस्य अपने स्थान पर मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति कर सकते हैं. परोक्षी कम्पनी का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं.

Notice

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of National Film Development Corporation Limited will be held on Wednesday the 30th September 2015 at 11.00 a.m. in the Board Room of NFDC at 7th Floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018 to transact the business mentioned herein below :

Ordinary Business

1. To read, consider and adopt the Director's Report, Audited Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2015, Balance Sheet as on 31st March 2015 and Auditors' Report and the comments of Comptroller and Auditor General of India thereon and to pass with or without modification the following Resolution as an Ordinary Resolution.

"RESOLVED that the Audited Balance sheet as on 31st March 2015, Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2015 together with the Director's Report and the Auditors Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India are hereby read, considered and adopted."

By Order of the Board of Directors
For National Film Development Corporation Limited

Place : Mumbai
Date : 5th September 2015

E.J. PAUL
Company Secretary

Note

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a member.

प्रबन्ध निदेशक की ओर से अंशधारकों को पत्र

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (एनएफडीसी) के निदेशक मंडल की ओर से मुझे 2014-15 के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

तीन वर्ष तक लगातार लाभ अर्जित करने के बाद (2010-11 से 2012-13) एनएफडीसी को जून 2013 में तब एक बड़ी बाधा आयी जब भारत सरकार ने अपने पब्लिसिटी कैपेन्स के लिए डीएवीपी को एकमात्र एजेंसी घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप एनएफडीसी उन व्यावसायिक लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्य न कर सकी जो कि एनएफडीसी के पुनर्गठन योजना में निर्धारित किये गये थे और जिसे कैबिनेट द्वारा 2010 में अनुमोदित किया गया था। अतः वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 में कंपनी को घाटा उठाना पड़ा।

मुझे अंशधारकों को यह बताने में प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के संरक्षण में एनएफडीसी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैपेन्स के लिए एक एजेंसी के रूप में एक बार फिर से मान्य कर दिया गया है। 30 अप्रैल 2015 को जारी इस नोटिफिकेशन के आधार पर आशा की जाती है कि आगे चलकर एनएफडीसी एक बार फिर लाभ कमाने की स्थिति में आ जायेगी और कंपनी के पुनर्गठन के लिए बनाई गई योजना के अनुरूप उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकेगी।

इस दौरान, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. का प्रयत्न अपनी योजनाओं द्वारा निरंतर भारतीय सिनेमा के संतुलित विकास को प्रश्रय देने का रहा है। हालांकि एनएफडीसी ने जो नयी योजनाएं बनाई थीं उनमें से कुछ को फंड की कमी के कारण स्थगित कर देना पड़ा लेकिन विषय वस्तु और कौशल विकास के लिए एक एजेंसी के तौर पर काम करने तथा फिल्म क्षेत्र के अन्य विभागों की कमियों को दूर करने की इसकी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आयी।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. भारत के बहुभाषी तथा विविधतापूर्ण सिनेमा के संतुलित विकास के लिए नयी प्रतिभाओं की पहली फीचर फिल्म के निर्माण में 100 प्रतिशत सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करने, नयी पटकथाओं को समृद्ध करने, भारतीय तथा विदेशी फिल्मकारों के बीच सहनिर्माण के जरिये बेहतर फिल्म बनाने और इन फिल्मों के लिये घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित के लिए निरंतर रूप से प्रयत्नशील रहा है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हाल की उपलब्धियों के तौर पर *किस्सा* (निर्देशक : अनूप सिंह), *आइलैंड सिटी* (निर्देशक : रुचिका ओबेरोय), *फिग फ्रूट एण्ड वास्प्स* (निर्देशक : प्रकाश बाबू) तथा *मांझी द माउंटेन मैन* (निर्देशक : केतन मेहता) का नाम लिया जा सकता है। इनके साथ ही राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के विकास तथा उन्नयन प्रयत्नों संबंधी नये कदम इसके फ्लैगशिप इवेंट फिल्म बाजार में परिलक्षित हुए हैं जिसके जरिये ऐसी फिल्में उभर कर सामने आ सकीं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त की जैसे *तिथी*, *फॉर द लव ऑफ अ मैन*, *नील बट्टे सन्नाटा* (द न्यू क्लासमेट), *तितली*, *मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ* और *किला*।

भविष्य की योजनाओं में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. का प्रयत्न मुंबई में एक फिल्म कल्चरल सेंटर स्थापित करने का है। इस केंद्र में फिल्मों के प्रति आकर्षित युवाओं और स्थानीय निवासियों को फिल्मों दिखाने, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, रिसर्च मटेरियल और फिल्म बिरादरी के बीच विचारों के आदान प्रदान की सुविधाएं प्राप्त होंगी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. का यह दृढ़ विश्वास है कि मुंबई का अपने किस्म का यह अलग फिल्म सेंटर फिल्म संबंधी कला सौन्दर्य, इतिहास और तकनीक की गहरी समझ पैदा करने में सहायक होगा।

बोर्ड के निदेशकों तथा निगम के सभी अधिकारियों की ओर से मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली तथा सूचना एवं प्रसारण के राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूं जिनसे हमें अतीव सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। मैं श्री बिमल जुल्का द्वारा कंपनी की कार्यप्रणाली के प्रति दर्शाए गये विश्वास के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं।

मैं बोर्ड के अपने सभी सम्माननीय साथियों, एनएफडीसी के सभी कर्मचारियों एवं कंपनी के स्टैकहोल्डर्स को उनसे द्वारा निगम को दिये गये बहुमूल्य सहयोग तथा सहायता के लिये धन्यवाद देती हूं।

नीना लाठ गुप्ता
प्रबंध निदेशक

Managing Director's Letter to Shareholders

On behalf of the Board of Directors of the National Film Development Corporation Ltd. (NFDC), I am happy to present a report on NFDC for the year 2014-15.

After three years of recurring profitability (2010-11 to 2012-13), NFDC suffered a setback when DAVP was made the sole agency for executing publicity campaigns of the Government of India in June 2013. As a result, unable to operate as per the business verticals laid down in the Restructuring Plan of NFDC that was approved by the Cabinet in 2010, NFDC has suffered losses in FYs 2013-14 and 2014-15.

It gives me great pleasure to inform the shareholders that under the aegis of Shri Arun Jaitley, Union Minister of Information & Broadcasting, Government of India, and Shri Rajyawardhan Singh Rathore, Union Minister of State for Information & Broadcasting, NFDC has once again been notified as an agency to execute electronic media campaigns of the Government of India. Given this notification, issued on April 30, 2015, it is expected that going forward, NFDC shall once again be able to function as a profitable entity and resume the path of growth that was envisaged in the Restructuring Plan of the company.

In the meanwhile, NFDC continues with its plans to serve the film industry as an institution for development initiatives. While some of the initiatives that were planned by NFDC had to be kept in abeyance for lack of funds, its commitment to serving as an agency for content and skill development, as also for addressing lacunae in other segments of the film sector stands.

NFDC has continuously endeavoured to encourage a balanced growth of India's multi-lingual and diverse cinema by encouraging new talent and undertaking 100% production of the first feature film of debutant directors, developing new scripts, co-producing good quality films in partnership with Indian and foreign filmmakers, and creating domestic and international markets to promote these films. Recent successes in terms of film production have included *Qissa* (dir. Anup Singh), *Island City* (dir. Ruchika Oberoi), *Fig Fruit and Wasps* (dir. Prakash Babu), and *Manjhi The Mountain Man* (dir. Ketan Mehta). In addition, NFDC's development and promotion initiatives, carried out in its flagship event Film Bazaar, have resulted in the emergence of noteworthy films that have won international acclaim, including *Tithi*, *For the Love of a Man*, *Neel Batte Sannatta* (The New Classmate), *Titli*, *Margarita with a Straw*, and *Killa*.

In the offing, NFDC intends to set up a Film Cultural Centre in Mumbai. This Centre would be a place where film screenings, workshops, lectures, research material, and interactions with the film fraternity can be offered to cine lovers, youth and local residents. NFDC strongly believes that a unique Film Centre in Mumbai will encourage a deeper understanding and appreciation of the art, aesthetics, history and technology of filming.

On behalf of the Board of Directors and all officials of the Company, I would like to convey my sincere gratitude to the Hon'ble Union Minister for Information & Broadcasting, Shri Arun Jaitley, and to the Hon'ble Union Minister of State for Information & Broadcasting, Shri Rajyavaradhan Rathore for the immense support and guidance received from them. I am also deeply grateful to Shri Bimal Julka for his unstinting faith and trust in the functioning of the company.

I would also like to express my thanks and appreciation to my esteemed colleagues on the Board and to all employees of NFDC, as also to the other stakeholders of the Company for their valuable support and cooperation to the Company.

Nina Lath Gupta
Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

अंशधारकों,

निगम के निदेशकों को 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी के लेखा परीक्षित लेखों के साथ अपनी 40वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. निष्पादन की विशिष्टताएं

क) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये कंपनी की निष्पादन विशिष्टताएं वित्तीय वर्ष 2013-14, वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2011-12 वित्तीय के मुकाबले इस प्रकार रहीं :

मापदण्ड	Parameters	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
सकल राजस्व	Gross Revenues	3463	12693	25124	25571
सकल अतिरिक्त राशि (ई बी आई डी टी ए)	Gross Margin (EBIDTA)	(603)	(116)	953	587
कर पूर्व लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) before Tax	(856)	(321)	831	408
कुल लागत	Net Worth	1033	1957	2278	1643

ख) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रिवाइवल प्लान लागू होने के बाद 2010-11 में कंपनी के रीकंस्ट्रक्शन के बाद, एन एफ डी सी पिछले तीन वर्षों में लाभ कमाता आ रहा था। बी आर पी एस ई से अक्टूबर 2013 में इसे टर्नअराउंड पुरस्कार भी प्रदान किया गया। जून 2013 में (वित्त वर्ष 2013-14) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नीति में परिवर्तन कर दिया और डी ए वी पी को केंद्र सरकार के सभी मीडिया कैम्पेन की एकमात्र एजेंसी बना दिया। इस फैसले का कंपनी के टर्नओवर और लाभ में विपरीत असर पड़ा। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या.1/9/2009-एमयूसी दिनांक 30 अप्रैल 2015 द्वारा एनएफडीसी को केंद्र सरकार के विज्ञापन रिलीज करने वाली एक एजेंसी के तौर पर पुनः शामिल कर लिया जिससे एन एफ डी सी 2010 में अनुमोदित रिवाइवल प्लान के बिजनेस मॉडल के अनुरूप काम कर सके। आशा है कि इससे कंपनी विकास और लाभ की राह पर पुनः अग्रसर हो सकेगी।

ग) लाभांश

31 मार्च 2015 को संचित तथा आगे लाये गये ₹ 3509.53 लाख के नुकसान तथा वित्त वर्ष 2014-15 में हुए घाटे को देखते हुए 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये लाभांश की संस्तुति नहीं की जा रही है।

2. वित्तीय समीक्षा

क) वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप नीचे दिया जा रहा है :

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
सकल आय	Gross Income	3462.56	12,693.31
ई बी आई डी टी ए	EBIDTA	(602.73)	(116.50)
वित्तीय खर्च	Financial Expenses	48.98	8.58
मूल्यहास	Depreciation	182.28	84.88
कर पूर्व लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) Before Tax	(856.38)	(320.64)
कर के लिये प्रावधान	Provision for Tax, etc.	62.99	Nil
करों के बाद लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) After Tax	(919.37)	(320.64)
घटाएं : लाभ/हानि आगे लाया गया	Less: Profit/(loss) Brought forward	(2585.14)	(2264.49)
प्रारंभिक प्रतिधारित आय के सामने समायोजित मूल्य-हास	Depreciation adjusted against opening retained earnings	(5.03)	
तुलनपत्र पर ले जाये गये शेष	Balance Carried to Balance Sheet	(3509.53)	(2585.14)

Directors' Report

To,

The Shareholders

The Directors have pleasure in presenting the Fortieth Annual Report together with Audited accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2015.

1. Performance Highlights

a) The highlights of performance of the company for the Financial Year 2014-15 as against the performance in FY 2013-14, FY 2012-13 and FY 2011-12 are as under :

रुपये लाख में
₹ in Lakhs

b) NFDC had been making profits in immediate three years following the restructuring of the company in 2010-11, as per the Revival Plan approved by the Government of India, earning a Turnaround award from the BRPSE in October 2013. In June 2013 (FY 2013-14), the Ministry of Information & Broadcasting amended the Electronic Media Policy making DAVP the sole agency to execute media campaigns for the Central Government. This decision adversely affected the profitability and turnover of the company. The Ministry of Information and Broadcasting vide letter No.1/9/2009-MUC dated 30 April 2015 has now again included NFDC as an agency to release advertisements on behalf of the Central Government, enabling NFDC to function as per the business model envisaged in the Revival plan approved in 2010. It is hoped that going forward, this would enable the company to resume its trajectory of growth and profitability.

c) Dividend

Due to accumulated and carried forward losses of ₹ 3509.53 Lakhs as on March 31, 2015, as also losses for FY 2014-15, payment of dividend is not recommended for the year ended March 31, 2015.

2. Financial Review

a) Summary of Financial Results

The summary of financial results of the company for the year ended March 31, 2015 is given below :

रुपये लाख में
₹ in Lakhs

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
सकल आय	Gross Income	3462.56	12,693.31
ई बी आई डी टी ए	EBIDTA	(602.73)	(116.50)
वित्तीय खर्च	Financial Expenses	48.98	8.58
मूल्यहास	Depreciation	182.28	84.88
कर पूर्व लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) Before Tax	(856.38)	(320.64)
कर के लिये प्रावधान	Provision for Tax, etc.	62.99	Nil
करों के बाद लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) After Tax	(919.37)	(320.64)
घटाएं : लाभ/हानि आगे लाया गया	Less: Profit/(loss) Brought forward	(2585.14)	(2264.49)
प्रारंभिक प्रतिधारित आय के सामने समायोजित मूल्य-हास	Depreciation adjusted against opening retained earnings	(5.03)	
तुलनपत्र पर ले जाये गये शेष	Balance Carried to Balance Sheet	(3509.53)	(2585.14)

ख) अभिवृद्धि

वित्त वर्ष 2014-15 में कंपनी ने ₹ 3462.56 लाख का टर्नओवर प्राप्त किया जो पिछले वर्षों में प्राप्त टर्नओवर के समनुरूप नहीं है। सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नीति पर अमल करने के लिए डीएवीपी को एकमात्र एजेंसी के रूप में जून 2013, में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का कंपनी के सभी क्षेत्रों के क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिससे टर्नओवर और लाभप्रदता में तीव्र गिरावट हुई।

ग) सकल स्वामित्व

31 मार्च 2015 को कंपनी का सकल स्वामित्व ₹ 1032.78 लाख का था। (पिछले वर्ष: ₹ 1957.18 लाख)।

घ) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा निर्गामी व्यय संबंधी विवरण

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा निर्गामी व्यय का विवरण जो समीक्षा के अंतर्गत है, का विवरण वार्षिक लेख के लेखा पार्ट - टिप्पणी नं. 46 में दिया गया है। विदेशी मुद्रा में आय ₹ 200.52 लाख की है जबकि पिछले वर्ष यही आय ₹ 227.73 लाख थी। विदेशी मुद्रा में व्यय ₹ 92.40 लाख हुआ। (पिछले वर्ष व्यय: ₹ 421.20 लाख)।

b) Growth

In the financial year 2014-15, the company achieved a turnover of ₹ 3462.56 Lakhs which is not consistent with the turnover achieved in the earlier year. The notification of DAVP in June 2013 by the Ministry of Information & Broadcasting as the sole agency to execute the Electronic Media Advertisement Policy of the Government adversely affected the working of the company across all realms of its functioning, causing an acute decline in turnover and profitability.

c) Net Worth

The net worth of the company stands at ₹ 1032.78 Lakhs as on March 31, 2015 (Previous year ₹ 1957.18 Lakhs)

d) Particulars regarding conservation of Foreign Exchange Earnings and Outgo

The particulars regarding foreign exchange outgo during the year under review are given in note no. 46 to Notes on Accounts forming part of the Annual Accounts. Earnings in foreign exchange are ₹ 200.52 Lakhs against ₹ 227.73 Lakhs in the previous year and expenditure in foreign currency is ₹ 92.40. Lakhs (previous year ₹ 421.20 Lakhs)

3. वार्षिक रिटर्न का सारांश 31मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुसार

कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 92(3) तथा कंपनीज (मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन) 2014 के नियम 12 (1) के अनुरूप

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

- सी आई एन : यू 92100एमएच1975जीओआई 022994
- पंजीकरण की तारीख: 01/05/1975
- कंपनी का नाम : नैशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
- कंपनी का वर्ग/उपवर्ग : सरकारी कंपनी
- कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस तथा संपर्क का विवरण
डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 6ठी मंजिल, नेहरू सेंटर, डॉ. ऐनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई 400018, महाराष्ट्र
टेलीफोन : 022-24945336
- क्या कंपनी लिस्टेड है? : नहीं
- यदि रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है तो उसका नाम, पता तथा संपर्क संबंधी विवरण : शून्य

II. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां

- कंपनी की कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या इससे अधिक जिन व्यापारिक गतिविधियों के प्राप्त होता है, उनका विवरण इस प्रकार है :

	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद अथवा सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के सकल उत्पाद का प्रतिशत
1	फिल्मों का वितरण		11
2	फिल्म निर्माण		59
3	सेवा प्रोजेक्ट्स		10

III. स्वामित्व, सहायक नियंत्रित कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण

	कंपनी का नाम तथा पता	सीआईएन/ जी एन एन	स्वामित्व/ नियंत्रित	शेयर्स का	लागू सेक्शन
1	शून्य				
2	शून्य				

3. Extract of Annual Return as on the Financial Year Ended on March 31, 2015

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. Registration and other details :

- CIN : U92100MH1975GOI022994
- Registration Date: 01/05/1975
- Name of the Company: National Film Development Corporation Ltd.
- Category/Sub-Category of the Company: Government Company
- Address of the Registered office and contact details:
Discovery of India Building, 6th Floor, Nehru Centre
Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, Maharashtra
Tel : 022-24945336
- Whether listed company: No
- Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any : Nil

II. Principal Business Activities of the Company

- All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated :

	Name and Description of main products/services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1	Distribution of Films		11
2	Film Production		59
3	Service Projects		10

III. Particulars of Holding, Subsidiary and Associate Companies

	Name and address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	Nil				
2	Nil				

IV. अंशधारण का पैटर्न : इक्विटी शेयर, कैपिटल ब्रेक अप (जैसे कुल इक्विटी का प्रतिशत)

(i) श्रेणी के अनुसार अंशधारण

IV. Share Holding Pattern (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

अंशधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का
		डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर्स का	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर्स का	
		No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
		Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
क. प्रमोटर	A. Promoters									
(1) भारतीय	(1) Indian									
क) व्यक्तिगत/हिंदू अविभाजित परिवार	a) Individual/HUF	-	2	2	-	-	2	2	-	Nil
ख) केंद्र सरकार	b) Central Govt.	-	45,39,983	45,39,983	100	-	45,39,983	45,39,983	100	Nil
ग) राज्य सरकार	c) State Govt.(s)									
घ) निकायों निगमों	d) Bodies Corp.									
ड) बैंक/वित्तीय संस्थानों	e) Banks/FI									
च) अन्य	f) Any Other....									
उप-योग (क)(1)	Sub-total (A)(1)	-	45,39,985	45,39,985	100	-	45,39,985	45,39,985	100	Nil
(2) विदेशी	(2) Foreign									
क) अनिवासी भारतीय व्यक्तिगण	a) NRIs – Individuals									
ख) अन्य व्यक्तिगण	b) Other – Individuals									
ग) निकायों निगमों	c) Bodies Corp.									
घ) बैंक/वित्तीय संस्थानों	d) Banks/FI									
ड) अन्य	e) Any Other....									
उप-योग (क)(2)	Sub-total (A)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटर की कुल शेयर भागीदारी (क)=(क)(1) + (क)(2)	Total shareholding of Promoter (A)=(A)(1) + (A)(2)	-	45,39,985	45,39,985	100	-	45,39,985	45,39,985	100	Nil
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग	B. Public Shareholding									
(1) संस्थाएं	(1) Institutions									
क) म्यूचुअल फंड्स	a) Mutual Funds									
ख) बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स	b) Banks/FI									
ग) केंद्र सरकार	c) Central Govt.									
घ) राज्य सरकार	d) State Govt(s)									
ड) उद्यम पूंजी निधियों	e) Venture Capital Funds									
च) बीमा कंपनियां	f) Insurance Companies									
छ) एफ आई आई	g) FIIs									

ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियों	h) Foreign Venture Capital Funds										
झ) अन्य (उल्लेख कीजिए)	i) Others (specify)										
सब टोटल (ख)(1)	Sub-total (B)(1)										
2. गैर संस्थागत	2. Non-Institutions										
क) कॉर्पोरेट बॉडीज	a) Bodies Corp.										
(i) भारतीय	(i) Indian										
(ii) विदेशी	(ii) Overseas										
ख) व्यक्तिगत	b) Individuals										
(i) व्यक्तिगत शेयरहोल्डर्स जिनके पास मात्र ₹ 1 लाख तक की शेयर कैपिटल है.	(i) Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹ 1 lakh										
(ii) व्यक्तिगत शेयरहोल्डर्स जिनके पास मात्र ₹ 1 लाख से अधिक की शेयर कैपिटल है.	(ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh										
ग) अन्य (उल्लेख कीजिए)	c) Others (specify)										
उप-योग (ख) (2)	Sub-total (B)(2)										
कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)										
ग. कस्टोडियन द्वारा जी डी आर तथा एडीआर के लिए रखे गये शेयर्स	C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs										
कुल योग (क+ख+ग)	Grand Total (A+B+C)	-	45,39,985	45,39,985	100	-	45,39,985	45,39,985	100	Nil	

(ii) प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग

	शेयर शेयरहोल्डर शेयरहोल्डर्स/का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग्स में परिवर्तन का
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का	कुल शेयर्स में से गिरवी रखे गये/ भारग्रस्त शेयरों का	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का	कुल शेयर्स में से गिरवी रखे गये/ भारग्रस्त शेयरों का	
1	भारत के राष्ट्रपति	45,39,983	100	शून्य	45,39,983	100	शून्य	शून्य
2	प्रबन्ध निदेशक	1	-	शून्य	1	-	शून्य	शून्य
3	संयुक्त सचिव (फिल्म्स)	1	-	शून्य	1	-	शून्य	शून्य
	योग	45,39,985	100	शून्य	45,39,985	100	शून्य	शून्य

(ii) Shareholding of promoters

Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			% change in share holding during the year
	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1 President of India	45,39,983	100	Nil	45,39,983	100	Nil	Nil
2 Managing Director	1	-	Nil	1	-	Nil	Nil
3 Joint Secretary (Films)	1	-	Nil	1	-	Nil	Nil
Total	45,39,985	100	Nil	45,39,985	100	Nil	Nil

(iii) प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग्स में हुए परिवर्तन (यदि परिवर्तन न हुआ हो तो वैसा उल्लेख करें)

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का
वर्ष के प्रारंभ में	45,39,985	100	45,39,985	100
निर्दिष्ट वर्षों में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग्स में हुई वृद्धि अथवा कमी का तिथि वार विवरण जिसमें वृद्धि अथवा कमी के कारण भी दिए गए हों (जैसे अलॉटमेंट/ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि).	कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष के अंत में	45,39,985	100	45,39,985	100

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
At the beginning of the year	45,39,985	100	45,39,985	100
Date wise Increase/Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc.)	No change			
At the End of the year	45,39,985	100	45,39,985	100

(iv) सबसे ऊपर के दस शेयरहोल्डर्स की शेयरहोल्डिंग्स का पैटर्न (निदेशक, प्रमोटर्स और जी डी आर तथा ए डी आर को छोड़ कर).

सबसे ऊपर के दस शेयरहोल्डर्स के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का
वर्ष के प्रारंभ में				
निर्दिष्ट वर्षों में शेयरहोल्डिंग्स में हुई वृद्धि अथवा कमी का तिथि वार विवरण जिसमें वृद्धि अथवा कमी के कारण भी दिए गए हों (जैसे अलॉटमेंट/ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि).				
वर्ष के अंत में (अथवा सेपरेशन की तिथि पर, यदि सेपरेशन वर्ष के दौरान हुआ हो).				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
At the beginning of the year				
Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc.)				
At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) निदेशकों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग

हर निदेशक अथवा/एवं के पी एम के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का
वर्ष के प्रारंभ में	2	—	2	—
निर्दिष्ट वर्षों में शेयरहोल्डिंग्स में हुई वृद्धि अथवा कमी का तिथि वार विवरण जिसमें वृद्धि अथवा कमी के कारण भी दिए गए हों (जैसे अलॉटमेंट/ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि).				
वर्ष के अंत में	2	—	2	—

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
At the beginning of the year	2	–	2	–
Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc.)				
At the End of the year	2	–	2	–

V. ऋणग्रस्तता

(i) ब्याज के बकाया/इकट्ठा किंतु भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं को छोड़ कर संरक्षित ऋण	असंरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तवर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
1) मूल राशि	107,49,066			107,49,066
2) देय ब्याज लेकिन जो अदा नहीं किया गया.	–			–
3) अदा न किया जाने वाला जमा ब्याज	108,387			108,387
योग (1+2+3)	108,57,453			108,57,453
वित्तवर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वृद्धि	154,67,334			154,67,334
कमी	40,38,456			40,38,456
कुल परिवर्तन	114,28,878			114,28,878
वित्तवर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
1) मूल राशि	221,77,944			221,77,944
2) देय ब्याज लेकिन जो अदा नहीं किया गया.	8,73,921			8,73,921
3) उपार्जित व्याज लेकिन देय नहीं	2,99,834			2,99,834
योग (1+2+3)	233,51,699			233,51,699

V. Indebtedness

(i) Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	107,49,066			107,49,066
ii) Interest due but not paid	–			–
iii) Interest accrued but not due	108,387			108,387
Total (i+ii+iii)	108,57,453			108,57,453
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	154,67,334			154,67,334
• Reduction	40,38,456			40,38,456
Net Change	114,28,878			114,28,878
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	221,77,944			221,77,944
ii) Interest due but not paid	8,73,921			8,73,921
iii) Interest accrued but not due	2,99,834			2,99,834
Total (i+ii+iii)	233,51,699			233,51,699

VI. निदेशकों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधक कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक :

	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
	नीना लाठ गुप्ता	साहब नारायण	
1. कुल वेतन			
(क) आयकर अधिनियम 1961 के उपनियम 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन.	19,88,889	17,93,391	37,82,280
(ख) आयकर अधिनियम 1961 के उपनियम 17(2) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुलाभों की कीमत	1,78,430	1,62,647	3,41,077
(ग) आयकर अधिनियम 1961 के उपनियम 17(3) के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन के बदले में मिलने वाले लाभ वाले			
2. स्टॉक विकल्प	—	—	—
3. स्वेट इक्विटी	—	—	—
4. कमीशन			
लाभांश का प्रतिशत			
अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—	—
5. अन्य (कृपया उल्लेख करें)	—	—	—
कुल (क)	21,67,319	19,56,038	41,23,357
अधिनियम के अंतर्गत सीमा	—	—	—

VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

A) Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager :

Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager		Total Amount
	Nina Lath Gupta	Sahab Narain	
1. Gross salary			
(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	19,88,889	17,93,391	37,82,280
(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	1,78,430	1,62,647	3,41,077
(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961			
2. Stock Option	—	—	—
3. Sweat Equity	—	—	—
4. Commission			
as % of profit			
others, specify...	—	—	—
5. Others, please specify	—	—	—
Total (A)	21,67,319	19,56,038	41,23,357
Ceiling as per the Act	—	—	—

ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
	—	—	—	—	
3. स्वतंत्र निदेशकों					
• बैठकों में शामिल होने के लिए फीस					
• कमीशन					
• अन्य (कृपया उल्लेख करें)					
कुल (1)					
क. अन्य गैर कार्यकारी निदेशकों					
• बैठकों में शामिल होने के लिए फीस					
• कमीशन					
• अन्य (कृपया उल्लेख करें)					
योग (2)					
योग (ख)=(1+2)					
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
अधिनियम के अंतर्गत समग्र सीमा					

B) Remuneration to other Directors

Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
	—	—	—	—	
3. Independent Directors					
• Fee for attending Board committee meetings					
• Commission					
• Others, please specify					
Total (1)					
A. Other Non-Executive Directors					
• Fee for attending Board committee meetings					
• Commission					
• Others, please specify					
Total (2)					
Total (B)=(1+2)					
Total Managerial Remuneration					
Overall Ceiling as per the Act					

ग) महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक, प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़ कर)

पारिश्रमिक का विवरण	महत्वपूर्ण प्रबंधक कर्मचारी			
	सीईओ	कंपनी सेक्रेटरी	सी एफ ओ	कुल
1. कुल वेतन				
(क) आयकर अधिनियम 1961 के उपनियम 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन.		12,93,428		12,93,428
(ख) आयकर अधिनियम 1961 के उपनियम 17(2) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुलाभों की कीमत		1,02,321		1,02,321
(ग) आयकर अधिनियम 1961 के उपनियम 17(3) के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन के बदले में मिलने वाले लाभ वाले				
2. स्टॉक विकल्प				
3. स्वेट इक्विटी				
4. कमीशन				
– लाभान्श का प्रतिशत				
– अन्य (निर्दिष्ट करें)				
5. अन्य (कृपया उल्लेख कीजिये)				
योग		13,95,749		13,95,749

C) Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
	CEO	Company Secretary	CFO	Total
1. Gross salary				
(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961		12,93,428		12,93,428
(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961		1,02,321		1,02,321
(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961				
2. Stock Option				
3. Sweat Equity				
4. Commission				
– as % of profit				
– others, specify...				
5. Others, please specify				
Total		13,95,749		13,95,749

VII. जुर्माना/सजा/अपराधों का समाधान

श्रेणी	कंपनी अधिनियम का उपनियम	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/सजा/पर लगाई गई फीस	प्राधिकरण (आर डी/एन सी एल टी/न्यायालय)	अगर की गई हो तो अपील का विवरण
क. कंपनी					
जुर्माना			शून्य		
सजा			शून्य		
अपराधों का समाधान			शून्य		
ख. निदेशकों					
जुर्माना			शून्य		
सजा			शून्य		
अपराधों का समाधान			शून्य		
ग. अन्य बकायेदार अधिकारी					
जुर्माना			शून्य		
सजा			शून्य		
अपराधों का समाधान			शून्य		

VII. Penalties/Punishment/Compounding of Offences

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ COURT)	Appeal made, if any (give details)
A. Company					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
B. Directors					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
C. Other Officers In Default					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		

4. निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (क) के अंतर्गत यह पुष्ट किया जाता है कि :

- 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए समय के हिसाब किताब का वार्षिक लेखा तैयार करने में हिसाब किताब के वही मानदंड अपनाये गये हैं जो आमतौर पर अपनाये जाते हैं. साथ में वित्तीय विवरणों से संबंधित आवश्यक स्पष्टीकरण भी दे दिये गये हैं.
- हिसाब किताब के संबंध में उन्हीं नीतियों का चुनाव किया गया तथा सुसंगत रूप में लागू किया और अनुमान एवं निर्णय लिये गये जो सही तथा तथ्यपरक हैं, जो कंपनी के मामलों का सही और सच्चा विवरण देने में समर्थ हैं, कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और लाभ अथवा हानि का सही और सच्चा विवरण देते हैं.
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की अनियमितताओं तथा जालसाजी आदि को रोकने के लिये लेखे जोखे का रिकॉर्ड कम्पनी अधिनियम 2013 की प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त रूप से रखा गया है और इसकी देखभाल के लिये पर्याप्त इंतजाम किये हैं.
- वार्षिक लेखे जोखे का विवरण संचालित संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है.
- सभी लागू नियमों के प्रावधानों का भली भांति अनुपालन करने के लिए समुचित कार्यप्रणाली विकसित कर ली गई है और यह कार्यप्रणाली पर्याप्त रूप से प्रभावशाली है.

5. कंपनी की गतिविधियां

फिल्म निर्माण – फीचर तथा गैर फीचर

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण शीर्षक के अंतर्गत फिल्म निर्माण विभाग ऐसी फिल्मों का निर्माण अथवा सहनिर्माण करता है जो भारत के सिनेमा को प्रतिबिंबित करती हों. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. फिल्मों का निर्माण अथवा सहनिर्माण फिल्म निर्माण के दिशा निर्देशों के अंतर्गत करता है.

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान एनएफडीसी ने निम्न फिल्में बनाई अथवा पूरी की जिनमें से दो पहली बार निर्देशन कर रहे फिल्मकारों द्वारा बनाई गई हैं :

फिल्म का नाम	भाषा	निर्देशक	श्रेणी
अट्टीहन्नु मट्टु कनाजा (फिग फ्रूट एण्ड वास्प)	कन्नड़	एम एस प्रकाश बाबू	सह निर्माण
अरुणोदय	मराठी	पार्थो सेन गुप्ता	सह निर्माण
चौरंगा	खोर्था/हिंदी	विकास मिश्रा	सह निर्माण

4. Directors' Responsibility Statement

Pursuant to Section 134 (c) of the Companies Act, 2013, it is hereby confirmed that :

- In the preparation of the Annual Accounts for the period ended March 31, 2015, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanation relating to material departures.
- Such accounting policies are selected and applied consistently, and judgments and estimates made that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year, and of the profit or loss of the company for that period.
- Proper and sufficient care is taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company, and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- Proper systems has been devised to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

5. Activities of the Company

Film Production – feature and non-feature

The company executes the 12th Five Year Plan Scheme of the Ministry of Information and Broadcasting titled "Production of films in various Indian languages", as per which films are produced/co-produced by NFDC as per its extant bye-laws for film production.

During the period FY 2014-15, NFDC produced/completed the following films, of which two were directed by debutant filmmakers :

Film Name	Language	Director	Category
Attihannu Mattu Kanaja (Fig Fruit & Wasps)	Kannada	MS Prakash Babu	Co-production
Arunoday	Marathi	Partho Sen Gupta	Co-production
Chauranga	Khortha/Hindi	Bikas Mishra	Co-production

एनएफडीसी ने रबींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2014-15 के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनवाई गई निम्न फिल्में पूरी की :

NFDC has also completed the following feature film/short film towards commemoration of 150 Birth Anniversary of Rabindranath Tagore on behalf of the Ministry of Culture during year 2014-15 :

फिल्म/लघुफिल्म का नाम	भाषा	निर्देशक	श्रेणी
शेशेर कोबिता	बंगाली	सुमन मुखोपाध्याय	कार्यकारी निर्माता एनएफडीसी निर्माता संस्कृति मंत्रालय
द लाइट हाउस, द ओशन एण्ड द सी	बंगाली	अशोक विश्वनाथन	कार्यकारी निर्माता एन एफ डी सी निर्माता संस्कृति मंत्रालय

Film/Short film Name	Language	Director	Category
Shesher Kobita	Bengali	Suman Mukhopadhyay	Executive Producer NFDC Producer Ministry of Culture
The Light House, The Ocean and The Sea	Bengali	Ashoke Viswanathan	Executive Producer NFDC Producer Ministry of Culture

एनएफडीसी द्वारा अप्रैल 2014 तथा मार्च 2015 के बीच निर्मित/सहनिर्मित, बेजोड़ उपलब्धियाँ वाली कुछ फीचर फिल्में

Some of the outstanding achievements of the feature films produced/co-produced by NFDC between April 2014 and March 2015 are enumerated below

1. बिकास मिश्रा द्वारा निर्देशित चौरंगा को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए :

- सर्वश्रेष्ठ फिल्म (इंडिया गोल्ड) मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2014 में
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म (जूरी ग्रैंड प्राइज) इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजीलीस, 2015
- न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2015 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित
- इनक्रेडिबल इंडिया अवॉर्ड : सर्वश्रेष्ठ सहनिर्माण प्रोजेक्ट फिल्म बाजार
- गोटबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, स्वीडन में पटकथा विकास पुरस्कार विजेता तथा निम्न समारोह में प्रविष्टि की गई
- मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2014 (वर्ग : इंडिया गोल्ड 2014)
- दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 2014 (वर्ग : सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड)
- इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजीलीस, 2015 (वर्ग : फीचर प्रतियोगिता)
- न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2015 (वर्ग : फीचर प्रतियोगिता)

1. Chauranga directed by Bikas Mishra, received the following awards :

- Best Film (India Gold) at Mumbai Film Festival, 2014
- Best Film (Jury Grand Prize) at Indian Film Festival of Los Angeles, 2015
- Nominated for Best Screenplay at New York Indian Film Festival, 2015
- Incredible India Award – Best Co-production project, Film Bazaar
- Winner Script Development Award from Goteborg International Film Festival, Sweden and was entered in the following festivals -
- Mumbai Film Festival, 2014 (Section: India Gold 2014)
- Dubai International Film Festival, 2014 (Section - Cinema of the world)
- Indian Film Festival of Los Angeles, 2015 (Section -Feature competition)
- New York Indian Film Festival, 2015 (Section - Feature Competition)



चौरंगा | बिकास मिश्रा | खोर्था/हिंदी
Chauranga | Bikas Mishra | Khortha/Hindi



अरुणोदय | पार्थो सेनगुप्ता | मराठी
Arunoday | Partho Sen Gupta | Marathi

2. पार्थो सेन गुप्ता द्वारा निर्देशित अरुणोदय को इमेजिन एम्सटर्डम फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का ब्लैक ट्यूलिप अवॉर्ड प्रदान किया गया। यह फिल्म निम्नांकित फेस्टिवल्स में दिखाई गई :
 - बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 2014 (इंटरनेशनल प्रीमियर – न्यू करेंट्स)
 - मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 2014 (इंडियन गोल्ड कंपीटीशन)
 - धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल, 2014
 - द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स, जेनेवा-2015 (प्रतियोगिता)
 - विलनियस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लिथुआनिया, 2015 (यंग ब्लड कंपीटीशन)
 - बेयून थ्रिलर फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस – 2015 (यंग ब्लड कंपीटीशन)
 - इमेजिन-एम्सटर्डम फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल, – 2015 (फैंटेसी सेक्शन)
 - ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क – 2015 (व्यू पॉइंट सेक्शन), इसे '15 कांट मिस' (विदेशी भाषा की फिल्मों) के अंतर्गत किया गया।
3. एम एस प्रकाश बाबू द्वारा निर्देशित फिल्म अट्टीहन्नू मट्टू कनाजा (फिग फ्रूट एण्ड व्हास्प) (कन्नडा) निम्नांकित फिल्म समारोहों में शामिल की गई :
 - मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2014, इंडिया गोल्ड कंपीटीशन सेक्शन
 - बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2014, एशियन कंपीटीशन सेक्शन
 - एनईटीपीएसी पुरस्कार जूरी स्पेशल मेंशन
 - पांचवाँ बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कंपीटीशन (टियानटन अवॉर्ड) के लिए आधिकारिक रूप से चुनी गई।

2. Arunoday directed by Partho Sen Gupta won the Black Tulip Award for Best Feature Film in the Imagine Amsterdam Fantastic Film Festival, and was screened in the following festivals :
 - Busan International Film Festival, 2014 (International Premiere in New Currents Competition)
 - Mumbai International Film Festival, 2014 (India Gold Competition)
 - Dharamsala Film Festival, 2014
 - The International Film Festival and Forum on Human Rights, Geneva – 2015 (Competition)
 - Vilnius International Film Festival, Lithuania, 2015 (Young Blood Competition)
 - Beaune Thriller Film Festival, France – 2015 (Young Blood Competition)
 - Imagine – Amsterdam Fantastic Film Festival – 2015 (Fantasy Section)
 - Tribeca Film Festival, New York – 2015 (Viewpoints section), was included in the “15 can't miss” foreign language films.
3. Attihannu Mattu Kanaja (Fig Fruit & Wasps) (Kannada) directed by MS Prakash Babu participated in following film festivals :
 - Mumbai Film Festival 2014, India GOLD Competition section
 - Bengaluru International Film Festival 2014, Asian Competition section
 - Awarded NETPAC Jury special mention
 - 5th Beijing International Film Festival, officially selected in the Competition (Tiantan Award)



अट्टीहन्नू मट्टू कनाजा (फिग फ्रूट एण्ड व्हास्प) | एम एस प्रकाश बाबू | कन्नड



Attihannu Mattu Kanaja (Fig Fruit & Wasps) | MS Prakash Babu | Kannada

मंत्रालय की योजना के अनुरूप फीचर फिल्मों का निर्माण और सहनिर्माण करने के अलावा एनएफडीसी व्यापारिक गतिविधि के तौर पर भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों के लिए विज्ञापन, वृत्तचित्र, लघु फिल्मों, टी वी सिरीज, वेब विज्ञापन, रेडियो सिरीज और थीम आधारित एंथम आदि का निर्माण भी करता है।

प्रशिक्षण तथा विकास

एनएफडीसी लैब्स की स्थापना एनएफडीसी द्वारा कार्यक्षेत्र में सुस्थापित भारतीय फिल्मकारों अथवा फिल्म या मीडिया स्टडीज के जरिये अपने कैरियर को उन्नत करने के इच्छुकों को पेशागत विकास के लिये फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिये की गई है। एनएफडीसी लैब्स प्रोजेक्ट आधारित वर्कशॉप्स, लैब्स और मास्टर क्लासेस के जरिये प्रतिभाशाली लेखकों, निर्देशकों और निर्माताओं की कार्य प्रणालियों में संवर्धन और विस्तार करने की कोशिश करती है।

एनएफडीसी में विकास कार्य प्रोडक्शन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत विश्लेषण, आकलन तथा सीधे हस्तक्षेप, बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की पटकथा विकास के सत्र आदि आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विकास विभाग आगामी अथवा पूरे हो चले (संपादन)

Apart from producing and co-producing feature films through execution of the Ministry's plan scheme for production of Films, NFDC also produces advertisements, documentaries, short films, TV series, web advertisement, radio series and thematic musical anthems as a commercial activity for clients across the Government of India and various state governments.

Training and Development

NFDC Labs has been established by NFDC to provide a framework of professional development for Indian filmmakers already established in the work-field or developing their careers following Film and/or Media studies. The initiative seeks to deepen and enhance the working practice of talented writers, directors and producers, through project-based workshops, labs, and master-classes.

Development work in NFDC is operational in synchronicity with the Production department, providing analyses, evaluation and direct intervention, script development sessions on Board-Recommended projects, etc. Further the development department liaises constantly with creative community players in

उन प्रोजेक्ट्स के संबंध में क्रियेटिव कम्युनिटी प्लेयर्स के साथ निरंतर संपर्क में रहता है जिनमें एनएफडीसी का कोई घटक अथवा भविष्य की प्रतिभा अर्जन संबंधी कोई रुचि हो।

वितरण

- वितरण के बहुमुखी मंच सिनेमाज ऑफ इंडिया को 2012 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। जिससे भारत के सिनेमा के प्रदर्शन में सहूलियत हो। यह भारतीय सिनेमा के दिग्गजों और और नये जमाने के फिल्मकारों के कामों को विभिन्न फॉर्मेट्स में प्रस्तुत करके उनके बीच सेतु का काम भी करता है। इसके विभिन्न भाग हैं-होम वीडियो, थियेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो ऑन डिमांड तथा टेलीविजन सिंडिकेशन तथा विभिन्न इंटरनेट प्लेटफॉर्म।
- वी ओ डी प्लेटफॉर्म डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. सिनेमाजऑफइंडिया.कॉम पर अब फिल्मों ऑनलाइन दिखाई जाती हैं जो मुफ्त, एक बार देखने अथवा मासिक या सालाना चंदा भर देने के आधार पर बाद में भी देखी जा सकती हैं। इस वक्त वेबसाइट पर 109 टाइटल्स हैं। सिनेमाज ऑफ इंडिया वी ओ डी वेबसाइट पर सभी फिल्मों एडेप्टिव स्ट्रीमिंग पर देखने के लिये उपलब्ध हैं। इसमें फिल्म की पिक्चर क्वालिटी को देखने वाले के इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक स्विच किया जा सकता है तथा इंग्लिश सब टाइटल्स और सोशल मीडिया शेयरिंग और कमेंटिंग भी संभव हैं
- एनड्रॉइड, आईपैड और आई फोन पर सिनेमाज ऑफ इंडिया एप क्रिएट करने पर भी काम शुरू हो चुका है जिसमें बेसिक टेम्पलेट्स, फंक्शनैलिटी और डिजाइन को हमारी डेवलपमेंट टीम के साथ शेयर किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. ने सिनेमाज ऑफ इंडिया के अंतर्गत 2011-12 में 30 फिल्मों, 2012-13 में 34 फिल्मों, तथा 2013-14 में 22 फिल्मों डीवीडी और वीसीडी फॉर्मेट में सफलतापूर्वक रिलीज कीं। वित्त संबंधी सीमाओं के कारण 2014-15 में एनएफडीसी, डीवीडी और वीसीडी फॉर्मेट में सिर्फ 12 फिल्मों ही रिलीज कर सका। इस सूची में सर रिचर्ड एटनबरो की 'गांधी' (इंग्लिश), अनूप सिंह की किस्सा-द टेल ऑफ अ लोनली घोस्ट जैसी अत्यंत सराही गई फिल्मों के साथ एनएफडीसी के टाइटल्स में से 20 फिल्मों का पैक भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में रिलीज की गई डीवीडीज की सूची इस प्रकार है :

relation to upcoming or completing (editing) projects which may have an NFDC component or future talent acquisition interest.

Distribution

- Cinemas of India, a multifaceted distribution platform, was launched in early 2012 to facilitate showcasing of Indian cinema. It plays an important role in bridging the gap between the maestros of Indian Cinema and the new age filmmakers by presenting their work in various formats. The main segments are Home Video, theatrical distribution, television syndication, video-on-demand and various Internet platforms.
- The VOD platform www.cinemasofindia.com showcases films online whereby films can be viewed for free, Pay-Per-View basis, and on monthly and yearly subscription basis. The website currently hosts 109 titles. All films on the Cinemas of India VOD website are available for viewing with Adaptive Streaming - that allows the film to switch it's picture quality depending on the viewer's internet speeds, English subtitles and social media sharing and commenting abilities.
- Work towards the creation of the Cinemas of India App for Android, iPad and iPhone devices has also begun with the basic templates, functionality and design already being shared with our development team.
- Under the brand Cinemas Of India, NFDC successfully released 30 titles in 2011-12, 34 titles in 2012-13 and 22 titles in 2013-14 in DVD and VCD format. Due to financial limitations, NFDC was able to release only 12 titles in 2014-15 in DVD and VCD format. The list included highly acclaimed titles such as Gandhi (English) by Sir Richard Attenborough, Qissa – The tale of a lonely ghost by Anup Singh and a Twenty DVD pack with NFDC marquee titles, among others. List of DVDs released in the FY 14-15 is as under :

वित्त वर्ष 2014-15 में रिलीज की गई डीवीडीज की सूची

List of NFDC Films – DVD Released From 1.4.2014 to 31.3.2015

	फिल्म का नाम	Film Name	भाषा	Language	निर्देशक	Director
1	तहादेर कथा	Tahader Katha	बंगाली	Bengali	बुद्धदेब दासगुप्ता	Buddhadeb Dasgupta
2	आषाढ़ का एक दिन	Aashad Ka Ek Din	हिंदी	Hindi	मणि कौल	Mani Kaul
3	म्यूजिक ऑफ सत्यजित रे	Music of Satyajit Ray	बंगाली	Bengali	उत्पलेंदु चक्रवर्ती	Utpalendu Chakraborty
4	मिस लवली-डी वी डी/वी सी डी	Miss Lovely - DVD/VCD	हिंदी	Hindi	असीम आहलूवालिया	Ashim Ahluwalia
5	आंखों देखी -डी वी डी/वी सी डी	Ankho Dekhi - DVD/VCD	हिंदी	Hindi	रजत कपूर	Rajat Kapoor
6	क्रॉसिंग ब्रिजेज	Crossing Bridges	शेर्तुकपेन	Shertukpen	संगे दोर्जी थोंगडोक	Sange Dorjee Thongdok
7	व्हील चेयर	Wheel Chair	बंगाली	Bengali	तपन सिन्हा	Tapan Sinha
8	गांधी-ब्लू रे	Gandhi - BlueRay	इंग्लिश	English	सर रिचर्ड एटनबरो	Sir Richard Attenborough
9	सती	Sati	बंगाली	Bengali	अपर्णा सेन	Aparna Sen
10	किस्सा-द टेल ऑफ अ लोनली घोस्ट	Qissa – The tale of a lonely ghost	पंजाबी	Punjabi	अनूप सिंह	Anup Singh
11	रघु रोमियो (20 डी वी डीज के सेट में)	Raghu Romeo (In 20 DVD Pack)	हिंदी	Hindi	रजत कपूर	Rajat Kapoor
12	20 डीवीडी पैक (नवीनतम)	Twenty DVD Pack (New)				

थियेटर्स में रिलीज

इस वर्ष किस्सा-द टेल ऑफ अ लोनली घोस्ट' (पंजाबी, इंग्लिश सबटाइटल्स सहित) भारत के विभिन्न सिनेमाघरों में रिलीज हुई

फिल्म बाज़ार

पूरी तरह एनएफडीसी द्वारा आयोजित फिल्म बाज़ार अब एक विकसित तथा एकमात्र दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट है जो दुनिया भर में फिल्मों के अधिकार खरीदने वालों के लिये इस क्षेत्र में एक केंद्रबिंदु बन गया है. यह दक्षिण एशियाई सिनेमा के फिल्म समारोहों, निर्देशकों, प्रोग्रामर्स आदि के लिये संभावित चुनाव का मंच तथा सहनिर्माण के लिये दक्षिण एशियाई फिल्म कहानियां तलाशने वाले निर्माताओं का मिलनस्थल बन चुका है.

पहले पहल 2007 में आयोजित किए जाने के बाद से फिल्म बाज़ार दक्षिणी एशिया का वैश्विक फिल्म बाज़ार बन गया है जिसमें हर बार दक्षिणी एशिया तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में अभिवृद्धि होती जा रही है. सन 2014 के बाज़ार में कनाडा, पोलैंड और दक्षिण कोरिया सहित 38 देशों के 1042 प्रतिनिधि शामिल हुए.

Theatrical Release

This year saw the theatrical release of Qissa – The tale of a lonely ghost (Punjabi with English subtitles) in various cinemas across India.

Film Bazaar

Organized entirely by NFDC, Film Bazaar is a platform exclusively created to encourage collaboration between the international and South Asian film fraternity in the realms of production and distribution, with a focus on discovering, supporting and showcasing South Asian content and talent. A converging point for film buyers and sellers from all over the world, the Bazaar also aims at facilitating the sales of world cinema in the South Asian region.

First held in 2007, Film Bazaar has evolved into South Asia's global film market, witnessing an increased South Asian and International participation with every edition. The 2014 market saw an attendance of 1042 delegates from 38 countries, including country delegation from Canada, Poland and South Korea.



माननीय केन्द्रीय मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री अरुण जेटली द्वारा फिल्म बाज़ार 2014, गोवा का उद्घाटन
The Hon'ble Union Minister for Information & Broadcasting, Shri Arun Jaitley Inaugurated Film Bazaar 2014 at Goa



फिल्म बाज़ार 2014 गोवा में निर्माताओं का लैब सेशन
Producers' Lab session at Film Bazaar 2014, Goa



फिल्म बाज़ार 2014 गोवा में नॉलेज सीरीज सेशन
Knowledge Series session at Film Bazaar 2014, Goa



फिल्म बाज़ार 2014, गोवा में श्री सुधीर मिश्रा, श्री शेखर कपूर एवं श्री विधू विनोद चोप्रा
Sudhir Mishra, Shekhar Kapur and Vidhu Vinod Chopra at Film Bazaar 2014, Goa

6. मानव संसाधन विकास

क) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षण

भारत सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये विभिन्न पदों में भरती अथवा तरक्की में आरक्षण संबंधी नीति का पालन किया गया।

ख) मानव संसाधन विकास में प्रशिक्षण

प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास को प्रमुखता दी जा रही है। कर्मचारियों को तकनीकी तथा सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। रिपोर्ट किये जा रहे वर्ष के दौरान निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को 50 मानव दिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हर कर्मचारी की विशिष्ट प्रतिभा, उसके कौशल और संभावनाओं की जानकारी के लिये, जो कि उसे नौकरी के वर्षों के दौरान सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन के आधार पर नियत होगी के मूल्यांकन का काम एक व्यावसायिक एच आर एजेंसी द्वारा सम्पन्न कराया गया।

ग) औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध स्वस्थ, स्नेहपूर्ण तथा सद्भावपूर्ण बने रहे।

7. सूचना मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

भारत सरकार के साथ सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय (प्रशासकीय मंत्रालय) में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुरूप वित्तवर्ष 2013-14 के लिये एन एफ डी सी को अपने कार्यप्रदर्शन के लिये "वेरी गुड" रेटिंग प्राप्त हुई।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 1/9/2009-एम यू सी दिनांक 13 जून 2013 के अनुसार ई एम ए नीति में परिवर्तन कर दिया और डी ए वी पी को सरकारी/पी एस यू की ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी की एकमात्र एजेंसी बना दिया। नीति में किये गये इस परिवर्तन से कंपनी की उपलब्धियों पर विपरीत असर पड़ा क्योंकि बिजनेस का यह खंड एन एफ डी सी के सकल टर्नओवर के 80 से 85 प्रतिशत रहता था जो एन एफ डी सी के रिवाइवल प्लान का महत्वपूर्ण भाग था।

अनुमोदित कंपनी रिवाइवल प्लान के अनुरूप कार्य न कर पाने के कारण आशंका इस बात की है कि वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

8. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत समय समय पर बनाये गये नियमों तथा राजभाषा विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों को कार्यान्वित किया गया। निगम में हिंदी के प्रयोग तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये लागू किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये उठाये गये कदमों की समीक्षा के लिये राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

9. ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुरूप जिन्हें कंपनी नियम (अकाउंट्स) 2014 के साथ पढ़ा जाये, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि निगम पर लागू नहीं होते।

10. सतर्कता मामले

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाने वाली है, फिर भी कंपनी ने जनरल मैनेजर स्तर के एक अधिकारी को सतर्कता संबंधी मामले भी देखने का कार्यभार सौंप दिया है।

11. निदेशक मंडल तथा मंडल की बैठकें

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक भी वही नियत करती है। अतः निदेशकों की नियुक्ति, योग्यता, उनके पारिश्रमिक, सकारात्मक प्रवृत्तियों, निदेशक की स्वतंत्रता तथा सेक्शन 178 के उप सेक्शन (3) के अंतर्गत आने वाले अन्य मामलों के संबंध में कंपनी की कोई नीति नहीं है।

आजकल एनएफडीसी में एक कार्यपरक निदेशक अर्थात् प्रबंध निदेशक, दो पदेन अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं। इनके नाम हैं : श्री के. संजय मूर्ति,

6. Human Resource Development

a) Schedule Caste/Schedule Tribe Reservation

The directives issued by the Government of India regarding reservation for SC/ST in appointment and promotions to various posts were complied with.

b) Training & Human Resource Development

Training and human resource development is receiving a place of priority and a programme to impart suitable training to employees in technical and soft skills is being implemented. During the year under report 50 man-days of training were imparted to officers and employees of the Company. An assessment of specific skill sets and potential of each employee, based on the responsibilities discharged by them during their years of employment, was conducted through a professional HR agency.

c) Industrial Relations

Industrial relations continued to be healthy, cordial and harmonious.

7. MOU with Ministry of Information and Broadcasting

The performance of NFDC in terms of Memorandum of Understanding signed with the Ministry of Information and Broadcasting (the administrative Ministry) Government of India for the FY 2013-14 has been rated as "Very Good".

The Ministry of I&B, vide letter no. 1/9/2009-MUC dated 13th June 2013 changed the EMA Policy and made DAVP the sole agency for undertaking audio-visual publicity work of Government/PSEs. This change in the policy has acutely affected the performance of the company in view of the fact that this segment of business contributed as much as 80% to 85% of the gross turnover of NFDC, and was a vital part of the Revival Plan of NFDC.

It is expected that the inability of the company to function as per the approved Revival Plan will adversely affect the annual rating of the company for FY 2014-15.

8. Official Language Implementation

The Official Language Act, along with the Rules thereof and orders issued from time to time by the Department of Official Language, Ministry of Information and Broadcasting, and the Department of Public Enterprises regarding progressive use of Hindi, were implemented in the Company during the year. Meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly to review the use of Hindi in the Company and steps taken to implement the Annual Program for the year 2014-15 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, and Government of India.

9. Report on Conservation of Energy, Technology Absorption, etc.

Information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding Conservation of Energy, Technology Absorption is not applicable to the Company.

10. Vigilance Matters

A Chief Vigilance Officer is due to be appointed by the Ministry of information and Broadcasting. However, the company has designated an officer in the rank of General Manager to oversee vigilance matters.

11. Board of Directors and Board Meetings

The Company's directors are appointed and their remuneration is fixed by the Government of India. Hence the company has no policy on director appointment and remuneration including criteria for determining qualification, positive attitudes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of Section 178.

As on date, NFDC has one functional Director i.e. Managing Director and two ex-officio part-time Government Directors, namely Shri K. Sanjay Murthy, Joint

संयुक्त सचिव (फिल्म्स) (31 दिसंबर 2014 से) और श्री विनोद कुमार ठकराल, अतिरिक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय (26 मार्च 2015 से)।

वर्तमान समय में एक कार्यपरक निदेशक अर्थात् निदेशक (वित्त) और ग्यारह (11) गैर सरकारी निदेशकों के पद खाली पड़े हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती अतः स्वतंत्र निदेशकों से कोई ब्योरे प्राप्त नहीं किये गये।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 01.05.2014, 01.07.2014, 01.08.2014, 11.09.2014, 10.11.2014, 15.12.2014 तथा 14.01.2015 को 7 बोर्ड मीटिंग्स हुईं।

कम्पनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कोई भी घोषणा प्राप्त नहीं हुई है।

12. लेखा परीक्षक

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन मेसर्स सी. बी. छाजेड एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, डी जी पी हाउस, ग्राउंड फ्लोर, 88-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुंबई 400025 को वर्ष 2014-15 के लिये निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखाकारों ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के लेखाओं का लेखा परीक्षण किया है। परीक्षित लेखा तथा तथा तत्संबंधी अनुलग्नक इस रिपोर्ट के साथ नत्थी किये गये हैं।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम की ओर से एनएफडीसी में सूचना का अधिकार अधिनियम (आर टी आई) 2005 लागू करने के आवश्यक कदम उठाये गये हैं। आर.टी. आई. के अंतर्गत आने वाले प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई है :

1. मुख्य लोक सूचना अधिकारी
आर. हरीश, लीगल हेड
2. अपीलीय प्राधिकारी
एन के व्यास, महाप्रबंधक (प्रशासन)

14. निगरानी तंत्र

बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपनाने की दृष्टि से एनएफडीसी ने धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम के लिये नीति निर्धारित की है। इस नीति का उद्देश्य धोखाधड़ी के मामलों की छानबीन और उनकी रोकथाम के लिये एक प्रणाली उपलब्ध कराना, पता लगे या संदेहास्पद छल अथवा गबन की रिपोर्ट करना तथा छल कपट से संबंधित मामलों का किसी तरह के संदेह से परे तरीके से निपटारा करना है।

विभागों के अध्यक्ष, महाप्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस नीति के अंतर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और वे इस नीति के अनुकूल समन्वय करेंगे।

15. ऑडिट कमिटी

31 मार्च 2015 को ऑडिट कमिटी का गठन इस प्रकार था :

निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थान
नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
विनोद कुमार ठकराल	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

ऑडिट समिति की बैठकों में निदेशक वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षक, और संवैधानिक लेखा परीक्षक स्थाई निमंत्रित होते हैं। वरिष्ठ कार्यकारी एक्जिक्यूटिव्स को भी आवश्यकतानुसार समिति को सूचनाएं प्रदान करने के लिये बुलाया जाता है।

16. लेखाकारों की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

पैरा (क)

कंपनी ने विभिन्न देनदारों, ऋणों तथा अग्रिमों एवं उन जमाओं के संबंध में, जो बही खातों में 31 मार्च 2015 को बकाया हैं, बकाए के सत्यापन के लिए पत्र भेजे हैं। कुछ पक्षों से जवाब आ भी चुके हैं। टीडीएस/वीएटी आदि के पुराने बकाया को लेकर सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है तथा सभी चालू कर दायित्व निपटा दिए गये हैं। उन विभिन्न देनदारों, ऋणों तथा अग्रिमों के बारे में बही खातों में पर्याप्त प्रावधान कर दिये गये हैं जो तीन साल से अधिक समय से बकाया पड़े हैं और उन्हें विधिवत पिछले वर्षों से आगे ले आया गया

Secretary (Films) (with effect from December 31, 2014) and Shri Vinod Kumar Thakral, Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of I&B (with effect from March 26, 2015)

Currently, the posts of one Functional Director, i.e. Director (Finance) and eleven (11) non-official Directors are lying vacant. The company has no role in the appointment of its Directors.

During the Financial Year 2014-15, seven Board Meetings were held on 01.05.2014, 01.07.2014, 01.08.2014, 11.09.2014, 10.11.2014, 15.12.2014 and 14.01.2015.

All Independent Directors of the Company are appointed by the Government of India, hence no declarations are obtained from the Independent Directors.

12. Auditors

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s. CB Chhajed & Co., Chartered Accountants, DGP House, Ground Floor, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai – 400 025 as Auditors of the Company for the FY 2014-15 under Section 139 of the Companies Act, 2013.

The auditors have audited the Accounts of the Company for the year ended March 31, 2015. The audited accounts with required annexure and reports are annexed to this report.

13. Right to Information Act, 2005

Necessary action has been taken by the Company towards implementation of Right to Information (RTI) Act 2005 in NFDC. RTI Machinery is in place to attend to RTI applications and follow-ups :

1. Chief Public Information Officer
R. Harish, Legal Head
2. Appellate Authority
N K Vyas, General Manager (Administration)

14. Vigil Mechanism

In order to practice better Corporate Governance, NFDC has adopted a Policy for Prevention of Fraud. The objective of the policy is to provide a system for detection and prevention of fraud, reporting of any fraud that is detected or suspected and for fair dealing of matters pertaining to fraud.

The Head of Departments, General Managers, and Regional Managers are designated as the Nodal officers for this Fraud Policy and will co-ordinate all activities as per the Policy.

15. Audit Committee

The composition of the Audit Committee as on 31st March 2015 is as under :

Name of the Director	Designation	Position in Committee
Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
Vinod Kumar Thakral	Govt. Nominee Director	Member

Director Finance, Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees in the Audit Committee meetings. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs to the Committee.

16. Comments on the Auditors Report

PARA (a)

The Company has sent letters seeking confirmation of balances in respect of Sundry Debtors, Loans and Advances, as well as Deposits outstanding in the Books of Accounts as on 31st March, 2015. Responses have been received from some of the parties. Old balances of TDS/VAT etc., are being reconciled, while all current tax liabilities have been met. Adequate provisions have been made in the Books of Accounts for Sundry Debtors, Loans and Advances that are outstanding for more than three years and have been duly carried

है। इसके अतिरिक्त टी. वी. मार्केटिंग के देनदारों और अन्य बकायाओं को लेकर आवश्यकतानुसार केस दायर कर दिए गए हैं।

चालू देनदारियां मुख्यतः मीडिया व्यवसाय के कारण हैं। बहुत सारी देनदारियां क्रमशः निपटा दी गई हैं।

पैरा (ख)

कोई टिप्पणी नहीं।

पैरा (ग)

फिल्म 'गांधी' के विदेशी वितरण से प्राप्त आय की अकाउंटिंग जिसे कलेक्शन एजेंट द्वारा कैलेंडर वर्ष के अर्धवार्षिक आधार (जून और दिसंबर) पर नियत किया जाता है, एजेंट से प्राप्त विवरण के आधार पर खातों में कर दी जाती है। यह प्रणाली निरंतर चलती आ रही है इसलिये इस आय की अकाउंटिंग कैलेंडर इयर बेसिस पर करने में कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है।

पैरा (घ)

कोई टिप्पणी नहीं।

17. जोखिम प्रबंधन नीति

निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी के बिजनेस के आंतरिक और बाह्य जोखिमों की समय समय पर समीक्षा की जाती है जिससे कि समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाये जा सकें। आंतरिक कमजोरियों तथा विभिन्न बाह्य खतरों की समीक्षा के लिये निदेशक मंडल के सामने रिपोर्ट पेश की जाती है।

18. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी को वित्त वर्ष 2014-15 में हानि उठाने के कारण निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी पर लागू नहीं होता।

19. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न सम्बन्धी प्रकटन (निवारण, निषेध एवं शिकायत) अधिनियम 2013

कंपनी (निवारण, निषेध एवं शिकायत) एक्ट 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर एंटी सेक्सुअल हेरेसेमेंट पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में है। इस नीति के अंतर्गत (स्थायी, अनुबंध पर रखे गये, अस्थायी, प्रशिक्षु) सभी कर्मचारी आएंगे।

वर्ष 2014-15 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त होने तथा उनका निपटारा किये जाने का विवरण प्रकार है :

प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
शिकायतों का निपटारा	शून्य

20. आभार

निदेशक मंडल कंपनी के व्यावसायिक भागीदारों को उनके सहयोग और संस्था में उनके विश्वास के प्रति आभारी हैं और पूरी आशा करता है कि भविष्य में ऐसा ही निरंतर पारस्परिक सहयोग जारी रहेगा। निदेशक मंडल, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसके प्रति भी आभार प्रकट करता है, विशेषकर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का कंपनी के संचालन और विकासात्मक योजनाओं के लिये आभारी है। लोक उद्यम विभाग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार, लेखामंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा बैंकों, संरक्षकों और कंपनी ग्राहकों के प्रति निदेशक मंडल आभार प्रदर्शित करता है। निदेशक मंडल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उनके उत्साहपूर्ण, समर्पित कार्यों के लिये गहरी कृतज्ञता भी दर्ज करता है। रिपोर्टींग वर्ष के दौरान कंपनी की सुचारु क्रियाशीलता के लिये उनके द्वारा दिया गया सहयोग बहुमूल्य था।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई	के. संजय मूर्ति निदेशक डीआईएन सं.03532374	नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक डीआईएन सं.00350722
दिनांक : 10 जुलाई 2015		

forward from previous years. Further, legal cases have been filed for recovery in respect of TV Marketing Debtors and other cases of outstanding dues wherever required.

The Current Liabilities are mainly on account of Media Business. Most of the dues have been cleared subsequently.

PARA (b)

No comments.

PARA (c)

The accounting of overseas distribution income for the film Gandhi, which is distributed half yearly (June & December) on calendar year basis by the collection agent, is accounted for in the books as per the statement received from the agent. Since the practice has been followed consistently, there will not be any major impact due to accounting of this income on calendar year basis.

PARA (d)

No comments

17. Risk Management Policy

The Board of Directors review internal & external risks of the business periodically so as to take timely corrective action. In order to review its internal weaknesses and various external threats periodically, reports are placed before the Board of Directors.

18. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility is not applicable to the company since it incurred losses in the FY 2014-15.

19. Disclosure under the Sexual Harrassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Company is in the process of making an Anti Sexual Harassment Policy in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013. All employees (permanent, contractual, temporary, trainees) will be covered under this policy.

The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the year 2014-15 :

No. of complaints received	Nil
No. of complaints disposed of	Nil

20. Acknowledgements

The Board thanks the Company's business partners for their support and confidence in NFDC and look forward to sustaining and building this mutually supportive relationship in the future as well. The Board also gratefully acknowledges the support and guidance received from the Government of India, various Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Information and Broadcasting, in the Company's operations. The Directors also express their grateful appreciation to the Department of Public Enterprises, Comptroller and Auditor General of India, Chairman and Members of the Audit Board, Statutory Auditors, Internal Auditors, Bankers, patrons and customers of the Company. The Board records its deep appreciation for the enthusiastic and dedicated work of the members of NFDC. Their outstanding team effort was invaluable for the smooth functioning of the Company during the year under report.

For and on behalf of the Board of Directors

K. Sanjay Murthy
Director
DIN No. 03532374
Place : Mumbai
Date : 10 July 2015

Nina Lath Gupta
Managing Director
DIN No. 00350722

प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) भारत में अच्छे सिनेमा के विकास आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई केंद्रीय एजेंसी है। एनएफडीसी का बुनियादी लक्ष्य भारतीय फिल्म उद्योग तथा भारतीय सिनेमा का एकीकृत एवं प्रभावशाली ढंग से विकास के लिये योजनाएं बनाना, उन्हें प्रोन्नत करना तथा तथा सिनेमा में श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करना है। एनएफडीसी ने अब तक 300 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है या उनके लिये फंड उपलब्ध किये हैं। विविध भारतीय भाषाओं में बनाई गई इन फिल्मों की विश्व भर में सराहना हुई है और इन्हें अनेक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की फिल्म निर्माण संबंधी 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में एनएफडीसी ने हिंदी समेत 13 भाषाओं में 17 नये फिल्मकार दिए हैं जिन्होंने या तो पहली बार स्वतंत्र रूप से या फिर किन्हीं नामचीन फिल्मकारों के साथ फिल्में बनाईं।

एनएफडीसी का लक्ष्य दूसरी गतिविधियों के जरिये भी भारतीय सिनेमा का विकास करना रहा है जिससे विश्वस्तर पर सहनिर्माण के जरिये भारतीय संस्कृति की विविधता का संसार भर में उन्नयन हो सके। इसके अंतर्गत *गांधी* और *सलाम बॉम्बे* जैसी क्लासिकल फिल्मों का निर्माण हुआ। यही प्रवृत्ति आगे बढ़ी और हाल में *किस्सा* तथा *द लंच बॉक्स* जैसी फिल्में बनीं।

एनएफडीसी को अच्छे सिनेमा के उन्नयन का जो जनदेश मिला है उसके लिए निगम ने एक ब्रैंड विकसित किया है, सिनेमाज ऑफ इंडिया, जिससे कि भारत में फिल्म वितरण की एक मजबूत व्यवस्था विकसित की जा सके। सिनेमाज ऑफ इंडिया थियेटर्स, होम वीडियो, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, सिनेमाजऑफइंडिया.कॉम एनएफडीसी के वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म तथा उभरते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी पर फिल्म वितरण की व्यवस्था करेगा। साथ ही यह घरेलू फिल्म समारोहों में भाग लेने की राह भी सुलभ करेगा। अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में एनएफडीसी की पहुंच होने के कारण गैर परंपरागत बाजारों में सेल्स एजेंट्स के सहयोग से प्रवेश पाना सरल होगा और यह एनएफडीसी के अंतरराष्ट्रीय वितरण नेटवर्क का एक प्रमुख घटक है।

पिछले कुछ वर्षों में एनएफडीसी ने भारतीय फिल्म उद्योग में एक संतुलित विकास प्रक्रिया अपनाई है। इसके लिए उद्योग के उन विभागों को प्राथमिकता दी गई है जो उद्योग के क्रमिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं और जिनकी ओर निजी क्षेत्र व्यापारिक कारणों से ध्यान नहीं दे पाता। इन महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं पटकथा विकास कार्यशालाएं एवं लैब्स, आवश्यकता पर आधारित प्रतिभा विकास, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों का विदेशों में प्रमोशन तथा फिल्म बाजार जैसे प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण एशियाई फिल्म बिरादरी के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकें। अब तक एनएफडीसी हर साल गोवा में लगाए जाने वाले फिल्म बाजार के आठ संस्करण सफलता के साथ संपन्न कर चुका है जिसे नवंबर के महीने में आयोजित किये जाने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। यह सारे दक्षिणी आशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा सहनिर्माण एवं वितरण बाजार है।

भारत के जैसे तेजी से बढ़ते उद्योग में हर कदम पर नयी समस्याएं सिर उठाती रहती हैं। एनएफडीसी का लक्ष्य इन सभी क्षेत्रों में कदम रख कर कमियों को दूर करने का है जिससे वह उद्योग को फिल्म कला को प्रोन्नत करने में उसके सहायक की भूमिका निभा कर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तरों एवं उद्योग के श्रेष्ठ चलन तक ला सके

फिल्म उद्योग में फिल्म विकास एजेंसी की अपनी विशिष्ट स्थिति के अतिरिक्त एनएफडीसी ने उस पुनर्गठन योजना के अंतर्गत जिसे बीआरपी एसई तथा भारत सरकार ने 2010 में स्वीकृत किया था, स्वयं को पूरी तरह परिवर्तित करते हुए उस कम्यूनिवेशन एजेंसी के रूप में पुनः स्थापित किया जो भारत सरकार तथा उसकी संयुक्त संस्थाओं की विज्ञापन संबंधी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह काम कंपनी का आय का मुख्य स्रोत है। एनएफडीसी का संचालन व्यय तो इससे पूरा होता ही है, कंपनी के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध भी इसी से होता है। अब तक एनएफडीसी ने गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यकों संबंधी मंत्रालय, ग्राहक मामलों के मंत्रालय समेत कई अनेक विभागों के लिए विज्ञापन रणनीति तथा जनसंचार नीतियां प्रस्तुत की हैं।

मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग का सिंहावलोकन

डिजिटल मीडिया की लोकप्रियता में वृद्धि एवं परंपरागत मीडिया में मजबूती जैसा कि एफआईसीसीआई - केपीएमजी की इंडियन मीडिया एण्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2015 में दिये गये डाटा में दर्शाया गया है, और जिसे नीचे उद्धृत किया गया है, मीडिया एण्ड एंटरटेनमेंट (एम एण्ड ई) इंडस्ट्री की वृद्धि 2013 के मुकाबले 2014 में 11.7% बढ़ी है। यह अनुमान है कि भारतीय एम एण्ड ई सेक्टर वर्ष 2014 में ₹ 1026 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 तक ₹ 1964 बिलियन तक पहुंचने के लिए 13.9% तक सीएजीआर वृद्धि करने की ओर अग्रसर है, यह वृद्धि दर लगभग दोगुनी है जोकि वैश्विक मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग की है।

Management Analysis Report

The Company

National Film Development Corporation Limited (NFDC) is a Public Sector Undertaking established to encourage the good cinema movement in the country. The primary goal of the NFDC is to plan, promote and organize an integrated and efficient development of the Indian Film Industry in accordance with the national economic policy laid down by the Central Government from time to time. The NFDC (and its predecessor the Film Finance Corporation) has so far funded/produced over 300 feature films in various Indian languages, many of which have been widely acclaimed and won many national and international awards. In the last few years NFDC has introduced 17 new filmmakers across 13 languages including Hindi, through the production of films by first time feature filmmakers and co-producing with acclaimed filmmakers, under the Ministry of Information & Broadcasting's 11th and 12th Five Year Plan Schemes on Film Production.

NFDC aims at fostering excellence in cinema and promoting the diversity of its culture at a global scale by facilitating international co-productions, which have included classics such as *Gandhi*, *Salaam Bombay* in the past and this trend continues with films such as *Qissa* and *The Lunchbox*.

Given NFDC's mandate to promote good cinema, the Corporation launched the brand Cinemas of India so as to develop a sustainable mechanism for distribution of films in India. Cinemas of India facilitates distribution of films across Theatres, on Home Video, on www.cinemasofindia.com, NFDC's Video-on-Demand platform and emerging digital platforms as well as participation in domestic film festivals. NFDC leverages international film festivals to break into non-traditional markets through associating with Sales Agents and this is a key component of NFDC's International distribution network.

Over the years, NFDC has endeavored to create a balanced growth in the Indian Film Industry by undertaking developmental initiatives in areas imperative to the evolution of the Industry and those, which cannot be undertaken by the private sector due to commercial constraints. Thus crucial activities such as script development, need based talent development workshops and labs, promotion of films made by independent filmmakers in markets abroad, and creation of platforms such as Film Bazaar which encourage collaboration between the International and South Asian Film fraternity. Having successfully completed 8 editions till date, NFDC's Film Bazaar is held in Goa every year in November alongside the International Film Festival of India and is the biggest co-production and distribution market for the entire South Asian region.

In a fast-growing industry like India's, new challenges emerge at every stage. NFDC aims at stepping into these areas and filling the gaps to supplement the efforts of the industry with a view to improving the craft, bringing it at par with international standards and investing in setting industry best practices.

Apart from its unique positioning in the film industry as a film development agency, NFDC under the Restructuring Plan of the Company that was approved by the BRPSE and the Government of India in 2010, repositioned itself as a 360-degree Communication Agency offering various solutions to the advertisement needs of the Government of India and its associated institutions/bodies. This business is the primary source of income of the company and apart from meeting the operating costs of NFDC, it also provides the much needed working capital for undertaking the development mandate of the company. So far, NFDC has strategized and developed significant communication for the Ministry of Home Affairs, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Defence, Ministry of Rural Development, Ministry of Minority Affairs, Ministry of Consumer Affairs, amongst many others.

Overview of the Media & Entertainment Industry

The significant growth in the popularity of digital media and the continued robustness of the traditional media, as seen by the data given in the FICCI-KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report 2015 and produced below, has led the Media & Entertainment (M&E) Industry to grow by 11.7% in 2014 over 2013. It is estimated that Indian M&E sector is poised to grow at a CAGR of 13.9 per cent, to grow from ₹ 1026 billion in 2014 to reach ₹ 1964 billion by 2019, a growth rate that is almost double that of the global media and entertainment industry.

कुल उद्योग आकार	Overall Industry size	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	वृद्धि Growth in 2014 over 1213	2015आ 2015p	2016आ 2016p	2017आ 2017p	2018आ 2018p	2019आ 2019p	सीएजीआर CAGR 2014 – 19
टेलीविजन	Television	241.0	257.0	297.0	329.0	370.1	417.2	474.9	13.8%	543.2	631.2	739.6	854.6	975.5	15.5%
मुद्रण	Print	172.0	175.2	192.9	208.8	224.1	243.1	263.4	8.3%	284.5	307.1	331.9	358.0	386.8	8.0%
फिल्म	Films	104.4	89.3	83.3	92.9	112.4	125.3	126.4	0.9%	136.3	155.6	170.7	186.3	204.0	10.0%
रेडियो	Radio	8.4	8.3	10.0	11.5	12.7	14.6	17.2	17.6%	19.6	22.3	27.0	32.7	39.5	18.1%
संगीत	Music	7.4	7.8	8.6	9.0	10.6	9.6	9.8	2.3%	10.4	12.0	14.2	16.9	18.9	14.0%
ओओएच	Out of Home	16.1	13.7	16.5	17.8	18.2	19.3	22.0	14.0%	24.4	27.1	29.6	32.2	35.1	9.8%
एनिमेशन और वीएफएक्स	Animation and VFX	17.5	20.1	23.7	31.0	35.3	39.7	44.9	13.1%	51.0	58.7	68.5	80.6	95.5	16.3%
गेमिंग	Gaming	7.0	8.0	10.0	13.0	15.3	19.2	23.5	22.4%	27.5	31.8	35.4	40.0	45.8	14.3%
डिजिटल विज्ञापन	Digital Advertising	6.0	8.0	10.0	15.4	21.7	30.1	43.5	44.5%	62.5	84.0	115.3	138.2	162.5	30.2%
कुल	Total	580	587	652	728	821	918	1026	11.7%	1159	1330	1532	1740	1964	13.9%

स्रोत : के पी एम जी इन इंडिया अनालेसिस

Source : KPMG in India analysis

फिल्म उद्योग पर दृष्टिकोण

एफ आई सी सी आई-के पी एम जी की इंडियन मीडिया एण्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2015 के अनुसार 2014 में फिल्म उद्योग की कुल मिल्कियत ₹ 126.4 बिलियन थी. अनुमानतः घरेलू थियेटर बाजार आय का प्रमुख स्रोत है लेकिन इंटरनेट के बढ़ते उपयोग और सभी सामाजिक आर्थिक वर्ग के दर्शकों द्वारा डिजिटल कंटेंट के प्रति बढ़ती दिलचस्पी एवं दूसरे और तीसरे क्रम के शहरों के मनोरंजन केंद्रों के रूप में विकसित हो जाने से इंडस्ट्री का फोकस अब इन्हीं पर ज्यादा रहेगा. क्षेत्रीय फिल्म उद्योग, विशेष तौर पर तमिल और तेलुगू अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं. अब इनमें बॉलिवुड जितनी और कभी तो उससे भी अधिक फिल्में बनने लगी हैं. यह प्रवृत्ति आगे भी बनी रहने की संभावना है. हालांकि इस श्रेणी में दक्षिण भारत की चार भाषाओं की फिल्में अग्रणी हैं, 2014 में मराठी और पंजाबी की फिल्मों को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिली.

भारतीय फिल्म उद्योग अपने सभी विभागों में तकनीकी उन्नति को अपना लिया है. फिल्म निर्माण, वितरण, मार्केटिंग, प्रदर्शन तथा वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्मका बढ़ता महत्व जिसने फिल्म देखने का नया मंच दिया है, इन सब में नयी तकनीक का मतलब है स्रोतों तथा बजट का बेहतर उपयोग तथा साथ ही विविध तरह के दर्शकों तक पहुंच.

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में *द लंच बॉक्स*, *किस्सा*, *कोर्ट* जैसी फिल्मों की सफलता से सिनेमा ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज करने में सहायता मिली. इसके अलावा संसार के प्रमुख मेनस्ट्रीम फिल्म फेस्टिवल्स में, जो अब भारतीय फिल्मकारों का स्वागत करने लगे हैं, भारत केंद्रित फिल्म समारोहों में वृद्धि हुई है. विश्व भर में भारतीय प्रतिभा की धाक जमाने के अलावा ये फिल्म समारोह उभरते फिल्मकारों को आकर्षक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं. लॉस एंजलीस का भारतीय फिल्म समारोह, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल तथा द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न सभी बहुत सफल रहे. घरेलू समारोहों में गोवा का इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी अब अधिक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है.

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार की ओर से इटली, जर्मनी ब्राजील, यू.के., फ्रान्स, न्यूजीलैंड, पोर्लैंड, स्पेन, जापान, कनाडा और चीन जैसे देशों के साथ ऑडियो विजुअल सहनिर्माण संधि के लिए उठाए गए कदमों ने, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को एक दूसरे के साथ काम करने, स्रोतों को साझा करने का मौका दिया है जो सिर्फ अपने देश में काम करने भर से संभव नहीं था. इस तरह की सहनिर्माण वाली फिल्मों का स्थान और वहां के घरेलू फिल्म समारोह भारतीय सिनेमा और हमारी संस्कृति के उन्नयन में सहायक हुए हैं. इससे भारतीय पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इनसे विदेशों में भारतीय पर्यटन स्थल लोकप्रिय होते हैं.

इंडस्ट्री के सामने पायरेसी के अलावा एक बड़ी चुनौती निरंतर बढ़ते निर्माण व्यय की है. प्रतिभाएं बड़ी कीमत पर ही उपलब्ध हैं. फिल्मों की लागत का एक बड़ा हिस्सा विपणन, प्रमोशन तथा विज्ञापन में खर्च हो जाता है फिर चाहे

Film Industry Outlook

According to the FICCI-KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report 2015, the Film Industry is estimated to be worth ₹ 126.4 billion in 2014. While the domestic theatrical market is expected to be the primary contributor to revenues, the growing Internet penetration and bandwidth coupled with greater adoption of digital content by audiences across socio-economic classes and the emergence of Tier II and Tier III cities as entertainment hubs, may soon hold the prime focus for the industry. Regional film industries, particularly Tamil and Telugu, have already come of age with the number of movies on par or greater than their Bollywood counterparts, and this trend is expected to continue. While the four South Indian markets still dominate this category, the Marathi and Punjabi film industries have had a box office success in 2014.

The Indian film industry has embraced technological advancements across its value chain. Film production, distribution, marketing, exhibition and the increasing significance of the Video-on-Demand platform as a viewing platform, has meant better control of resources and budgets and at the same time a greater outreach to a diverse audience base.

The success of movies such as *The Lunchbox*, *Qissa*, *Court* amongst others in various International Film Festivals has helped in increasing the international footprint of the Cinemas of India. Besides the growing number of mainstream film festivals across the globe, which are embracing Indian filmmakers, there is a significant increase in the number of India centric film festivals abroad. Besides showcasing Indian talent to worldwide audiences, these festivals also provide an attractive platform for emerging filmmakers. The Indian Film Festival of Los Angeles, New York Indian Film Festival and Indian Film Festival of Melbourne have been widely successful. Domestically, Indian Film Festival of India held in Goa has also been attracting higher footfalls every year.

Besides the above, the Government's initiative to sign audio-visual co-production treaties with various countries such as Italy, Germany, Brazil, the U.K., France, New Zealand, Poland, Spain, Japan, Canada and China has enabled domestic and international filmmakers to collaborate with one another to access to resources, which otherwise may not be available in the home country. National films status to such co-produced films in both countries and their participation in the respective country's domestic film festivals have aided in promoting Indian cinema and culture overseas. Needless to say, this has had a positive impact on India's tourism sector too as these films have popularized Indian locales abroad.

The biggest challenge that the Industry faces besides Piracy is the fact that production budgets are consistently increasing as talent cost spirals and a much larger proportion, as a percentage share of the film's cost of production is

फिल्म किसी भी बजट या विषय की क्यों न हो. अक्सर यह देखा गया है कि फिल्म निर्माता दर्शकों तक फिल्म पहुंचाने और उनके बीच उसकी चर्चा कराने के लिए निर्माण व्यय का एक बड़ा हिस्सा अलग ही रख लेते हैं.

फिल्म तथा पर्यटन का समन्वय

फिल्म पर्यटन भारत में उभरता हुआ परिदृश्य है जिसे एक ओर तो भारत के बढ़ते फिल्म उद्योग और दूसरी ओर विश्व स्तर पर भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता से बढ़ावा मिला है जिसमें विश्व भर में फैले भारतीय तथा मेनस्ट्रीम सिनेमा दोनों तरह के दर्शक हैं. इस तरह, फिल्म उद्योग पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर काम करता है. यह उन जगहों को पर्यटकों के सामने लाता है जहां फिल्मों की शूटिंग हुई हो. घरेलू तथा विदेशी, दोनों तरह के पर्यटक इन जगहों की ओर आकर्षित होते हैं. पर्यटकों के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होती है एवं फिल्म उद्योग में भी रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं.

एनएफडीसी की प्रतियोगी स्थिति

फिल्म उद्योग में एनएफडीसी की प्रतियोगी स्थिति इसके बड़े आधार वाले निगम के रूप से बनी है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं की सभी तरह की फिल्मों के विकास, निर्माण, वितरण एवं विपणन को लेकर प्रतिबद्ध है और इस तरह "इंफेडिबल इंडिया" ब्रैंड की सॉफ्ट पावर को सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत करता है. एन एफ डी सी फिल्म व्यवसाय के सभी फिल्मकारों के साथ भागीदारी करता है फिर वह चाहे वह विभिन्न लैब्स, जैसे स्क्रीन राइटर्स लैब के साथ पटकथा विकास का काम हो, किसी फिल्म का विश्व स्तर पर प्रचार-प्रसार हो या वितरण के मंच स्थापित करना हो जिससे कि इस तरह के अधिकार स्थापित किये जा सकें जिन्हें बेचा अथवा लाइसेंस दिया जा सके और जिनका विभिन्न मंचों पर महत्व बढ़ाया जा सके.

एनएफडीसी द्वारा फिल्म निर्माण के अंतराष्ट्रीय सहयोगों में भारतीय कहानियों को आगे बढ़ाने से "मेक इन इंडिया" विचारधारा को बल मिलता है. इससे भारत फिल्म निर्माण के एक ऐसे विशिष्ट केंद्र के रूप में उभरा है जहां विभिन्न विभागों में प्रतिभा की कमी नहीं और जहां पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं. विभिन्न फिल्म समारोहों और बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर, जिनमें सुस्थापित फिल्म बाजार भी शामिल हैं, भारत ने अपना दायरा विस्तृत किया है.

आज का भारतीय दर्शक सिनेमा में विविधता के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है. इसलिये निगम द्वारा अपनी फिल्म वितरण प्रणाली को अपने ब्रैंड "सिनेमाज ऑफ इंडिया" के जरिये निरंतर मजबूत किया जाता है फिर चाहे वह डीवीडी हो, वीडियो ऑन डिमांड हो या उभरते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्मों हैं जिनके जरिये आजकल के दर्शक मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. इससे जनसामान्य के बीच सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती हैं. अंतः एक विस्तृत दृष्टिकोण यह लिया जा सकता है कि एनएफडीसी सिनेमा को मनोरंजन के माध्यम के साथ साथ महत्वपूर्ण आर्ट फॉर्म और मूल्य आधारित सामाजिक परिवर्तन के वाहन के रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ है. इतना ही नहीं, परंपरागत मीडिया जैसे थियेटर्स, और जैसा कि ऊपर बताया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर फिल्में रिलीज करने के साथ वे बढ़िया फिल्में भी दिखाई जाती हैं जिनके बारे में आम धारणा यह है कि वे थियेटर्स के हिसाब में नहीं बैठतीं. अब इन फिल्मों को भी बड़ा दर्शकवर्ग उपलब्ध होने लगा है.

इसके 360 डिग्री अभिनव संचार आयुध द्वारा विविध तरह की सामग्री प्रस्तुत करना जारी है जैसे विभिन्न सरकारी विभागों के विज्ञापनदाताओं की सहायता के लिए लघु विषयवस्तु प्रोग्रामिंग एवं विविध प्लेटफॉर्मों के रूप में ऑडियो विजुअल कंटेंट जिसमें ब्रॉडबैंड डिजिटल मीडिया भी शामिल है.

एनएफडीसी भारतीय फिल्म उद्योग के भविष्य को एक ऐसे परिवेश का निर्माण करके नया रूप देना चाहता है जो कि आधुनिक एवं समसामयिक समस्याओं को सिनेमा से जोड़ता हो और इसके लिए भारतीय सिनेमा की नयी प्रतिभाओं, नये लोगों को सहज सुलभ हो. उदाहरण के लिए एन एफ डी सी लैब्स प्रतिभा संपन्न लेखकों निर्देशकों और निर्माताओं की कार्यप्रणाली को प्रोजेक्ट आधारित वर्कशॉप्स तथा मास्टर क्लासेस के जरिये उन्नत करना चाहता है.

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि एनएफडीसी को ऐसे विकास निगम के रूप में देखा जाना चाहिए जो इंडस्ट्री के प्रयत्नों का पूरक है, निजी क्षेत्र का प्रतियोगी नहीं.

उत्पाद तथा सेवाएं

एनएफडीसी निम्न सेवाएं उपलब्ध कराता है :

फिल्म निर्माण

फिल्म निर्माण विभाग का उद्देश्य सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कही गई फिल्म निर्माण संबंधी उन बातों को कार्यान्वित करना है जिनमें क्रमशः कहा गया है कि "एनएफडीसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण."

being spent on marketing, promotions and advertising of the film, irrespective of the size or the genre of the film. It is seen that often filmmakers struggle to set aside a minimum budget for generating visibility and word of mouth amongst the target audience.

The Integration of Film and Tourism

Film Tourism is a growing phenomenon in India, fueled by both the growth of the film industry within India and the increasing acceptance of Indian cinematic content overseas both amongst the diaspora and the mainstream audiences. The film industry therefore acts as an important partner to promote tourism, since it highlights the various locations where films are shot and thus becoming a potential medium for motivating domestic as well as international audiences to travel to such destinations. The resultant visitor influx boosts the local economy through generating greater earnings from tourists and therefore creates a higher disposable income. but also serves to generate increased employment opportunities not only for the indigenous film sector.

Competitive position of NFDC

NFDC's competitive position in the Film Industry is derived from its core competency of being a broad-based film development company that leads in the development, production, distribution and marketing of all forms of films in various Indian languages, thus showcasing the nation's soft power globally and adding to the equity of the brand "Incredible India". NFDC partners with filmmakers across the value chain of the business, be it in development of the script across its various labs such as the Screenwriter's Lab or in promoting a film internationally or in building distribution platforms, so as to create rights that can be licensed, sold, and leveraged over different platforms.

NFDC's international collaboration of Indian stories promotes the "Make In India" concept by strengthening India's position as a unique filming destination with a resource rich industry in terms of talent across various professions in the Film Industry, to increasing the footprint of feature films through increasing participation across various film festivals and film markets, including the very established Film Bazaar.

The Indian audience today is much more receptive to diversity in cinema. Thus the Corporation's continued focus on strengthening its distribution pipeline, through its brand, "Cinemas of India", be it on DVD, Video-on-Demand or on emerging digital platforms through which contemporary audiences consume entertainment, has taken compelling entertainment with strong cultural roots to the masses. A larger view can therefore be taken that NFDC is able to position and deliver Cinema as an important art form and a medium of value based social change, in addition to its entertainment quotient. Furthermore, by releasing films across traditional media like Theatres and digital platforms as mentioned above, an otherwise niche film from a theatrical distribution perspective, as NFDC's films are perceived to be, they now find a larger audience.

Its innovative 360-degree communication arm continues to provide original advertiser supported short content programming for various Govt. Departments, in the form of audio-visual content for multi-platform dissemination including the broadband the digital media.

NFDC is committed to shaping the future of the Indian film Industry by creating an environment that is responsive to the issues of modern and contemporary cinema, while being accessible to the fraternity including the promising new voices of Indian cinema. NFDC Labs for example, seeks to deepen and enhance the working practice of talented writers, directors and producers, through project based workshops and master classes.

In short, NFDC must be viewed as a development corporation, which supplements the efforts of the Industry and not a competitor with the private sector.

Products & Services

NFDC offers the following services :

Film Production

The objective of the Film Production Department is to execute the 11th & 12th Five Year Plan Schemes of the Ministry of Information & Broadcasting "Film Production in various Regional languages by NFDC" and "Film Production in various Indian languages" respectively.

प्रोडक्शन विभाग का प्रयत्न यह रहता है कि योजना की स्कीम को पहली-पहली बार स्वतंत्र रूप से फिल्म बनाने वाले निर्माताओं तथा सह निर्माताओं के जरिये सपोर्ट करते तथा आगे बढ़ाते रहा जाय. इसके साथ ही उभरते हुए उन फिल्मकारों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्माताओं को भी साथ लिया जाय जो विविधता, नवीनता और विशिष्टता का पुट देने में माहिर हों. इसके लिए विभाग ऐसे वातावरण का सृजन करने में सफल रहा है जो भारत के सिनेमा को बड़े ही कल्पनापूर्ण, विविधतापूर्ण तथा जोशपूर्ण तरीके से प्रतिबिंबित करने में सहायक है.

पिछले कुछ वर्षों में एनएफडीसी द्वारा बनाई गई अथवा सहनिर्माण वाली फिल्मों में प्रमुख हैं : *द लंच बॉक्स*, *किस्सा*, *शंघाई*, *दैंट गर्ल इन यलो बूट्स*, *मंजूनाथ*, *अन्है घोरे दा दान*, *द गुड रोड*, *कालियाचन* आदि.

वितरण

एनएफडीसी को अच्छे सिनेमा के उन्नयन का जो जनादेश मिला है उसके लिए निगम ने ब्रांड "सिनेमाज ऑफ इंडिया" लॉन्च किया जिससे भारत में फिल्म वितरण की एक स्थाई और सुदृढ़ व्यवस्था विकसित हो. इसमें दोनों तरह की फिल्में शामिल हैं-एन एफ डी सी की और उन दूसरे स्वतंत्र निर्माताओं द्वारा बनाई गई भी जिन्हें घरेलू बाजारों में सीमित स्थान मिल पाया हो.

सिनेमाज ऑफ इंडिया फिल्म वितरण के वर्तमान तथा उभरते प्लेटफॉर्म जैसे इन थियेटर्स, होम वीडियो, वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी), डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, सिनेमाजऑफइंडिया.कॉम यू ट्यूब, आई ट्यून आदि पर वितरण को सुलभ बनाता है. सिनेमाज ऑफ इंडिया वी ओ डी साइट की सभी फिल्में एडेप्ट स्ट्रीमिंग के साथ देखने को उपलब्ध हैं. एडेप्ट स्ट्रीमिंग में फिल्म, अपनी पिक्चर क्वालिटी को स्विकर कर सकती है लेकिन इसके लिए दर्शक के इंटरनेट की स्पीड पर आधारित रहना होता है और ये इंग्लिश सबटाइटलिंग के साथ होती है. दर्शक फिल्म मुफ्त में, पे-पर-व्यू आधार पर अथवा चंदे के अनुसार देख सकता है. दर्शक सोशल मीडिया पर लिंक शेयर कर सकता है और साइट कमेंटिंग की सुविधा भी देती है. एनएफडीसी अन्य राइट होल्डर्स से उनकी फिल्मों के अधिकार भी लेता है जिससे उनकी फिल्मों को पूंजी की उपलब्धता के अनुसार विस्तृत घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो सकें. इस प्लेटफॉर्म को 50 से भी अधिक शहरों और 20 से अधिक देशों के दर्शक उपलब्ध हैं.

अपनी कुछ बेहतरीन फिल्मों के रेस्टोरेशन के बाद एनएफडीसी ने अपने बेहद लोकप्रिय सिनेमाज ऑफ इंडिया का वृत्तखंड होम वीडियो लॉन्च किया और इनकी डीवीडी देश भर में सभी बड़े रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध हैं.

एनएफडीसी लगातार इस बात की कोशिश में भी रहा है कि फिल्म समारोहों के जरिये दुनिया भर में गैर परंपरागत बाजारों में पैठ बनाई जाय कोशिश जो कि अंतरराष्ट्रीय वितरण व्यवस्था में एनएफडीसी की फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय घटक हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में एनएफडीसी के सहभागी होने का परिणाम प्रमुख सेल्स एजेंटों के साथ संपर्क विकसित करने के रूप में सामने आया है जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों के मीडिया प्लेटफॉर्म पर विविध अधिकारों की बिक्री करते हैं.

प्रशिक्षण तथा विकास

फिल्म सेक्टर में मिड कैरियर ट्रेनिंग के मौकों और कथ्य को लेकर रिसर्च तथा उसके विकास क्षेत्र के अभाव को देखते हुए इनकी बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिये 2012 में प्रशिक्षण तथा विकास विभाग की स्थापना की गई.

एनएफडीसी लैब्स बेंड के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि यह एनएफडीसी की फिल्मों तथा भारतीय फिल्म समुदाय के लिये दो तरह के आउटपुट प्रदान करेगा :

- व्यावसायिक फिल्म निर्माताओं के लिये प्रशिक्षण, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं-निर्देशन, लेखन, संपादन सिनेमेटोग्राफी तथा फिल्म निर्माण के लिये वर्कशॉप और मास्टर क्लासेस का प्रबंध.
- एनएफडीसी के भीतर ही एक डेप्लेमेंट आर्म की स्थापना जिससे पटकथा तथा योजना विकास में सहायता मिल सके और एनएफडीसी के निर्माण विभाग और फिल्म उद्योग को भी को निरंतर बेहतरीन प्रोजेक्ट्स तथा पटकथाएं मिलती रह सकें. ट्रेनिंग गतिविधियों में देश के विविध प्रांतों तथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म बाजारों और फेस्टिवल्स में जा सकने योग्य में लंबे समय तक चलने वाले, पटकथा विकास कार्यक्रम शामिल हैं.

एनएफडीसी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत एविड और एफपीसी डिजिटल नॉन लीनियर एडिटिंग, ऑडियो डबिंग, डिजिटल सिनेमेटोग्राफी, मल्टीमीडिया सबटाइटलिंग आदि में विविध ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करता रहता है.

इस विवरण से स्पष्ट है कि लगभग तुरंत आगे आने वाले समय में एनएफडीसी को मीडिया तथा मनोरंजन सेक्टर में भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम में सुयोग्य भागीदार के रूप में काम कर सकने की उम्मीद है.

The Production Department endeavoured to support and drive the Plan Scheme through production of films by first time feature filmmakers and co-production with emerging filmmakers and international Producers who embody diversity, innovation and uniqueness. In doing so the Department has strived to create an environment conducive to the making of cinema that reflects India's most imaginative, diverse and vibrant film culture.

Some of the landmark films that NFDC has produced/Co-produced in the past few years include *The Lunchbox*, *Qissa*, *Shanghai*, *That Girl In Yellow Boots*, *Manjunath*, *Anhey Ghorhey Da Daan*, *The Good Road*, *Kaliyachan* amongst others.

Distribution

Given NFDC's mandate to promote good cinema, the Corporation launched the brand Cinemas of India so as to develop a sustainable mechanism for distribution of films in India, for both NFDC's productions and films from other independent filmmakers who may have limited access to domestic markets.

Cinemas of India facilitates distribution of films across existing and emerging media platforms such as In-theatres, Home Video, on Video-on-Demand (VOD) www.cinemasofindia.com, Youtube, iTunes amongst others. All the films on the Cinemas of India VoD site are available for viewing with Adaptive Streaming (that allows the film to switch its picture quality depending on the viewer's internet speeds) and are subtitled in English. The viewer can view the film free or on a Pay-Per-View basis and subscription basis. The viewer can share links on social media and the site facilitates commenting abilities. NFDC aims to acquire titles from other right-holders so as to give their films a wider access in the domestic and international markets, subject to availability of capital. The platform has audience engagement from over plus 50 cities and more than 20 countries.

Post restoration of some of its outstanding films NFDC launched its hugely popular Home Video segment of Cinemas of India and these DVDs are available in all leading retail outlets across the Country.

NFDC continuously endeavors to break into non-traditional markets across the world by leveraging film festivals, which are critical and central component of the International distribution network for the films from NFDC portfolio. Such participation of NFDC's films at internationally acclaimed festivals has resulted in associations with leading Sales Agents, who exploit the various rights across various media platforms in different international markets.

Training & Development

Given the gap in the area of mid – career training opportunities in the film sector, as also the need for greater focus on research and development in content creation, the Training & Development Division was set up in 2012.

It has been established under the brand NFDC Labs to deliver two outputs for the NFDC & Indian Film community :

- Training for Professional filmmakers, providing workshops and master classes in core disciplines; Directing, Writing, Editing, Cinematography and Producing.
- Establish a development arm within the NFDC itself to support script and project development to ensure a steady flow of quality projects towards the NFDC production department and towards the Industry at large. Training activities include long running staged development programmes for scripts in different states across the subcontinent, including international industry programmes in overseas film markets & festivals.

NFDC also conducts various training programmes in Avid & FCP Digital Non – Linear Editing, Audio Dubbing, Digital Cinematography, Multimedia Subtitling, etc., for students under State Government sponsored schemes.

Given the foregoing, in the immediate to medium term ahead, NFDC hopes to function as a skill partner in the M&E Sector for the Skill India program of the Government of India.

फिल्म बाज़ार

एनएफडीसी द्वारा आयोजित फिल्म बाज़ार दक्षिण एशियाई के उभरते तथा स्थापित फिल्म निर्माताओं के लिए विविध वितरकों, प्रोडक्शन हाउस, फेस्टिवल प्रोग्रामर्स, फिल्म क्यूरेटर्स, सेल्स एजेंट तथा अन्य प्रमुख तत्सम्बंधी हितधारकों को अपने कार्य का प्रदर्शन तथा समन्वय के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। 2007 में इसकी शुरुआत सामान्य रूप से हुई थी (18 देशों के 204 सदस्य)। आज यह बाज़ार विश्व भर के फिल्म विक्रेताओं और खरीदारों का मिलनबिंदु है और विश्व सिनेमा की दक्षिण एशियाई क्षेत्र तक बिक्री की सुविधा भी प्रदान करता है। सन 2014 में फिल्म बाज़ार में 38 देशों के 1042 सदस्य थे जिनमें समर्पित देशों कनाडा, दक्षिण कोरिया और पोलैंड के प्रतिनिधि शामिल हैं। अधिक से अधिक फिल्मकार तथा प्रतिभाएं फिल्मबाज़ार को लान्चिंग, फंडिंग, सहनिर्माण, फिल्म वितरण (जिनमें समारोहों में भाग लेनेवाले भी शामिल हैं), के लिए उपयुक्त मंच के रूप में देखते हैं।

फिल्म बाज़ार की 9 वां संस्करण 20 से 24 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान, गोवा मैरिएट रिसॉर्ट में आयोजित किया जायेगा।

विभिन्न सरकारी विभागों को सेवाएं

एनएफडीसी विभिन्न सरकारी विभागों/पीएसयू को अनेक तरह की सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सरकारी विभागों के फिल्म निर्माण, प्रदर्शन, मार्केटिंग आदि से संबंधित कई योजना/गैर योजनागत कार्य संचालित करता है।

एनएफडीसी मीडिया प्रोडक्शन के काम भी कार्यन्वित करता है जैसे विज्ञापन बनाना, डॉक्यूमेंटरी, लघु फिल्में, टी.वी सीरीज, वैब विज्ञापन, रेडियो सीरीज तथा थीम आधारित संगीतमय एंथम्स का निर्माण।

प्रिव्यू थियेटर

एनएफडीसी के पास मुंबई में 81 सीटों तथा चैन्नई में 100 सीटों वाले प्रिव्यू थियेटर हैं जिन्हें फिल्म प्रदर्शन के लिये विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी ग्राहकों को किराये पर दिया जाता है। ये थियेटर एनलॉग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की नवीनतम तकनीकों तथा 3डी प्रोजेक्शन सुविधाओं से सज्जित हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां तथा उनकी उपयुक्तता

कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक ऑडिट सिस्टम की व्यवस्था है जो इसके आकार एवं बिजनेस आवश्यकताओं के अनुरूप है। कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण पद्धति के भाग के रूप में अनेक नीतियां तथा कार्य पद्धतियां लागू की हुई हैं ताकि बिजनेस का काम सुव्यवस्थित एवं निपुणता के साथ चलता रहे। प्रबंधन की तरफ से परिसंपत्तियों की सुरक्षा धोखाधड़ी का पता लगाने तथा उसकी एवं गलतियों की रोकथाम, लेखा खाताओं को पूरा रखने तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को सामयिक रूप से तैयार करने का पूरा प्रबंध किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये सनदी लेखाकारों के स्वतंत्र फर्मों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण कराया जाता है। मनोनीत फर्म्स समय समय पर निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, जो भी उन्हें दिया गया हो, उसका आंतरिक लेखा परीक्षण करती हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी मूल बिजनेस गतिविधियों-फीचर फिल्म तथा गैर फीचर फिल्मों के निर्माण एवं विभिन्न सरकारी विभागों की पब्लिसिटी के काम का लेखा परीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा साथ के साथ भी कराती रहती है। आंतरिक लेखा परीक्षण की रिपोर्ट्स की महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, द्वारा नियुक्त सैवधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाती है। बही खातों का लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा भी किया जाता है।

संभावनापूर्ण विकास क्षेत्र

आगे बढ़ते हुए, एनएफडीसी की कोशिश सामयिक पुनरावलोकन योजनाओं को जारी रखने की है जिनसे भारतीय फिल्म क्षेत्र की कमियों को दूर किया जा सकता है तथा उन क्षेत्रों में कदम रखे जा सकते हैं जिनके जरिये इसके प्रमुख उद्देश्य, भारतीय फिल्म उद्योग के विकास को सुगम बना सकना संभव हो। इस मामले में एनएफडीसी सारे देश में विविध भारतीय भाषाओं के सिनेमा व फिल्म उद्योग के दायरे में आने वाले व्यापार कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रयत्नों में लगा रहेगा जिनमें कौशल तथा कथ्य विकास से लेकर प्रदर्शन और दर्शक संख्या में वृद्धि सभी कुछ शामिल है।

इसके साथ साथ एनएफडीसी को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा सकने और वास्तविक अर्थों में पैन इंडियन फिल्म डेवलपमेंट बॉडी बन सकने के लिए आय के वर्तमान स्रोतों के साथ साथ निरंतर नये स्रोत विकसित करते रहने की ओर भी प्रयत्नशील रहना होगा। आज की स्थिति यह है कि पर्याप्त कार्यकारी पूंजी के अभाव में एक संस्था के तौर पर एनएफडीसी का विकास बहुत हद तक सीमित है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

31 मार्च 2015 तक पूर्ववर्ती जमा होते चले आए ₹ 3510 लाख के घाटे के कारण कंपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर कोई खर्च नहीं कर रही है

Film Bazaar

NFDC's Film Bazaar provides emerging and established filmmakers from South Asia a platform to collaborate and showcase their work to various distributors, production houses, festival programmers, film curators, sales agents and other important fraternity stakeholders. With a modest beginning in 2007 (204 guests from 18 countries), Film Bazaar has become a focal point for South Asian filmmakers to present their stories to the international film fraternity. In 2014, 1042 delegates from 38 countries attended Film Bazaar, including dedicated country delegations from Canada, South Korea and Poland. Increasingly filmmakers and talent view Film Bazaar as a principal platform for launching, funding, co-producing, distributing films (including festival participation).

The 9th edition of Film Bazaar will be held from 20 – 24 November 2015 at the Goa Marriott Resort, alongside the International Film Festival of India.

Services to Various Government Departments

NFDC provides various services to government departments/PSUs and also executes various plan/non-plan schemes of government departments relating to film production/exhibition/marketing/etc.

NFDC also executes the media production work like production of advertisements, documentaries, short films, TV series, web advertisements, radio series and thematic musical anthems.

Preview Theatres

NFDC gives on hire its 81 seaters Preview Theatre at Mumbai and 100 seater Preview Theatre at Chennai, for exhibition of film to various government/non-government clients. The theaters are equipped with latest technology to show films in analog and digital platforms, including 3D projection facilities.

Internal Control Systems and their Adequacy

The company has adequate internal control and Internal Audit System commensurate with its size and nature of business. The company has formulated various policies and procedures, as a part of Internal Control Systems, for orderly and efficient conduct of its business. The Management takes reasonable care and ensures safeguard of assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting records and timely preparation of reliable financial information.

Internal control is being ensured through internal audit by independent firms of Chartered Accountants. The nominated firms conducts periodical Internal audits of regional/corporate office allotted to them. Additionally, the Company also commissions concurrent audit of its primary business activities of Feature Film Production, Non-Feature Film Production and Publicity assignment of various government departments through independent auditors. Internal Audit Reports are being reviewed by the Audit Committee on quarterly basis. Internal audit reports are also being reviewed by Statutory Auditors of the company appointed by the Comptroller and Auditor General of India. Books of Accounts are also being audited by the Comptroller and Auditor General of India.

Potential Growth Areas

Going forward NFDC intends to continue with its plans of periodic assessments of the gaps in the growth of the Indian film sector and stepping into those areas with a view to fulfilling its main objectives of facilitating the growth of the Indian Film Industry. To this effect, NFDC would continue to aim to straddle the entire gamut of the film business across the Country and across various language cinemas, from skill and content development to exhibition and audience development.

Simultaneously, NFDC would also need to constantly identify new sources of income in addition to existing ones with a view to generating greater capital to enable expansion of its activities and become a truly pan-Indian film development body. As of now, the growth of NFDC as an Institution is greatly limited by a lack of sufficient working capital.

Corporate Social Responsibility

Due to accumulated and carried forward losses of ₹ 3510 lakhs as on March 31, 2015, the company is not incurring any expenditure on Corporate Social Responsibility.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

एनएफडीसी जो कि भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (डीपीई), भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक एंटरप्राइजेज, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है :

1. कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की धारणा

एनएफडीसी उस अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है जिसे समुचित पारदर्शी प्रणाली और उन प्रथाओं का सहारा है जिनसे इसके सभी हिस्सेदारों के हितों का संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा सुनिश्चित होती रहे।

एनएफडीसी एक प्रतियोगी, ग्राहक के प्रति मैत्रीभाव रखने वाली और विकासोन्मुखी संस्था के रूप में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है जो देश-विदेश में स्वस्थ सिनेमा का उन्नयन करे। साथ ही यह अपने सभी ग्राहकों को मैत्रीपूर्ण तथा श्रेष्ठतम सेवाएं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिये भी प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

क. बोर्ड की संरचना

एनएफडीसी के निदेशक मंडल में सात सदस्य हैं। इनमें से दो कार्यकारी निदेशक हैं। शेष पांच में से दो भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा तीन गैर आधिकारिक निदेशक हैं। निदेशकगण निदेशक मंडल में विस्तृत अनुभव, ज्ञान एवं कार्य कुशलता लाते हैं।

31 मार्च 2015 को कंपनी के बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी :

कार्यकारी निदेशक	
सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक
श्री साहब नारायण	निदेशक (वित्त)
गैर कार्यकारी निदेशक	
श्री के. संजय मूर्ति (31/12/2014 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री विनोद कुमार ठकराल (26/03/2015से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक

ख. बोर्ड तथा समितियों संबंधी अन्य प्रावधान :

(i) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान हुई बोर्ड मीटिंग्स का विवरण :

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान दिनांक 01/05/2014, 01/07/2014, 01/08/2014, 11/09/2014, 10/11/2014, 15/12/2014 और 14/01/2015 को कुल मिला कर निदेशक मंडल की सात बैठकें हुईं।

बोर्ड के पास कंपनी के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं तथा जानकारीयां उपलब्ध हैं जिनसे निदेशक मंडल और विभिन्न समितियों को सुविज्ञ तथा प्रभावशाली निर्णय लेने में सहाय्यत हुई।

(ii) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड मीटिंग्स में निदेशकों की उपस्थिति, पिछली आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशकीय उत्तरदायित्वों की संख्या (अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/समितियों में निदेशकों की सदस्यता) आदि का विवरण इस प्रकार है :

Report on Corporate Governance

A Public Sector Enterprise of Government of India, NFDC follows the extant Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

A brief report on Corporate Governance is given below :

1. Company's Philosophy on Code of Corporate Governance.

NFDC is committed to good Corporate Governances supported by appropriate transparent systems and practice to protect promote and safeguard the interests of all its stakeholders.

NFDC is committed to act as a competitive, client-friendly and development-oriented organization for promotion of good cinema in the country and abroad. It is also committed to providing client friendly best services to all its customers in a transparent manner.

2. Board of Directors

a. Composition of Board

The Board of Directors of NFDC comprises of Seven Members out of which Two are Functional Directors and Five are Directors of whom two are the nominees of the Government of India and three are Non-official Directors. The Directors bring to the Board wide range of experience knowledge and skills.

The composition of the Board as on 31st March 2015 is as follows :

Functional Directors	
Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director
Shri Sahab Narain	Director (Finance)
Non Executive Directors	
Shri K. Sanjay Murthy (w.e.f. 31/12/2014)	Government Nominee Director
Shri Vinod Kumar Thakral (w.e.f. 26/03/2015)	Government Nominee Director

b. Other provisions as to Board and Committees

(i) Details of Board Meeting held during the Financial Year 2014-15

During the Financial Year 2014-15, seven Board Meetings were held on i. e. on 01/05/2014, 01/07/2014, 01/08/2014, 11/09/2014, 10/11/2014, 15/12/2014 and 14/01/2015.

The Board has complete access to all the relevant information within the Company enabling Board of Directors and Committees thereof to take informed and efficient decision.

(ii) Details of Number of Board Meetings attended by Directors, attendance at last AGM number of other Directorship (in Public Limited Companies)/Committee Memberships held by directors during the year 2014-15 are tabled below :

	निदेशक का नाम	पद	बोर्ड मीटिंग		29.09.2014 को हुई एजीएम में उपस्थिति	31.3.2015 को अन्य निदेशकों की संख्या	31.03.2015 को अन्य कमिटी मेंवर्स की संख्या	
			कार्यकाल में हुई	उपस्थित			चेयरमैन के रूप में	सदस्य के रूप में
1	श्री रमेश सिप्पी	अध्यक्ष	7	4	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	7	7	हां	शून्य	शून्य	3
3	श्री साहब नारायण	निदेशक (वित्त)	7	7	हां	शून्य	शून्य	2
4	श्री विनोद कुमार ठकराल	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	1
5	श्रीमती भारती एस. सिहाग	सरकार द्वारा नामित निदेशक	7	3	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6	श्री राघवेंद्र सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक	6	1	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7	श्री ए. के. बीर	स्वतंत्र निदेशक	7	7	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8	श्री जवाहर लाल वट्टल	स्वतंत्र निदेशक	7	2	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9	श्री के. संजय मूर्ति	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	शून्य	उपलब्ध नहीं	1	शून्य	2

	Name of Director	Designation	Board Meeting		Attendances at Last AGM (held on 29/09/2014)	No. of other Directorships as on 31/03/2015	No. of other Committee Memberships as on 31/03/2015	
			Held during the tenure	Attended			As Chairman	As Member
1	Shri Ramesh Sippy	Chairman	7	4	No	NA	NA	NA
2	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	7	7	Yes	Nil	Nil	3
3	Shri Sahab Narain	Director (Finance)	7	7	Yes	Nil	Nil	2
4	Shri Vinod Kumar Thakral	Government Nominee Director	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	1
5	Smt. Bharathi S. Sihag	Government Nominee Director	7	3	No	NA	NA	NA
6	Shri Raghvendra Singh	Government Nominee Director	6	1	No	NA	NA	NA
7	Shri A.K. Bir	Independent Director	7	7	No	NA	NA	NA
8	Shri Jawahar Lal Wattal	Independent Director	7	2	No	NA	NA	NA
9	Shri K. Sanjay Murthy	Government Nominee Director	1	Nil	NA	1	Nil	2

(iii) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से ज्यादा समितियों का सदस्य नहीं है।

(iii) None of the Directors on the board is a member of more than 10 Committees.

(iv) नये निदेशकों का संक्षिप्त परिचय :

(iv) Brief Profile of new Directors :

श्री के. संजय मूर्ति को 31/12/2014 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया। वे सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (फिल्म्स) के पद पर कार्यरत हैं।

Shri K. Sanjay Murthy was appointed as part-time Government Director with effect from 31/12/2014. He is working as Joint Secretary (Films), Ministry of Information and Broadcasting.

श्री विनोद कुमार ठकराल को 26/03/2015 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया। वे सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।

Shri Vinod Kumar Thakral was appointed as part-time Government Director with effect from 26/03/2015. He is working as Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Information and Broadcasting.

ग. आचार संहिता

c. Code of Conduct

कॉर्पोरेशन ने बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की आचार संहिता के बारे में कंपनी के मिशन तथा उद्देश्यों के अनुकूल एक नीति निर्धारित की है जिसका लक्ष्य कंपनी की कार्य संचालन पद्धति में नैतिक पारदर्शिता की अभिवृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेशन ने धोखाधड़ी की रोकथाम के लिये भी नीति निर्धारित की है। ये दोनों नीतियां निदेशक मंडल द्वारा नोट कर ली गई हैं।

The Corporation has prepared a policy on Code of Conduct for the Board members and Senior Management Personnel in alignment with Company's mission and objectives and aims at enhancing ethical and transparent process in managing the affairs of the Company. Further the Corporation has formulated a policy on Fraud Prevention. Both the policies have been noted by the Board of Directors.

3. निदेशक मंडल की समितियां

3.1 बोर्ड द्वारा गठित समितियां इस प्रकार हैं :

- ऑडिट समिति
- कार्मिक उप समिति
- पारिश्रमिक समिति

3.1.1 ऑडिट समिति

i) 31 मार्च 2015 को ऑडिट समिति का गठन इस प्रकार था :

निदेशक का नाम	पद	समिति में दर्जा
सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
श्री विनोद कुमार ठकराल	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

लेखा परीक्षक समिति की बैठकों में निदेशक वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षक तथा वैधानिक लेखा परीक्षक, स्थायी निमंत्रित होते हैं. आवश्यकता पड़ने पर समिति को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने के लिये वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है.

ii) लेखा परीक्षण समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है :

(क) कंपनीज एक्ट की धारा 177 में दी गई आवश्यकताओं का अनुपालन.

(ख) कंपनी के लेखा परिक्षित/अपरिक्षित त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय विवरणों को रिकॉर्ड पर लेना तथा/अथवा उनकी समीक्षा करना.

वर्ष 2014-15 के दौरान ऑडिट समिति की पांच बैठकें 24/05/2014, 01/07/2014, 11/09/2014, 10/11/2014 तथा 15/12/2014 को हुई. वर्ष 2014-15 के दौरान व्यक्तिगत सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम पद	समिति में दर्जा	इनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री रमेश सिप्पी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	5	3
सुश्री नीना लाठ गुप्ता, प्रबंध निदेशक	सदस्य	5	5
श्री विनोद कुमार ठकराल, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	कोई नहीं	कोई नहीं
श्रीमती भारती एस. सिहाग, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	5	1
श्री ए. के. बीर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5	5
श्री जवाहर लाल वट्टल, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5	1

3. Committees of the Board of Directors

3.1 The Committees constituted by the Board are as follows:

- Audit Committee
- Personnel Sub Committee
- Remuneration Committee

3.1.1 Audit Committee

i) The composition of the Audit Committee as on 31st March 2015 is as under :

Name of the Director	Designation	Position in Committee
Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
Shri Vinod Kumar Thakral	Government Nominee Director	Member

Director Finance, Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees in the Audit Committee meetings. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs to the Committee.

ii) The terms of reference of the Audit Committee are as under :

- to comply with the requirements laid down in Section 177 of the Companies Act.
- to take on record and/or to review unaudited/audited quarterly/half-yearly/annual financial statements of the Company.

During the year 2014-15 five Audit Committee Meetings were held on 24/05/2014, 01/07/2014, 11/09/2014, 10/11/2014 and 15/12/2014. Meeting attended by individual members during the year 2014-15 are detailed below :

Name of the Director Designation	Position in the Committee	No. of Meeting held during their tenure	Meeting attended
Shri Ramesh Sippy, Independent Director	Chairman	5	3
Ms. Nina Lath Gupta, Managing Director	Member	5	5
Shri Vinod Kumar Thakral, Government Nominee Director	Member	Nil	Nil
Smt. Bharathi S. Sihag, Government Nominee Director	Member	5	1
Shri A.K. Bir, Independent Director	Member	5	5
Shri Jawahar Lal Wattal, Independent Director	Member	5	1

3.1.2 कार्मिक उप समिति:

31 मार्च 2015 को निदेशक मंडल की कार्मिक उप समिति का गठन इस प्रकार था :

निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थान
सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
श्री साहब नारायण	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के. संजय मूर्ति	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

कार्मिक उप समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है :

कनिष्ठ अधिकारियों से उप महाप्रबंधक तक के पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति, कल्याणकारी मुद्दों एवं कर्मचारियों से ताल्लुक रखने वाले नीति संबंधी अन्य मामलों पर विचार.

वर्ष 2014-15 के दौरान कार्मिक उप समिति की तीन बैठकें 01/07/2014, 15/12/2014 और 03/01/2015 को हुई. इनमें भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम पद	समिति में स्थान	इनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री रमेश सिप्पी स्वतंत्र निदेशक	चेयरमैन	3	3
सुश्री नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक	सदस्य	3	3
श्री साहब नारायण निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3
श्री के. संजय मूर्ति सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	1	कोई नहीं
श्री राघवेंद्र सिंह सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	2	कोई नहीं
श्री जवाहर लाल वट्टल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	1

3.1.3 पारिश्रमिक समिति :

31 मार्च 2015 को पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार था :

निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थान
सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
श्री साहब नारायण	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के. संजय मूर्ति	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

पारिश्रमिक समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है :

वार्षिक बोनस/वेरिफेबल पे पूल की राशि का फैसला तथा सभी अधिकारियों तथा गैर संघीय सुपरवाइजर्स के बीच नियत सीमाओं के भीतर इसके वितरण की नीति निर्धारित करना.

वर्ष 2014-15 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

वित्त वर्ष 2014-15 के लिये सुश्री नीना लाठ गुप्ता, प्रबंध निदेशक को ₹ 21,67,319/- तथा श्री साहब नारायण, निदेशक वित्त को ₹ 19,56,038/- का पारिश्रमिक प्रदान किया गया. वित्त वर्ष 2014-15 के लिये किसी अन्य निदेशक/निदेशकों को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया गया.

3.1.2 Personnel Sub Committee

The composition of Personnel Sub Committee of Board of Directors as on 31st March 2015 are as follows :

Name of the Director	Designation	Position in Committee
Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
Shri Sahab Narain	Director (Finance)	Member
Shri K. Sanjay Murthy	Government Nominee Director	Member

The terms of reference of the Personnel Sub Committee are as under :

To consider the promotion of officers from Junior Officer up to the level of Deputy General Manager and Welfare issues and other policy matters related to personnel.

During the year 2014-15 three Personnel Sub Committee Meetings were held on 01/07/2014, 15/12/2014 and 03/01/2015. Meeting attended by individual members during the year 2014-15 are detailed below :

Name of the Director Designation	Position in the Committee	No. of Meeting held during their tenure	Meeting attended
Shri Ramesh Sippy Independent Director	Chairman	3	3
Ms. Nina Lath Gupta Managing Director	Member	3	3
Shri Sahab Narain Director (Finance)	Member	3	3
Shri K. Sanjay Murthy Government Nominee Director	Member	1	Nil
Shri Raghvendra Singh Government Nominee Director	Member	2	Nil
Shri Jawahar Lal Wattal Independent Director	Member	3	1

3.1.3 Remuneration Committee :

The composition of Remuneration Committee as on 31st March 2015 is as follows :

Name of the Director	Designation	Position in Committee
Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
Shri Sahab Narain	Director (Finance)	Member
Shri K. Sanjay Murthy	Government Nominee Director	Member

The terms of reference of the Remuneration Committee are as under :

To decide the annual bonus/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non unionized supervisors within the prescribed limits.

During the year 2014-15, no Remuneration Committee Meeting was held.

Ms. Nina Lath Gupta, Managing Director was paid a remuneration of ₹ 21,67,319/- and Shri Sahab Narain, Director (Finance) was paid a remuneration of ₹ 19,56,038/- for the F.Y. 2014-15. None of the other directors were paid any remuneration during the financial year 2014-15.

4. वार्षिक आम सभा

सं	वर्ष	स्थान	दिनांक तथा समय	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पास किया गया
37वीं	2011-12	रजिस्टर्ड कार्यालय 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	28/09/2012 11.00 सुबह	नहीं
38वीं	2012-13	रजिस्टर्ड कार्यालय 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	30/09/2013 11.00 सुबह	नहीं
39वीं	2013-14	रजिस्टर्ड कार्यालय 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	29/09/2014 12.00 दोपहर	पास किया गया
40वीं	2014-15	रजिस्टर्ड कार्यालय 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	30.09.2015 को या उसके पूर्व कार्यालय समय के दौरान	पास किये जाने को कुछ था नहीं

4. Annual General Meeting

No	Year	Location	Date & Time	Whether any special resolution passed
37th	2011-12	Registered Office 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr .Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	28/09/2012 11.00 AM	No
38th	2012-13	Registered Office 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr .Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	30/09/2013 11.00 AM	No
39th	2013-14	Registered Office 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr .Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	29/09/2014 12.00 Noon	Passed
40th	2014-15	Registered Office 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr .Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	On or before 30/09/2015 during office hours	None to be passed

5. प्रकटीकरण

- इस तरह के कोई भी महत्वपूर्ण सौदे नहीं हैं जो संबंधित पक्षों जैसे : प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रबंधन के साथ किये गये हों और जिनका कंपनी के हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता हो।
- कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि किसी भी कर्मचारी को ऑडिट समिति से मिलने से रोका नहीं गया।
- कंपनी ने कुछ सुझाए गये आइटम्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में अंगीकार कर लिया है।
- कंपनी के निदेशकों के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हैं।
- पिछले तीन वर्षों में कंपनी पर सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के उल्लंघन अथवा जुर्माने का कोई मामला किसी भी संवैधानिक प्राधिकारी के समक्ष दर्ज नहीं हुआ।

सीपीएसईज के लिये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यक हैं।

- बही खातों में डेबिट की गई खर्च की मदें जो बिजनेस के मतलब के नहीं हैं : शून्य।
- व्यक्तिगत किस्म के खर्च तथा वे खर्च जो निदेशक मंडल एवं उच्चतम प्रबंधन के लिये किये गये : शून्य।
- वर्ष 2014-15 के प्रशासकीय तथा कार्यालय के खर्च, कुल खर्च के 13.99% (पिछले वर्ष 4.30%) रहे। और वर्ष 2014-15 के वित्तीय खर्च के प्रतिशत के तौर पर 14.61% (पिछले वर्ष 4.32%) हैं।
- गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में अंगीकार/गैर अंगीकार सूचना यहां दी जा रही है :

5. Disclosures

- There are no materially significant transactions with related parties i.e. promoters, Directors or the management conflicting with the Company's interest.
- The Company affirms that no personnel have been denied access to the Audit Committee.
- The Company has adopted suggested items to be included in the Report on Corporate Governance.
- There is no inter-se relationship between Directors of the Company.
- No penalties or strictures have been imposed on the company by any statutory authority, on any matter related to any guidelines issued by Government, during the last three years.

Additional disclosures as required under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by Department of Public enterprises.

- Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purpose of business: NIL
- Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management: NIL
- Administrative and office expenses as a percentage of total expenses for the year 2014-15 is 13.99% (Previous year 4.30%) and as a percentage of financial expenses for the year 2014-15 is 14.61% (Previous year 4.32%)
- Information on adoption/non-adoption of non-mandatory requirements is given hereunder :

i. निदेशक मंडल

कंपनी के प्रमुख प्रबंध निदेशक हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में सभी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष के लिये की गई थी और स्वतंत्र निदेशकों में से किसी का भी कुल मिला कर कार्यकाल नौ वर्ष की सीमा से अधिक नहीं रहा।

ii. पारिश्रमिक समिति

वित्तवर्ष 2010-11 में कंपनी की कोई पारिश्रमिक समिति थी ही नहीं। फिर भी डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुकूल एनएफडीसी के बोर्ड ने वार्षिक बोनस/वेरिफेबल पूल और अधिकारियों तथा गैर संघीय सुपरवाइजर्स के बीच निर्धारित सीमाओं के अनुकूल इसके वितरण के संबंध में नीति निर्धारण के लिये 21.06.2011 को एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया

iii. अंशधारकों के अधिकार :

आज की तारीख में हर अंशधारक को अर्धवार्षिक वित्तीय परफार्मेंस, जिनमें पिछले छह महीनों के महत्वपूर्ण इवेंट्स भी सम्मिलित हों, भेजने की कोई प्रणाली नहीं है।

iv. ऑडिट संबंधी योग्यता: लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

v. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण : आवश्यकता पर आधारित

vi. व्हिसलब्लोअर पॉलिसी

कंपनी द्वारा धोखाधड़ी रोकने संबंधी नीति' अपनाई गई है जिसके अंतर्गत धोखाधड़ी रोकने संबंधी व्यवस्था चाकचौबंद है जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाना, इसकी रोकथाम और रिपोर्ट सभी कुछ शामिल है। यह नीति किसी भी संदेहास्पद धोखाधड़ी जिसमें कोई कर्मचारी, स्टैकहोल्डर, सलाहकार, वेंडर, उधार लेने या देने वाला, ठेकेदार, कंपनी के साथ बिजनेस करने वाली बाहरी एजेंसियां, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारी और/अथवा कोई अन्य पार्टी जिसके कंपनी के साथ बिजनेस संबंध हों, संलग्न पाये जाने पर लागू होती है।

6. संपर्क साधन

कंपनी अपने अंशधारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट्स, आमसभा और वैंबसाइट के डिस्क्लोजर्स के जरिये संपर्क में रहती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हर वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी दी जाती हैं जिसमें ऑडिट किये हुए अकाउंट्स, निदेशकों की रिपोर्ट शामिल होती है। यह सभी सदस्यों तथा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के बीच वितरित की जाती है।

i. The Board

The Company is headed by a Managing Director. All the Independent Directors on the Board of the company were appointed for tenure of three years and none of the Independent Directors having/had tenure exceeding, in aggregate, a period of nine years.

ii. Remuneration Committee

There was no Remuneration Committee of the Company in the Financial Year 2010-11. However in accordance with the directions of DPE the Board of NFDC has constituted a Remuneration Committee on 21.06.2011 to decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executives and Non Unionized supervisors within the prescribed limits.

iii. Shareholders Rights

As of now there is no system of sending half yearly financial performance including summary of the significant events in the last six months to each shareholder.

iv. Audit Qualification: Auditors report annexed.

v. Training to Board Member : It is need based.

vi. Whistle Blower Policy

"Policy for Prevention of Frauds" is being adopted by the Company, wherein a Whistle Blower mechanism is in place for detection, prevention and reporting of fraud. This policy applies to any fraud of suspected fraud involving employees as well as stakeholder, consultants, vendors, lenders, borrowers, contractors, outside agencies doing business with the Company, employees of such agencies, and/or any other parties with a business relationship with the Company.

6. Means of Communication

The Company communicates with its shareholders through its Annual Reports, General Meeting and Disclosures through website. All important information pertaining to the Company is also mentioned in the Annual Report for each financial year containing inter alia Audited Accounts, Directors Report, Auditors Report which is circulated to the members and others entitled thereto.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

हमने 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (द कंपनी) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उन शर्तों के अनुपालन संबंधी वक्तव्यों की जांच की है जिनकी अपेक्षा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा निर्देशों के क्लॉज 8.2.1 के अंतर्गत की जाती है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारे द्वारा किया गया परीक्षण कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के लिये अपनाये गये तरीकों और उन्हें लागू करने की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षण है और न ही कंपनी की वित्तीय स्थिति के प्रति प्रकट की गयी राय है।

हमारी राय, हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उन शर्तों का अनुपालन किया है जिनकी अपेक्षा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा निर्देशों के क्लॉज 8.2.1 के अंतर्गत की जाती है।

हम आगे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह अनुपालन न तो कम्पनी की भावी संचालन क्षमता का आश्वासन है और न ही कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता है जिससे प्रबंधन कम्पनी की गतिविधियों को संचालित करता है।

कृते सी.बी.छाजेड़ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 101796डब्ल्यू

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10 जुलाई 2015

सी. पी. भाटिया
साझेदार
मैबरशिप नं.045210

Auditors' Certificate on Corporate Governance

To,
The Member
National Film Development Corporation Limited

We have examined the compliance of condition of Corporate Governance by National Film Development Corporation Limited, ("the Company") for the year ended 31st March 2015 as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs)

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination has been limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the company, for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs)

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For C. B. Chhajed & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn No. : 101796W

C. P. Bhatia
Partner
Membership No : 045210

Place : Mumbai
Dated : 10 July 2015

दिनांक 31 मार्च 2015 का तुलन पत्र

Balance Sheet as at 31st March 2015

राशि रुपयों में

Amount in ₹

विवरण	Particulars	टिप्पणी	31.03.2015 को	31.03.2014 को
		Notes	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
इक्विटी और देयताएं	EQUITY AND LIABILITIES			
अंशधारकों की निधि	Shareholders' Funds			
(क) अंश पूंजी	(a) Share Capital	3	45,39,98,500	45,39,98,500
(ख) संचय एवं अधिशेष	(b) Reserves and Surplus	4	(35,07,20,506)	(25,82,80,786)
गैर चालू देयताएं	Non-Current Liabilities			
(क) दीर्घकालिक उधार	(a) Long Term Borrowings	5	1,81,39,488	90,78,689
(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	(b) Other Long-Term Liabilities	6	36,78,812	9,34,20,435
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	(c) Long-Term Provisions	7	6,58,40,362	5,74,78,823
चालू देयताएं	Current Liabilities			
(क) अल्पकालिक उधार	(a) Short Term Borrowings	8	6,35,82,564	—
(ख) व्यापारिक देय	(b) Trade Payables	9	16,35,46,996	20,70,78,195
(ग) अन्य चालू देयताएं	(c) Other Current Liabilities	10	69,07,65,854	1,03,44,29,493
(घ) अल्पकालिक प्रावधान	(d) Short-Term Provisions	11	3,04,89,735	2,30,40,062
कुल	TOTAL		1,13,93,21,805	1,62,02,43,411
परिसम्पत्तियां	ASSETS			
गैर चालू परिसम्पत्तियां	Non-Current Assets			
(क) स्थायी परिसम्पत्तियां	(a) Fixed Assets			
वास्तविक परिसम्पत्तियां	Tangible Assets	12	6,90,16,059	4,32,32,429
अवास्तविक परिसम्पत्तियां	Intangible Assets		4,22,550	265
पूंजीगत कार्य जारी	Capital Work-in-Progress		2,30,167	1,58,19,975
(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	(b) Long-Term Loans and Advances	13	1,18,54,026	95,18,819
चालू परिसम्पत्तियां	Current Assets			
(क) सम्पत्ति सूची	(a) Inventories	14	14,68,835	7,68,472
(ख) व्यापारिक प्राप्तियाँ	(b) Trade Receivables	15	20,03,36,641	25,47,58,071
(ग) रोकड़ और बैंक शेष	(c) Cash and Bank Balances	16	54,78,75,243	98,03,20,001
(घ) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	(d) Short-Term Loans and Advances	17	29,19,52,667	29,42,32,301
(ङ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(e) Other Current Assets	18	1,61,65,617	2,15,93,077
कुल	TOTAL		1,13,93,21,805	1,62,02,43,411

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Significant Accounting Policies

2

टिप्पणी संख्या 1 से 49 तक वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं

Notes 1 to 49 are integral part of Financial Statement

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

For and on behalf of Board of Directors

कृते सी.बी. छाजेड़ एण्ड कम्पनी
संनदी लेखाकार
एफआरएन 101796 डब्ल्यू

For C. B. Chhajed & Co.
Chartered Accountants
FRN 101796W

नीना लाठ गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं
00350722

Nina Lath Gupta
Managing Director
DIN No. 00350722

के. संजय मूर्ति
निदेशक
डीआईएन नं
03532374

K. Sanjay Murthy
Director
DIN No. 03532374

सी.पी.भाटिया
साझेदार
सदस्य क्र. 045210

C. P. Bhatia
Partner
M.No. 045210

सी.पी.गुप्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
स.क्र. एसीएमए 16416

C. P. Gupta
Chief Financial Officer
M.No. ACMA16416

इ.जे. पॉल
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 4521

E. J. Paul
Company Secretary
M.No. FCS 4521

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10 जुलाई 2015

Place : Mumbai
Dated : 10 July 2015

दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण

राशि रुपयों में **Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2015** Amount in ₹

विवरण	Particulars	टिप्पणी	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14
		Notes	Year 2014-15	Year 2013-14
आय	INCOME			
प्रचलन से आय	Revenue from Operations	19	27,62,66,436	1,16,61,35,987
अन्य आय	Other Income	20	6,99,89,911	10,31,95,084
कुल	TOTAL		34,62,56,347	1,26,93,31,071
व्यय	EXPENSES			
प्रचलित व्यय	Operating Expenditure	21	25,74,02,088	1,13,14,36,764
सम्पत्ति सुची में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventory	22	(8,06,601)	(2,08,442)
कर्मचारी लाभ व्यय	Employee Benefits Expenses	23	8,98,26,636	9,26,33,554
अन्य व्यय	Other Expenses	24	6,01,06,964	5,53,51,486
वित्तीय लागत	Finance Cost	25	48,98,210	8,58,150
मूल्य -हास एवं परिशोधन	Depreciation and Amortisation		1,82,28,398	84,88,201
कुल	TOTAL		42,96,55,695	1,28,85,59,714
असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि)	PROFIT/(LOSS) BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS AND TAX		(8,33,99,348)	(1,92,28,642)
असाधारण मदें	Exceptional Items	26	22,39,011	1,28,35,782
कर पूर्व लाभ/(हानि)	PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX		(8,56,38,359)	(3,20,64,423)
घटाईये: कर व्यय	Less : Tax Expense			
चालू कर	Current Tax		—	—
आस्थगित कर	Deferred Tax		—	—
पूर्व वर्ष के लिए आय का प्रावधान	Income Tax Provision for Earlier Years		1,77,88,850	—
जोड़िए: पूर्व वर्ष के अतिरिक्त मॅट वापिस	Add : Excess MAT Provision of Earlier Year Written Back		1,14,90,000	—
कर पश्चात लाभ/(हानि)	PROFIT/(LOSS) AFTER TAX		(9,19,37,209)	(3,20,64,423)
प्रति इक्विटी शेयर आय :	Earnings Per Equity Share :			
(1) मूल	(1) Basic		(20.25)	(7.06)
(2) तनुकृत	(2) Diluted		(20.25)	(7.06)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Significant Accounting Policies

2

टिप्पणी संख्या 1 से 49 तक वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं

Notes 1 to 49 are integral part of Financial Statement

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

For and on behalf of Board of Directors

कृते सी.बी. छाजेड़ एण्ड कम्पनी
संनदी लेखाकार
एफआरएन 101796 डब्ल्यू

For C. B. Chhajed & Co.
Chartered Accountants
FRN 101796W

नीना लाठ गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं
00350722

Nina Lath Gupta
Managing Director
DIN No. 00350722

के. संजय मूर्ति
निदेशक
डीआईएन नं
03532374

K. Sanjay Murthy
Director
DIN No. 03532374

सी.पी.भाटिया
साझेदार
सदस्य क्र. 045210

C. P. Bhatia
Partner
M.No. 045210

सी.पी.गुप्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
स.क्र. एसीएमए 16416

C. P. Gupta
Chief Financial Officer
M.No. ACMA16416

इ.जे. पॉल
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 4521

E. J. Paul
Company Secretary
M.No. FCS 4521

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10 जुलाई 2015

Place : Mumbai
Dated : 10 July 2015

दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण

Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2015

राशि रुपयों में

Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15		वर्ष 2013-14	
		Year 2014-15		Year 2013-14	
प्रचलन गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह	I. Cash Flows from Operating Activities				
कराधान तथा असाधारण मदों के पहले शुद्ध लाभ	Net Profit Before Taxation and Extraordinary Items		(8,56,38,359)		(3,20,64,423)
(क) समंजन हेतु	(a) Adjustments for				
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	Loss/(Profit) on Sale of Fixed Assets	(10,22,335)		(3,285)	
मूल्य -हास और हानि	Depreciation & Impairment	1,82,28,398		84,88,201	
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts	–		8,05,064	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले	Bad Debts Written off	–		9,18,906	
सेवा कर बट्टे खाते में डाले	Service Tax Written off	–		1,10,68,433	
मूल्य वर्धित कर बट्टे खाते में डाले गये	Value Added Tax Written off	22,39,011		17,67,348	
जमा शेष बट्टे खाते में डाले	Credit Balance Written off	–		(1,46,157)	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान वापिस	Write Back of Provision for Bad and Doubtful Debts	(1,41,642)		–	
व्याज आय	Interest Income	(5,45,88,267)		(8,50,54,469)	
स्थायी परिसम्पत्तियां बट्टे खाते में डाले गये	Fixed Assets Written Off	21,83,313		–	
व्याज व्यय	Interest Expenses	48,98,210		8,58,150	
कुल (क)	Total of (a)		(2,82,03,312)		(6,12,97,808)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पहले प्रचलित रोकड़	Operating Cash Profit Before Working Capital Changes		(11,38,41,672)		(9,33,62,231)
(ख) समंजन हेतु	(b) Adjustments for				
सम्पत्ति सूची में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	(7,00,363)		(2,08,442)	
विविध देनदारों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Sundry Debtors	5,45,63,073		34,98,35,325	
दीर्घ कालिक ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Long Term Loans & Advances	(23,35,207)		6,37,049	
अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short Term Loans & Advances	1,26,56,101		11,56,99,959	
विविध लेनदारों में (वृद्धि)/कमी	Increase/(Decrease) in Sundry Creditors	(4,35,31,199)		(1,04,39,67,175)	
दीर्घ कालिक देयताएं व प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	Increase/(Decrease) in Long Term Liabilities & Provision	(8,13,80,084)		(7,13,42,765)	
अल्पावधिक देयताएं व प्रावधान में (वृद्धि)/कमी	Increase/(Decrease) in Short Term Liabilities & Provision	(34,59,46,263)		1,43,86,693	
कुल (ख)	Total of (b)		(40,66,73,942)		(63,49,59,356)
प्रचलनों द्वारा उत्पन्न रोकड़	Cash Generated from Operations		(52,05,15,614)		(72,83,21,586)
आयकर (भुगतान) कुल रिफंड	Income Tax (Paid)/Refund - Net		(1,26,15,478)		81,82,463
असाधारण मदों के पूर्व रोकड़ प्रवाह	Cash Flows Before Extraordinary Item		(53,31,31,092)		(72,01,39,123)
प्रचलन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ (क)	Net Cash from Operating Activities (A)		(53,31,31,092)		(72,01,39,123)

दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण

Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2015

राशि रुपयों में

Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15		वर्ष 2013-14	
		Year 2014-15		Year 2013-14	
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	II. Cash Flows from Investing Activities				
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchases of Fixed Assets	(3,25,01,278)		(1,80,18,984)	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	19,93,285		70,727	
बैंक डिपोजिट	Bank Deposit	6,84,94,254		33,64,68,460	
ब्याज प्राप्त	Interest Received	6,00,15,727		8,58,53,247	
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध रोकड़ (ख)	Net Cash used in Investing Activities (B)		9,80,01,987		40,43,73,450
वित्तीय गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह	III. Cash Flows from Financing Activities				
दीर्घकालिक उधार	Long Term Borrowings	1,14,28,878		1,07,49,066	
अल्पावधिक उधार	Short Term Borrowings	6,35,82,564		-	
ब्याज भुगतान	Interest paid	(38,32,842)		(7,49,763)	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ (ग)	Net Cash from Financing Activities (C)		7,11,78,600		99,99,303
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों पर शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)	Net Increase in Cash and Cash Equivalents (A + B + C)		(36,39,50,505)		(30,57,66,370)
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का प्रारम्भिक शेष	Opening Balance of Cash and Cash Equivalents		79,27,60,388		1,09,85,26,758
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का अंतिम शेष	Closing Balance of Cash and Cash Equivalents		42,88,09,884		79,27,60,388
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों के पूरक	Component of Cash and Cash Equivalents				
बैंक में शेष	Balances with Banks				
चालू खाते में	In Current Account	1,09,60,062		8,98,32,422	
3 महिनों से कम की मूल मैच्युरिटी के साथ सावधि जमा	Fixed Deposits with original maturity of less than 3 months	41,78,27,942	42,87,88,004	70,28,42,089	79,26,74,511
रोकड़ बाकी	Cash on Hand		21,880		85,877
कुल रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी सं 16)	Total Cash and Cash Equivalents (Note No.16)		42,88,09,884		79,27,60,388

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

For and on behalf of Board of Directors

कृते सी.बी. छाजेड़ एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101796 डब्ल्यू

For C. B. Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN 101796W

नीना लाठ गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं
00350722

Nina Lath Gupta
Managing Director
DIN No. 00350722

के. संजय मूर्ति
निदेशक
डीआईएन नं
03532374

K. Sanjay Murthy
Director
DIN No. 03532374

सी.पी.भाटिया
साझेदार
सदस्य क्र. 045210

C. P. Bhatia
Partner
M.No. 045210

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10 जुलाई 2015

Place : Mumbai
Dated : 10 July 2015

सी.पी.गुप्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सं.क्र. एसीएमए 16416

C. P. Gupta
Chief Financial Officer
M.No. ACMA16416

इ.जे. पॉल
कम्पनी सचिव
सं.क्र. एफसीएस 4521

E. J. Paul
Company Secretary
M.No. FCS 4521

लेखाओं पर टिप्पणियां

टिप्पणी 1. कॉर्पोरेट सूचना

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (द कम्पनी) भारत स्थित एक पब्लिक कम्पनी है जिसकी स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। कम्पनी फीचर तथा ऑडियो - विज्युअल फिल्मों एवं मीडिया अभियान सहित फिल्मों का निर्माण, वितरण, विकास एवं बढ़ावा देने के कार्य में संलग्न है। निगम का मुख्यालय मुम्बई में तथा नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर सुनिश्चित की जाने वाली आर्थिक नीतियों एवं उद्देश्यों के अंतर्गत फिल्म उद्योग का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास तथा प्रभावशाली उन्नयन करने के लिये की गई थी। पिछले वर्षों में निगम ने 20 भारतीय भाषाओं में 300 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण किया अथवा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया।

टिप्पणी 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां।

(क) लेखाओं का आधार तथा अनुमानों का उपयोग।

1. वित्तीय विवरणों को हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत, अकाउंटिंग के एक्युरल आधार तथा भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, कंपनी (लेखा मानकों) द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों तथा तत्संबंधी कंपनी अधिनियम 2013 (द एक्ट) के धारा 133, जिसे कंपनीज (लेखाओं) अधिनियम 2014 नियम 7 के साथ पढ़ा जाय, के उन प्रावधानों के साथ सभी तथ्यों के अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है।
2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित है कि प्रबंधन उस पर अनुमान और कल्पना करे कि रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियां तथा देयताएं और आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरण की तारीख और प्रचालनों के परिणाम रिपोर्टधीन वर्ष के अंत में हैं। यद्यपि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान घटनाओं एवं क्रियाओं के संबंध में अच्छी जानकारी पर आधारित हैं फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(ख) राजस्व तथा तत्संबंधी व्यय की मान्यता

- ख.1 लागत का परिशोधन
फिल्म्स, प्रिंट्स, टी.वी. अधिकार, स्वकीय फिल्मों का निर्माण, अधिगृहीत फिल्मों तथा फिल्मों के सहनिर्माण में कॉर्पोरेशन का अंश
- ख.1.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले यदि फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिये रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की संपूर्ण निर्माण/अधिग्रहण लागत को लाभ/हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है। अगर फिल्म पूरी हो गई है लेकिन वर्ष के दौरान रिलीज के लिये तैयार नहीं हुई है तो उस की संपूर्ण लागत/अधिग्रहण को सम्पत्ति सूची में दर्शाया जाता है।
- ख.2. भारतीय टी.वी. धारावाहिकों की निर्माण लागत/अधिगृहीत कार्यक्रमों और फिल्मों के खरीदे गये टी.वी. अधिकारों के पूर्ण रूप से की लागत को उसी वित्तीय वर्ष में चार्ज किया जाता है जिस वर्ष में उन फिल्मों/धारावाहिकों का पहला प्रदर्शन होता है अथवा अधिकार समाप्त होते हैं, इनमें से जो पहले हो।
- ख.3. कंपनी द्वारा खरीदे गये टी.वी. अधिकारों के लिये ऐसी स्थिति में जहां टी.वी. पर फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई और उनके लिये भुगतान किया जा चुका है तो उस भुगतान राशि को अग्रिम के रूप में माना जाता है। चूंकि वास्तविक देयता तो करार की शर्तों के अनुसार टेलीकास्ट होने पर लागू होती है इसलिये उनके भुगतान न किये अधिगृहीत मूल्य के लिये कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।
- ख.4. फिल्म निर्माण/सिनेमा उपकरण खरीद/सिनेमागृह निर्माण आदि के गैर निष्पादन ऋणों के ब्याज को प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य माना हो, उस सीमा तक आय में लिया जाता है और जब तक वह मूल राशि के बराबर न हो जाय और उसके आगे कोई जमा नहीं दिखाई जाती जब तक कि वह वास्तविक रूप से वसूल न हो जाय।
- ख.5. विभिन्न मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से प्रदर्शित मीडिया अभियान के सिलसिले में हुए आय और व्यय को उसी वर्ष में परिस्वीकृत किया जाता है जिस वर्ष में संबंधित विज्ञापन अथवा व्यापारिक स्पोट जनता के लिये प्रदर्शित अथवा ब्रॉडकास्ट किये गये हों और जिनके संबंध में एजेंसी को चैनल/सिनेमाघर/वेबसाइट से सफलतापूर्वक टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट की सूचना मिल गई हो। वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किये गये अभियान जो अगले वित्तीय वर्ष में पूरे हुए हों उन्हें क्रमानुसार वित्तीय वर्ष में ही उस वर्ष में टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट किये गये विज्ञापनों अथवा व्यापारिक स्पोट्स के आधार पर ही परिस्वीकृत किया जाता है।

Notes on Accounts

Note 1. Corporate Information

National Film Development Corporation Limited ("the Company") is a public company domiciled in India and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956. The Company is engaged in production, distribution, development and promotion of films, including feature and audio-visual films and media campaigns. The Company has its Head Office in Mumbai and Regional offices at New Delhi, Chennai and Kolkata.

The Company was set up with the objective to plan, promote and organize an integrated and efficient development of the film industry in accordance with the national economic policy and objectives laid down by the Central Government from time to time. Over the years, NFDC has funded/produced more than 300 films in twenty Indian languages.

Note 2. Significant Accounting Policies

(A) Basis of Accounting and Use of Estimates.

1. Financial statements are prepared under the historical cost convention, on accrual basis of accounting in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rule, 2014.
2. The preparation of financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the Revenue and Expenditure of operations during the end of the reporting period. Although these estimates are based upon the management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

(B) Recognition of Revenue and related expenses

- B.1 Amortization of cost of:
Films, prints, TV rights, own production of films, taken over films and Corporation's share in co-production of films.
- B.1.1 Where the film is ready for release for exhibition on Commercial basis before the close of the financial year, the entire cost of production/acquisition of the films is charged to the Statement of Profit and Loss. Where the film is completed but not ready for release during the year, the entire cost of production/acquisition is shown as inventory.
- B.2 Cost of production of Indian Television serials/acquired programme and films purchased for TV rights are charged off in the financial year in which the first telecast of such films/serials takes place or in the financial year, in which the rights expired, whichever is earlier.
- B.3 Rights in films for distribution through Television acquired by the Company wherein no telecast is made are accounted as advance to the extent of the amounts paid thereof. No provision is made for the unpaid acquisition price thereof, since actual liability shall arise only in the event of telecast as per terms of the agreement.
- B.4 Interest on loans for Films and Purchase of Equipment/Construction of theatres is accrued and accounted in the income only to the extent equal to principal amount and no further credits are recognized thereafter unless the same is actually realized.
- B.5 Revenue and Expense in respect of Media Campaigns released on behalf of various ministries/clients are recognized in the year in which the related advertisement or commercial spots are telecast/broadcast/appear before the public and in respect of which necessary intimation is received by the agency from the channel/theatre/website for successful telecast/broadcast. Campaigns commencing in a financial year and concluding in next financial year are recognized in the respective financial years on the basis of advertisement or commercial spots telecasted/broadcasted during that year.

- ख.6. विभिन्न मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से वर्ष के दौरान लिये गये गैर फीचर फिल्म निर्माण के आय व्यय को तब तक मान्य नहीं किया जाता जब तक ग्राहक प्रॉडक्ट को स्वीकार न कर लें या ग्राहकों की ओर से उस ट्रांसक्शन को स्वीकार कर लेने जैसी कोई कार्यवाही न कर दी जाय।
- ख.7. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ तथा इनमें से 31.03.2015 तक हुए व्यय को निवल आधार पर तुलन पत्र में दीर्घकालीन देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण का वास्तविक व्यय सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित सीमा तक तथा वर्ष के अंत तक अपूर्ण इन फिल्मों के सीधे व्ययों को सम्पत्ति सूची में दर्शाया जाता है। प्राप्त राशि तथा सम्बंधित फिल्मों के निर्माण पर व्यय फिल्म के रिलीज होने पर क्रमशः आय और व्यय में दर्शाया गया है। फिल्म के रिलीज के लिए तैयार हो जाने पर निगम अपनी आय के लिए कुल निर्माण लागत का 10% अपने निर्माण फीस के रूप में चार्ज करता है।
- ख.8. सेवा परियोजनाओं से प्राप्त आय को वस्तुतः आधार पर मान्य किया जाता है।

(ग) स्थायी परिसंपत्तियां तथा मूल्य ह्रास/परिशोधन

- ग.1. स्थायी परिसंपत्तियों की मूल लागत (सकल ब्लॉक) से संचित मूल्य-ह्रास को घटा कर दर्शायी गई है। अधिग्रहण की कीमत अथवा निर्माण में परिवहन शुल्क, महसूल, कर, अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक खर्च, स्थापना अथवा निर्माण व्यय, आरोप्य व्यय और वित्तीय खर्च आदि को तब तक शामिल किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां निर्दिष्ट उपयोग के लिये बन कर तैयार न हो जाएं।
- ग.2. परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची क्रमांक 2 में दरों पर शेष घटाव' पद्धति के अनुसार किया जाता है जब तक कि नीचे कहा न जाय।
- ग.3. पट्टे की भूमि का पट्टे की समयावधि तक ही परिशोधन किया जाता है।
- ग.4. मुख्य संयंत्र एवं मशीनरी के तहत ऑडिओ - विज्युअल तकनीकी उपकरण पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दिया गया है।
- ग.5. मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूंजी में परिणत मूल्य के 95% तक लिया जाता है। बाकी का 5% एक्ट के अनुरूप अंशोद्धार मूल्य के रूप में रखा जाता है।
- ग-6. मूल्य ह्रास उनकी अनुवृद्धि अथवा बिक्री की तारीख से, जैसा भी केस हो, यथाअनुपात आधार पर उपलब्ध कराया गया है।
- ग.7. जिन परिसंपत्तियों का उपयोग उनकी अनुमानित जीवनावधि से अधिक समय तक किया जा रहा हो उनका 1 अप्रैल 2014 को कार्यान्वित मूल्य, अवशिष्ट मूल्य का निर्धारित मूल्य अधिशेष के प्रारम्भिक शेष में समझन कर दिया गया है। अन्य परिसंपत्तियों का एक्ट के अनुसूची 2 के अनुरूप, 1 अप्रैल 2014 को कार्यान्वित मूल्य का परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मूल्यह्रास कर दिया गया है।
- ग.8. फिल्म निर्माण तथा अन्य विशेष परियोजनाओं, जिनमें फेस्टिवल्स और मार्केट्स भी शामिल हैं, के लिये खरीदी गयी परिसंपत्तियों का अवमूल्यन 100 % की दर से होगा। जिन परिसंपत्तियों का अवमूल्यन 100 % की दर से किया गया उनकी वास्तविक गणना के लिये ₹ 1/- की अवशेष कीमत बनाये रखी गई।
- ग.9. जो फिल्में पूरी हो गईं लेकिन जिनके अधिकार बेचे नहीं गये, उनमें से प्रत्येक की कीमत नाममात्र ₹ 1/- दिखाई गयी है।

(घ) परिसंपत्तियों का हानिकरण/क्षति

परिसंपत्तियों के हानिकरण के लेखा मानक 28 (ए एस-28) के अनुरूप, जहां कहीं भी कंपनी की परिसंपत्तियों के हानिकरण का संकेत है, कंपनी की परिसंपत्ति की राशि का हर तुलनपत्र में पुनरीक्षण किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह आंतरिक अथवा बाह्य कारणों पर आधारित है। यदि क्षति के कारण कोई नुकसान हुआ हो तो उसका उल्लेख लाभ - हानि के विवरण में किया जाता है बशत कि प्रतिप्राप्ति परिसंपत्ति की आगे लायी गई राशि इसकी अनुमानित प्रति प्राप्ति राशि से अधिक हो। परिसंपत्ति की प्रतिप्राप्ति राशि का अनुमान इसके शुद्ध उच्चतम विक्रय मूल्य तथा उपयोग में आ रही कीमत से लगाया जाता है। उपयोग में आ रही कीमत का अनुमान लगाते समय भविष्य के अनुमानित रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का पूंजी के औसतन मूल्य के अनुसार डिस्काउंट कर दिया जाता है। हानिकरण के बाद परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान कर दिया जाता है। इसके पहले की स्वीकृत हानिकरण/क्षति का परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार प्रावधान कर दिया जाता है या उसे पीछे ले लिया जाता है।

- B.6 Revenue and Expense in respect of Non-Feature Films produced during the year on behalf of various ministries/clients are not recognized until the goods have been formally accepted by the client or the client has done an act adopting the transaction.
- B.7 The funds received from the Govt. of India for Film Production in various Indian languages and the expenditure incurred up to 31.03.2015 out of the same is shown on net basis under other long term liabilities in the Balance Sheet. The actual expenditure incurred on production of films in various Indian languages that are incomplete at the year end and to the extent certified by Chartered Accountants is shown as Inventory. The amount received and the expenditure incurred on production of respective films is shown as Income and Expenditure respectively when the Film is ready for release. The Company accounts for its income by way of Production Fee at 10% of the cost of production of such films when the film is ready for release.
- B.8 Income from Service Projects is recognized on Accrual basis.

(C) Fixed Assets and Depreciation/Amortisation

- C.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition or construction less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses. Cost of acquisition or construction is inclusive of freight, duties, taxes, incidental expenses relating to acquisition, cost of installation/erection, attributable interest and financial cost till such time assets are ready for its intended use.
- C.2 Depreciation on assets has been provided on the "Written Down Value" based on useful life of the assets as prescribed under of Schedule II of the Companies Act, 2013 unless otherwise stated below.
- C.3 Leasehold land is amortized over the period of lease.
- C.4 Depreciation in respect of audio-visual technical equipments under the head Plant and Machinery has been provided on the Straight Line Method.
- C.5 Depreciation on tangible fixed assets is charged upto 95% of capitalized value, retaining the balance 5% as salvage value as per the Act.
- C.6 Depreciation has been provided on pro-rata basis from the date of addition/up to the date of sale as the case may be.
- C.7 For assets which have been in use for more than the prescribed life, the carrying value, net of residual value, as at April 1, 2014 has been adjusted to opening balance of Surplus and in other assets the carrying value as at April 1, 2014 has been depreciated over the remaining period of useful life of the assets as per Schedule II of the Act.
- C.8 Assets purchased for film production and other special projects including festivals and markets are depreciated @ 100% and resulting depreciation is charged to film production and other special project. In the case of assets depreciated @ 100%, a residual cost of Re. 1/- is maintained in the fixed assets register for inventory purposes.
- C.9 Completed films for which rights have not been sold out are valued at a nominal value of ₹ 1/- each.

(D) Impairment of Assets

In accordance with Accounting Standard 28 (AS 28) "Impairment of Assets," where there is an indication of impairment of the Company's assets, the carrying amounts of the Company's assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any impairment based on internal/external factors. An impairment loss, if any, is recognized in the Statement of Profit and Loss, wherever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount. The recoverable amount of the assets is estimated at its net selling price or its value in use, whichever is higher. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present value at the weighted average cost of capital. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the assets over its remaining useful life. Previously recognized impairment loss is further provided or reversed depending on changes in circumstances.

(ड) विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देनों का लेखा रिपोर्टिंग मुद्रा की राशि पर लागू लेन देन की तारीख विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। सभी मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं तुलनपत्र की तारीख के दिन लागू विनिमय दरों के अनुसार पुनर्व्यक्त की जाती हैं। विनिमय दरों में आने वाले अंतर को लाभ अथवा हानि के विवरण में चार्ज/क्रेडिट कर दिया जाता है। गैर मौद्रिक आइटम्स जो ऐतिहासिक मूल्य के तौर पर विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित किये जाते हैं, वे विनिमय की तारीख को चल रहे विनिमय दरों के अनुसार रिपोर्ट किये जाते हैं।

(च) संपत्ति सूची

च.1. संपत्ति सूची में डीवीडी तथा सोना शामिल है

च.2. सिनेमाज ऑफ इंडिया लेबल के अंतर्गत वीडियो कैसेट्स के स्टॉक तथा डीवीडी का मूल्यांकन लागत के निचले स्तर तथा शुद्ध प्राप्त करने योग्य मूल्य पर किया गया है। लागत का निर्धारण एफ आईएफओ पद्धति के अनुरूप किया गया है।

च.3. स्वर्ण को ऐतिहासिक लागत पर आंका गया है।

(छ) कराधान

चालू करों के लिये प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिस्वीकृत लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है। आस्थगित कर जो खातों तथा करयोग्य लाभ के बीच टाइमिंग डिफरेंस का नतीजा होता है, उसका तुलनपत्र में लेखा बाद में निर्धारित किये गये नियमों तथा कर की दरों अनुरूप कर दिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियां जो हानि को आगे लाये जाने तथा असमाविष्ट मूल्यह्रास से होती हैं उन्हें केवल उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की वास्तविक सुनिश्चितता होती है कि परिसंपत्ति को भविष्य में वसूल किया जा सकता है।

(ज) प्रतिअंश आय

प्रति इक्विटी शेयर की आय (प्रारंभिक/वर्तमान) को इक्विटी अंशधारकों को वर्ष के लिये शुद्ध लाभ एवं हानि (देय करों को घटा कर) में वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभक्त करके आकलित किया जाता है।

(झ) कर्मचारियों के लाभ

1) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के कर्मचारियों की भविष्य निधि, जो सरकार के भविष्य निधि फंड तथा कर्मचारी कल्याण फंड के अंतर्गत संचालित की जाती है, को परिभाषित अंशदान योजना माना जाता है। इन परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी द्वारा दे दिये गये अथवा देय अंशदान उस अवधि में, जब कर्मचारी संबंधित सेवा में कार्यरत है, लाभ तथा हानि लेखाओं में 'व्यय' के तौर पर मान्य किये गये हैं। उक्त फंड से फायदा पाने वाले को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले ब्याज की दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है। विनियोग से मिलने वाले मुनाफे और ब्याज दर के बीच अगर कोई अंतर हो तो उस कमी की भरपाई करने का कंपनी पर कोई नैतिक बंधन नहीं है।

2) परिभाषित हितकारी योजना

गेचुइटी अथवा लंबे समय तक मुआवजा प्राप्त अनुपस्थिति जैसी कंपनी की बाध्यताओं को परिभाषित बनेफिट योजना माना जाता है। इन परिभाषित हितकारी योजनाओं के अंतर्गत इनका वर्तमान मूल्य प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड' के द्वारा विशेषज्ञ द्वारा आंके गये मूल्य' के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है जिसमें सेवा की हर अवधि को कर्मचारी को लाभ की एक अतिरिक्त यूनिट के हकदार के रूप में मान्य किया जाता है तथा अंतिम अनुग्रह के लिए हर यूनिट को अलग गिना जाता है। हानि तथा लाभ के विवरण में आंके गये लाभ अथवा हानि को तुरंत मान्य कर लिया जाता है। कंपनी के अनुग्रहों को अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह की वर्तमान कीमत से मापा जाता है जिसमें बट्टा काटने की दर का प्रयोग किया जाता है। बट्टा काट की दर का निर्धारण सरकारी प्रतिभूतियों में तुलनपत्र की तारीख में बाजार की अनुकूलता के संदर्भ से किया जाता है।

(ड) पट्टे

संचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टों के भुगतान को लाभ तथा हानि के विवरण में पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्य किया जाता है

(E) Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign exchange are accounted for at the date of transaction. Foreign currency monetary items of assets & liabilities are reported using exchange rates prevailing at the close of the year and exchange difference arising there from is charged/credited to the Statement of Profit and Loss. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

(F) Inventories

F.1 Inventories include DVDs and Gold.

F.2 Inventory of video-cassettes and DVDs under Cinemas of India label have been valued at lower of cost and net realizable value, cost is determined as per FIFO method.

F.3 Gold is valued at historical cost.

(G) Taxation

Provision for current tax is made after taking into consideration benefit admissible under the provisions of Income Tax Act, 1961. Deferred tax resulting "timing differences" between book and taxable profit is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realized in future.

(H) Earning Per Share

Earning Per equity share (Basic/Diluted) is calculated by dividing the Net Profit or Loss for the year attributable to Equity Shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of Equity Shares outstanding during the year.

(I) Employee Benefits

1) Defined Contribution Plan

The Company's Employee's Provident Fund administered through Government Provident Fund and Labour Welfare Fund are considered as Defined Contribution Plans. The Company's contributions paid/payable towards these defined contributions plan are recognized as expense in the Statement of Profit and Loss during the period in which the employee renders the related service. The interest rate payable by the said funds to the beneficiaries every year is being notified by the Government. The Company has no obligation to make good the shortfall, if any between the return from the investment and the interest rate.

2) Defined Benefit Plan

Company's liabilities towards gratuity, long term compensated absences are considered as Defined Benefit Plans. The present value of the obligations under such Defined Benefit Plans are determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognizes each period of service as giving rise to an additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. Actuarial gains and losses are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss. The obligation is measured at the present value of estimated future cash flows using a discount rate that is determined by reference to market yields at the balance sheet date on Government securities.

(J) Leases

Lease transactions under operating lease are recognized as an expense or Income in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

(त) प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं

प्रावधान वे देयताएं हैं जिन्हें सिर्फ विशिष्ट अनुमान स्तर को प्रयुक्त करके आंका जा सकता है। उन्हें हर एक तुलनपत्र की दिनांक पर दर्शाया जाता है तथा चालू प्रबंधन आकलन पर परावर्तित करके समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देयताएं उपयुक्त अनुगृहीत मामलों में प्रकट हो सकती हैं जहां संसाधन की गति की संभावना निश्चित नहीं है अथवा दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन बनाया नहीं गया है।

(K) Provisions and Contingencies

Provisions are liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Contingent liability is disclosed in case of possible obligation where the probability of outflow of resources is not certain or where reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

टिप्पणी 3. शेयर पूंजी

Note 3. Share Capital

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2015 को	
		As at 31 March 2015		As at 31 March 2014	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
		Number	Amount	Number	Amount
प्राधिकृत	Authorised				
प्रत्येक 100/- प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100/-each	45,40,000	45,40,00,000	45,40,000	45,40,00,000
निर्गमित	Issued				
प्रत्येक 100/- प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100/- each	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
अनुमोदित और प्रदत्त	Subscribed & Paid up				
प्रत्येक 100/- प्रति के प्रदत्त इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100 each fully paid	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
कुल	Total	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31.03.2015 को इक्विटी शेयर्स		31.03.2014 को इक्विटी शेयर्स	
		Equity Shares as on 31.03.2015		Equity Shares as on 31.03.2014	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
		Number	Amount	Number	Amount
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the beginning of the year	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
वर्ष के दौरान आबंटन	Allotment during the year	—	—	—	—
वर्ष के अंत में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the end of the year	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500

5% से ज्यादा अंशधारकों का विवरण

Details of Shareholders holding more than 5% of shareholding

अंशधारक का नाम	Name of Shareholder	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		As at 31 March 2015		As at 31 March 2014	
		शेयर धारित सं.	धारक का प्रतिशत	शेयर धारित संख्या	धारक का प्रतिशत
		No. of Shares held	% of Holding	No. of Shares held	% of Holding
"भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली"	"President of India through Secretary Ministry of I&B, New Delhi"	45,39,983	99.999956%	45,39,983	99.999956%

उपर्युक्त सरकारी ऋण तथा उस पर उपार्जित व्याज को शेयर में परिवर्तन करने पर 28,40,000 शेयर्स आबंटित किये गये .

इक्विटी शेयर्स से संलग्न शर्तें/अधिकार
कम्पनी के पास प्रत्येक 100/- शेयर्स के सिर्फ एक श्रेणी के इक्विटी शेयर्स हैं. कम्पनी ने भारतीय रूपयों में लाभांश तथा भुगतान किया है.

Of the above 28,40,000 Shares are allotted in conversion of Government Loan and interest accrued thereon into Share Capital.

Terms/Rights attached to Equity Shares
The Company has only one class of equity shares having par value of 100/- per share. The Company declare and pays dividend in Indian Rupees.

टिप्पणी 4. संचय और अधिशेष

Note 4. Reserves and Surplus

राशि रूपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
(क) पूंजीगत संचय	(a) Capital Reserves	21,875	21,875
(ख) अन्य संचय	(b) Other Reserves		
विशेष संचय (निर्यात)	Special Reserve (Exports)	2,10,861	2,10,861
(ग) अधिशेष	(c) Surplus		
गत वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	Balance as per last financial statement	(25,85,13,522)	(22,64,49,099)
(-)/+ प्रारम्भिक प्रतिधारित आय के सामने मूल्य-हास समायोजन	(-)/+ Depreciation adjusted against opening retained earnings	(5,02,510)	—
(+) शुद्ध लाभ/(शुद्ध हानि) चालू वर्ष के लिए	(+) Net Profit/(Net Loss) for the current year	(9,19,37,209)	(3,20,64,423)
अंतिम शेष	Closing Balance	(35,09,53,242)	(25,85,13,522)
कुल	Total	(35,07,20,506)	(25,82,80,786)

टिप्पणी 5. दीर्घकालिक ऋण

Note 5. Long Term Borrowings

राशि रूपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	गैर चालू		चालू	
		Non-Current		Current	
		31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014	As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
सुरक्षित	Secured				
बैंक द्वारा आवधिक ऋण	Term Loan from Bank	1,81,39,488	90,78,689	40,38,456	16,70,377
घटाईएँ : अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत प्रकट राशि	Less : Amount disclosed under other current Liabilities	—	—	40,38,456	16,70,377
(टिप्पणी सं. 10)	(Note No.10)				
कुल	Total	1,81,39,488	90,78,689	—	—

क) चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय के सभी संयंत्र और मशीनरी और अन्य चल संपत्ति के अभिरक्षा में बंधक द्वारा चेन्नई में थियेटर के निर्माण हेतु सावधि ऋण लिया गया था उपरोक्त आवधिक ऋण @ 15.25% प्रति वर्ष व्याज किया जाता है तथा अप्रैल 2014 से ₹ 3,36,538/- प्लस व्याज के 78 समान किस्तों में प्रतिदेय है.

a) Term loan was taken for the purpose of construction of theater at Chennai, secured by hypothecation of all Plant and Machinery and other moveable assets of Chennai Regional Office. The said term loan carries interest @ 15.25% p.a. and is repayable in 78 equal instalments of ₹ 3,36,538/- plus interest starting from April 2014.

टिप्पणी 6. अन्य दीर्घकालिक देयताएं
Note 6. Other Long Term Liabilities

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars		31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
			As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम	A) Advance received from Ministry of Information and Broadcasting			
गत वर्ष में प्राप्त	Received in Earlier Year		49,60,00,000	49,60,00,000
चालू वर्ष में प्राप्त	Received in Current Year		–	–
			49,60,00,000	49,60,00,000
ख) योग: बिक्री/आय अर्जन के पूर्व निवेश द्वारा निधि	B) Add : Funds from Sale/Revenue Generation Plough-back			
गत वर्ष में	In Earlier Year		3,93,23,374	3,28,96,049
चालू वर्ष में	In Current Year		1,55,03,944	64,27,325
			5,48,27,318	3,93,23,374
घटाईये : वितरण/प्रचार व्यय	Less : Distribution/Publicity Expenses		1,51,70,902	–
			3,96,56,416	3,93,23,374
फिल्म निर्माण के लिए कुल उपलब्ध निधि	Total Fund available for Film Production	(क) (A)	53,56,56,416	53,53,23,374
घटाईये : चालू वर्ष के दौरान व्यय	Less : Expensed During Current Year		2,29,69,782	12,85,48,190
: पूर्व वर्ष में व्यय	: Expensed in Earlier Year		39,00,87,089	26,15,38,899
: क्षेत्रीय फिल्मों की सूची	: Inventory of Regional Film		9,81,30,000	5,22,25,117
: अप्रयुक्त राशि मंत्रालय को वापिस	: Unutilised fund Refund to Ministry		2,12,00,000	–
फिल्म निर्माण के लिए कुल निधि उपयोग	Total Fund Expensed for Film Production	(ख) (B)	53,23,86,871	44,23,12,206
विभिन्न फिल्मों के लिए आबंटित शेष (क-ख)	As allocated for various films	Balance (A-B)	32,69,545	9,30,11,168
अमानतें प्राप्त	Deposits Received		4,09,267	4,09,267
कुल	Total		36,78,812	9,34,20,435

टिप्पणी 7. दीर्घकालिक प्रावधाने
Note 7. Long Term Provisions

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	Provision for Employee Benefits		
उपदान	Gratuity	3,85,27,528	3,23,24,546
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	2,73,12,834	2,51,54,277
कुल	Total	6,58,40,362	5,74,78,823

टिप्पणी 8. अल्पावधिक उधार Note 8. Short Term Borrowings

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
प्रतिभूत	Secured		
बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण	Working Capital Loan from Bank	6,35,82,564	—
कुल	Total	6,35,82,564	—

उपर्युक्त ऋण ₹ 7,30,67,763/- के एफ डी आर द्वारा सुरक्षित है तथा एफ डी दर प्लस 0.75% के ब्याज पर आगे लाया गया।

The above loan is secured by FDR of ₹ 7,30,67,763/- and carries an Interest of FD rate plus 0.75%.

टिप्पणी 9. व्यापारिक देय Note 9. Trade Payables

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
व्यापारिक देय	Trade Payable	16,35,46,996	20,70,78,195
कुल	Total	16,35,46,996	20,70,78,195

टिप्पणी 10. अन्य चालू देयताएं Note 10. Other Current Liabilities

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता अवधि	Current maturities of Long Term Borrowing	40,38,456	16,70,377
ब्याज उपार्जित लेकिन ऋण पर देय नहीं	Interest accrued but not due on Borrowing	2,99,834	1,08,387—
ब्याज उपार्जित तथा देय	Interest Accrued and Due	8,73,921	—
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	Advance from Customers	15,95,10,368	23,23,59,877
निर्माण के लिए अग्रिम	Advance for Production	43,76,25,708	69,55,74,548
अन्य अग्रिम	Others Advances	2,30,79,571	4,69,48,577
किरायों की भवनों से प्राप्त अमानते	Deposit received for rented Premises	72,71,400	55,46,400
सांविधिक देय	Statutory Dues	56,38,114	62,94,088
अन्य देयताएं	Other Liabilities	5,24,28,482	4,59,27,239
कुल	Total	69,07,65,854	1,03,44,29,493

टिप्पणी 11. अल्पावधिक प्रावधाने Note 11. Short Term Provisions

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	(a) Provision for Employee Benefits		
उपदान	Gratuity	37,83,408	34,59,937
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	45,07,477	36,80,125
(ख) कराधान के लिए प्रावधान	(b) Provision for Taxation		
आय कर के लिए	For Income Tax	2,21,98,850	1,59,00,000
कुल	Total	3,04,89,735	2,30,40,062

टिप्पणी 12. स्थायी परिसम्पत्तियां और मूल्य-ह्रास

Note No. 12. Fixed Assets and Depreciation

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	सकल सम्पत्ति (लागत में)			Gross Block [At Cost]		मूल्य-ह्रास			Depreciation			शुद्ध सम्पत्ति	Net Block
		01.04.2014 को	वृद्धियां	आंतरिक यूनिट/हेड ट्रांसफर	कटौतियां	31.03.2015 को	01.04.2014 तक	आंतरिक यूनिट/हेड ट्रांसफर	राशि राजस्व लाभ के सामने बटोरे जाते हैं डाले	कटौतियां	वर्ष के लिए	31.03.2015 तक कुल		
		As At 01.04.2014	Addition	Inter Unit/ Head Transfer	Deduction	As At 31.03.2015	Upto 01.04.2014	Inter Unit/ Head Transfer	Amount W/ Off Against Revenue Profit	Deduction	For The Year	Total Upto 31.03.2015	As At 31.03.2015	As At 31.03.2014
A	वास्तविक परिसम्पत्तियां													
1	वास्तविक भूमी	1,38,000	-	-	-	1,38,000	46,479	-	-	-	-	46,479	91,521	91,521
2	इमारत	1,10,28,093	2,52,67,661	-	-	3,62,95,754	72,89,674	-	-	-	16,86,679	89,76,352	2,73,19,402	37,38,420
3	कार्यालय उपकरण	1,39,70,667	4,31,103	(1,30,952)	10,05,398	1,32,65,419	60,33,759	(33,459)	2,41,585	7,37,108	50,81,904	1,05,86,683	26,78,736	79,36,908
4	संयंत्र तथा मशीनरी	8,69,53,832	1,45,09,853	-	6,54,72,998	3,59,90,687	7,61,48,475	-	-	6,28,04,973	27,92,423	1,61,35,925	1,98,54,762	1,08,05,357
5	कम्प्यूटर्स	1,15,24,956	9,30,678	(38,825)	22,38,333	1,01,78,476	91,09,998	(91,752)	2,48,923	21,54,476	18,38,842	89,51,535	12,26,941	29,04,575
6	सज्जा सामग्री और उपकरण	2,97,69,547	25,17,932	(7,499)	7,93,442	3,14,86,538	1,31,76,162	(2,501)	12,002	6,72,979	55,92,333	1,81,05,017	1,33,81,521	1,65,93,385
7	वाहन	24,80,215	-	-	-	24,80,215	15,87,288	-	-	-	3,04,320	18,91,608	5,88,607	8,92,927
8	इलेक्ट्रिकल फिटिंग	4,11,845	43,51,460	-	-	47,63,305	1,42,508	-	-	-	7,46,228	8,88,736	38,74,569	2,69,337
9	अस्थायी संरचना	97,203	-	-	-	97,203	97,203	-	-	-	-	97,203	-	-
	कुल	15,63,74,358	4,80,08,687	(1,77,276)	6,95,10,171	13,46,95,598	11,36,31,545	(1,27,712)	5,02,510	6,63,69,535	1,80,42,730	6,56,79,538	6,90,16,059	4,32,32,429
B	अवास्तविक परिसम्पत्ति													
1	फिल्म अधिकार	265	2	-	-	267	-	-	-	-	-	-	267	265
2	सॉफ्टवेयर	8,00,706	82,397	1,77,276	64,657	9,95,722	3,11,089	1,27,712	-	51,031	1,85,668	5,73,438	4,22,283	-
	कुल	8,00,971	82,399	1,77,276	64,657	9,95,989	3,11,089	1,27,712	-	51,031	1,85,668	5,73,438	4,22,550	265
C	पूँजी डेब्यूआईपी													
		1,58,19,975	1,74,322	-	1,57,64,130	2,30,167	-	-	-	-	-	-	2,30,167	1,58,19,975
	कुल	17,29,95,304	4,82,65,408	-	8,53,38,958	13,59,21,753	11,39,42,635	-	5,02,510	6,64,20,566	1,82,28,398	6,62,52,977	6,96,68,776	5,90,52,669
	गत वर्ष कुल	15,51,07,941	1,80,19,244	-	1,31,880	17,29,95,304	10,55,18,872	-	-	64,438	84,88,201	11,39,42,635	5,90,52,669	4,95,89,328

1. निगम द्वारा 01.10.2002 से 21 साल के आगे की अवधि के लिए आरआईसी लिमिटेड से पट्टे के विस्तार की मांग की गई है तथा निगम सॉलिसिटर सलाह के अनुसार निरंतर आधिकारिक परिसमापक के साथ किराए भुगतान/जमा करता है।
2. 1 अप्रैल 2014 के बाद लेखांकन की अवधि के लिए अधिनियम और उसके लागू की अधिनियमन के फलस्वरूप, कम्पनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची 2 द्वारा निर्धारित स्थायी परिसम्पत्तियों के अनुमानित आर्थिक जीवन के संदर्भ में मूल्यहास की गणना की है। स्थायी परिसंपत्तियों जिनके अस्तित्व उपरोक्त के अनुसार पूरा हो चुका है। मूल मूल्य शुद्ध अवशिष्ट मूल्य का 1 अप्रैल 2014 में कुल मिलाकर ₹ 5,02,510/- लाभ और हानि खाते के प्रारम्भिक शेष में समायोजित किया गया है तथा अन्य परिसम्पत्तियों में 1 अप्रैल 2014 को मूल मूल्य परिसम्पत्तियों के शेष संशोधित उपयोगी जीवन से अधिक मूल्य-हासित है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यहास के प्रभार ₹ 78,98,103/- से अधिक है और कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ उपरोक्त राशि से कम है।

1. The extension of lease for further period of 21 years from 01.10.2002 has been sought by the corporation from RIC Ltd and the corporation continuous to pay/deposit the rent with Official Liquidator as per the Solicitors advice.
2. Consequent to the enactment of the Act and its applicability for the accounting periods after April 1, 2014, the Company has computed depreciation with reference to the estimated economic lives of fixed assets prescribed by the Schedule II to the Act. For assets whose life has been completed as above, the carrying value, net of residual value, aggregating to ₹ 5,02,510/- as at April 1, 2014 has been adjusted to opening balance of Profit and Loss Account and in other assets the carrying value as at April 1, 2014 has been depreciated over the remaining of the revised useful life of the assets. As a result, charge of depreciation is higher by ₹ 78,98,103/- for the year ended March 31, 2015 and the net profit from ordinary activities before tax is lower by the same amount.

टिप्पणी 13. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

Note 13. Long Term Loans and Advances

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		As at 31 March 2015		As at 31 March 2014	
1) कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	1) Loans and advances to Staff				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good,	3,63,390	3,63,390	2,95,671	2,95,671
2) फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण	2) Loans for Production of Films				
संदिग्ध	Doubtful	1,44,02,720		1,44,02,720	
घटाइएँ : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Less : Provision for doubtful loans	1,44,02,720	—	1,44,02,720	—
3) सिनेमागृह के निर्माण के लिए ऋण	3) Loans for Construction of Theatres				
संदिग्ध	Doubtful	2,98,703		2,98,703	
घटाइएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less:Provision for doubtful loans	2,98,703	—	2,98,703	—
4) अमानते	4) Deposits				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	1,14,90,636		92,23,148	
संदिग्ध	Considered Doubtful	31,230		31,230	92,23,148
घटाइएँ : संदिग्ध अमानतों के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful Deposits	31,230	1,14,90,636	31,230	
कुल	Total		1,18,54,026		95,18,819

टिप्पणी 14. सम्पत्ति सूची

Note 14. Inventories

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
तैयार सामान	Finished Goods		
ब्लैंक वीडियो कैसेट्स का स्टॉक	Stock of Blank Video Cassettes	—	1,06,238
डीवीडी का स्टॉक	Stock of DVD	14,66,896	6,60,295
सोना	Gold	1,938	1,938
कुल	Total	14,68,835	7,68,472

टिप्पणी 15. व्यापारिक प्राप्तियाँ
Note 15. Trade Receivables

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
अप्रतिभूत	Unsecured		
क) छः महीने से ज्यादा	a) Trade Receivables outstanding more		
बकाया व्यापारिक प्राप्तियाँ	than six months		
असंदिग्ध	Considered Good	17,16,71,194	15,24,21,295
संदिग्ध	Considered Doubtful	20,33,79,341	20,35,20,983
		37,50,50,534	35,59,42,278
घटाइएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful Debts	20,33,79,341	20,35,20,983
		17,16,71,194	15,24,21,295
ख) अन्य	b) Others		
असंदिग्ध	Considered Good	2,86,65,447	10,23,36,776
कुल	Total	20,03,36,641	25,47,58,071

जैसे की संग्रहण की नियत तारीख परिभाषित नहीं की है इसलिए बिल की तारीख को नियत तिथि माना गया है.

As the due date of collection has not been defined hence bill date is considered as due date.

टिप्पणी 16. रोकड़ तथा रोकड़ प्रवाह
Note 16. Cash and Bank Balances

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
1. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	1. Cash and Cash Equivalent		
क) बैंक में शेष	a) Balances with Banks		
चालू खाते में	In Current Account	1,09,60,062	8,98,32,422
मूल परिपक्वता के साथ	Fixed Deposits with maturity of	41,78,27,942	70,28,42,089
3 महिनों से कम की स्थायी जमा पूंजी	less than 3 months		
ख) रोकड़ बाकी	b) Cash on Hand	21,880	85,877
उप-योग	Sub Total	42,88,09,884	79,27,60,388
2. अन्य बैंक शेष	2. Other Bank Balance		
क) बैंक में शेष	a) Balances with Banks		
मूल परिपक्वता के साथ	Fixed Deposits with		
3 महिनों से अधिक लेकिन	maturity for more than 3	4,51,41,035	18,67,69,040
12 महिनों से कम की स्थायी जमा पूंजी	months but less than 12 months		
ख) ऋण के सामने प्रतिभूति के रूप	b) Fixed deposits with banks as security	7,39,24,324	7,90,573
में बैंको में स्थायी जमा	against borrowings		
उप-योग	Sub Total	11,90,65,359	18,75,59,613
कुल	Total	54,78,75,243	98,03,20,001

टिप्पणी 17. अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम
Note 17. Short Term Loans and Advances

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		As at 31 March 2015		As at 31 March 2014	
1) कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	1) Loans and advances to Staff				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	4,04,930	4,04,930	5,49,592	5,49,592
2) नगद या वस्तुरूप में प्राप्य मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	2) Advances recoverable in cash or kind for value to be received				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	2,16,47,497		3,33,88,044	
संदिग्ध	Considered Doubtful	12,18,000		12,18,000	
घटाईएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Loans	12,18,000	2,16,47,497	12,18,000	3,33,88,044
सेवा कर प्राप्य	Service Tax Receivable	16,68,38,125		16,77,82,013	
वैट प्राप्य	VAT Receivable	2,00,746		22,66,760	
कर का अग्रिम भुगतान	Advance Payment of Tax	10,27,59,437	26,97,98,308	9,01,43,959	26,01,92,732
3) स्वकीय फिल्मों के लिए अग्रिम	3) Advances for Own Production of Films				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	1,01,932	1,01,932	1,01,932	1,01,932
कुल	Total		29,19,52,667		29,42,32,300

टिप्पणी 18. अन्य चालू परिसम्पत्तियां
Note 18. Other Current Assets

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
स्थायी जमा पर उपार्जित व्याज	Interest Accrued on Fixed Deposit	1,61,65,617	2,15,93,077
कुल	Total	1,61,65,617	2,15,93,077

टिप्पणी 19. प्रचलन से आय
Note 19. Revenue from Operation

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15		वर्ष 2013-14	
		Year 2014-15		Year 2013-14	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		2,29,69,782		12,82,43,518
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		18,16,04,503		27,56,38,310
मीडिया कैपेन	Media Campaign		—		64,10,55,920
फिल्मों का वितरण	Distribution of Films				
विदेशी	Overseas	80,82,773		1,66,31,153	
घरेलू	Domestic	2,48,29,025	3,29,11,798	3,33,67,332	4,99,98,485
सेवा परियोजनाएं	Service Projects				
उपशीर्षकांकन	Sub-titling		43,343		11,99,969
उपकरणों का किराया	Hiring of Equipments		—		31,948
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazaar		1,75,57,118		4,14,31,097
प्रशिक्षण/कार्यशाला	Training/Workshop		1,44,95,861		75,23,913
सेवा परियोजना आय	Service Project Income		—		1,38,25,678
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		66,84,030		71,87,150
कुल	Total		27,62,66,436		1,16,61,35,987

टिप्पणी 20. अन्य आय
Note 20. Other Income

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14
		Year 2014-15	Year 2013-14
कार्यालय भवनों का किराया	Rent from Office Premises	1,14,97,907	1,08,64,876
कर्मचारी अग्रिम पर व्याज	Interest on Staff Advance	4,709	9,228
कर वापसी पर व्याज	Interest on Tax Refund	–	46,57,729
बैंक स्थायी जमा राशि पर व्याज	Interest on Bank Fixed Deposit	5,45,88,267	8,50,54,469
बैंको की संचित धन पर व्याज	Interest on Savings Bank	36,325	3,32,739
विविध आय	Miscellaneous Income	26,98,726	3,61,926
पूर्व कालीन मदें	Prior Period Items	–	3,21,526
परिसम्पत्तियों की विक्री से लाभ	Profit on Sale of Assets	10,22,335	3,285
विदेशी मुद्रा विनियम दरों पर लाभ	Profit on Foreign Exchange Fluctuations	–	14,43,148
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान वापिस	Write Back of Provision for bad and Doubtful Debts	1,41,642	–
जमा शेष वापिस	Credit Balances Written Back	–	1,46,157
कुल	Total	6,99,89,911	10,31,95,084

टिप्पणी 21. प्रचलित व्यय
Note 21. Operating Expenditure

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15		वर्ष 2013-14	
		Year 2014-15		Year 2013-14	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		2,12,06,850		11,72,28,764
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		15,65,81,738		22,84,27,296
मीडिया कैम्पेन	Media Campaign		–		64,01,95,187
फिल्मों का वितरण	Distribution of Films				
विदेशी	Overseas	47,71,039		1,24,86,805	
घरेलू	Domestic	1,22,28,628	1,69,99,668	4,00,52,066	5,25,38,870
सेवा परियोजनाएं	Service Projects				
उपशीर्षकांकन	Sub-titling		–		1,69,897
उपकरणों का किराया	Hiring of Equipments		–		3,100
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazaar		5,37,63,088		7,80,97,214
प्रशिक्षण/कार्यशाला	Training/Workshop		–		29,14,908
प्रशिक्षण एवं विकास	Training & Development		57,99,049		43,87,285
सेवा परियोजना व्यय	Service Project Expenses		–		60,61,602
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		30,51,695		14,12,642
कुल	Total		25,74,02,088		1,13,14,36,764

टिप्पणी 22. सम्पत्ति सूची में (वृद्धि)/कमी
Note 22. (Increase)/Decrease in Inventories

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14
		Year 2014-15	Year 2013-14	(Increase)/Decrease Year 2014-15	(Increase)/Decrease Year 2013-14
डीवीडी	Stock of DVD	14,66,896	6,60,295	(8,06,601)	(2,08,442)
कुल	Total	14,66,896	6,60,295	(8,06,601)	(2,08,442)

टिप्पणी 23. कर्मचारी लाभ व्यय
Note 23. Employee Benefit Expenses

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14
		Year 2014-15	Year 2013-14
वेतन, भत्ते और बोनस	Salaries, Wages and Bonus	6,91,42,076	7,44,48,813
भविष्य निधियों में अंशदान	Contributions to Provident Fund	54,51,503	51,35,129
अन्य निधियों में अंशदान	Contributions to Other Fund	49,463	54,400
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	59,69,330	42,58,075
उपदान	Gratuity	85,64,211	80,10,539
कर्मचारी कल्याण व्यय	Staff Welfare Expenses	6,50,054	7,26,598
कुल	Total	8,98,26,636	9,26,33,554

टिप्पणी 24. अन्य व्यय
Note 24. Other Expenses

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14
		Year 2014-15	Year 2013-14
विज्ञापन और प्रसार	Advertisement and Publicity	2,78,937	34,423
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	Auditors Remuneration	4,50,000	4,50,000
बैंक प्रभार	Bank Charges	80,027	1,18,690
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गये	Bad Debts Written Off	–	9,18,906
कोर्पोरेट मनोरंजन	Corporate Entertainment	1,42,223	5,95,878
निदेशकों का यात्रा व्यय	Director's Travelling Expenses	19,72,366	22,24,223
बिजली प्रभार	Electricity Charges	34,42,083	32,57,647
फाइलिंग फीस	Filing Fees	–	10,500
स्थायी परिसम्पत्तियों बट्टे खाते में डाले गये	Fixed Assets Written Off	21,83,313	–
बीमा	Insurance	3,29,714	2,87,819
विधि व्यय	Legal Expenses	35,34,683	27,44,979
विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार चढ़ाव पर हानि	Loss on Foreign Exchange Fluctuation	2,76,197	–
कार्यालयीन सामान्य व्यय	Office General Expenses	36,24,520	33,20,869
डाक, तार, टैलेक्स और टेलिफोन व्यय	Postage, Telegrams, Telex and Telephone Expenses	22,77,751	26,98,683
छपाई और लेखन सामग्री	Printing & Stationery	11,26,348	15,04,794
पूर्व आवधिक मदें	Prior Period Items	7,09,525	–
व्यावसायिक प्रभार	Professional Charges	1,15,87,261	82,21,778
संदिग्ध ऋणों/ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts/Loan/Advance	–	8,05,064
उपकर और कर	Rates & Taxes	25,21,701	52,68,698
भर्ती व्यय	Recruiting Expenses	3,01,050	–
किराया भुगतान	Rent Paid	1,13,59,700	1,06,27,516
मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	59,56,241	40,26,249
सुरक्षा सेवा प्रभार	Security Services Charges	13,26,327	15,00,646
सेवा कर प्रदत्त	Service Tax Paid	17,31,904	9,009
यात्रा और स्थानिक यात्रा व्यय	Travelling and Local Conveyance Expenses	48,95,082	66,39,418
प्रदत्त/सीएसटी वैट	CST/VAT Paid	12	85,698
कुल	Total	6,01,06,964	5,53,51,486

टिप्पणी 25. वित्तीय लागत Note 25. Finance Cost

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14
		Year 2014-15	Year 2013-14
व्याज व्यय	Interest Expense	48,98,210	8,58,150
कुल	Total	48,98,210	8,58,150

टिप्पणी 26. असाधारण मदें Note 26. Exceptional Items

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14
		Year 2014-15	Year 2013-14
सेवा कर बट्टे खाते में डाले	Service Tax Written Off	—	1,10,68,433
मूल्य संवर्धित कर बट्टे खाते में डाले गये	Value Added Tax Written Off	22,39,011	17,67,348
कुल	Total	22,39,011	1,28,35,782

टिप्पणी 27. आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया Note 27. Contingent Liabilities not provided for:

राशि रुपये में
Amount in ₹

	विवरण	Particulars	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14
			Year 2014-15	Year 2013-14
1.	निगम के विरुद्ध कानूनी प्रकरण	Legal cases against the Company.	6,54,00,944	6,41,91,811
2.	परिसर हेतु किराये में वृद्धि के लिए निगम विरुद्ध दावा सिविल न्यायालय में अनिर्णित ऋण की वजह से मान्य नहीं किये गये	Claim against Company for increase in rental for the premises not acknowledge as debts pending in Civil Court.	10,38,080	10,38,080
3.	दुष्प्रस्तुतिकरण एवं दस्तावेजों को जब्त करने के आरोप में निलंबन हुए वरिष्ठ महाप्रबंधक को देय शेष वेतन	Balance salary payable to Senior General Manager, suspended earlier on the charges of mis-representation of facts and impounding of documents.	8,46,016	8,46,016
4.	आयकर अधिनियम 1961 के धारा 154 के अंतर्गत आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2006-07 के लिए आयकर अभियाचना	Income Tax demand for the assessment year 2006-07 as per Order u/s 154 of the Income Tax Act 1961	78,54,320	99,54,320
5.	आयकर अधिनियम 1961 के धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के लिए आयकर अभियाचना	Income Tax demand for the assessment year 2011-12 as per Order u/s 143(3) of the Income Tax Act 1961	—	19,30,850
6.	आयकर अधिनियम 1961 के धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2012-13 के लिए आयकर अभियाचना	Income Tax demand for the assessment year 2012-13 as per Order u/s 143(3) of the Income Tax Act 1961	46,72,810	—
	कुल	Total	7,98,12,170	7,79,61,077

टिप्पणी 28

विविध देनदारों ऋण एवं अग्रिमों जमानतों तथा चालू देयताओं और कुछ शेष पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे हैं, के लेखाओं के शेषों का पुष्टिकरण तथा परिणामी समंजन के उपरांत आई राशि, यदि कोई हो, और उसका वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव हो तो इसका अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता।

Note 28

The balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits and Current Liabilities including outstanding balances since last few years are subject to confirmation and consequential adjustment, if any on reconciliation. The financial impact, if any, is unascertainable.

टिप्पणी 29.1. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान

वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये ₹ 1,41,642/- (पिछले वर्ष ₹ 8,05,064/-) के विविध देनदारों तथा ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान किये गये ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ 27,12,506/-) के प्रावधान को अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिये काम में ले लिया गया।

Note 29.1. Provision for Bad and Doubtful Debts

During the year, write back of provision for bad and doubtful debts of ₹ 1,41,642/- (Previous year provision was ₹ 8,05,064/-) has been made towards Sundry Debtors and Loans and Advances. Provision of ₹ Nil (Previous year ₹ 27,12,506/-) towards bad and doubtful debts has been utilized for the bad debts during the year.

टिप्पणी 29.2. सर्विस टैक्स बट्टे खाते डाले गये

पहले के वर्षों का सर्विस टैक्स बकाया ₹ शून्य तक बट्टे खाते डाल दिया गया है (पिछले वर्ष ₹ 1,10,68,433/-) जिससे सर्विस टैक्स रिटर्न में वह अंतिम शेष से मैच कर सके. यह गतिविधि बही खातों में पिछले बकाया के साथ सामंजस्य के लिये की गई है.

टिप्पणी 29.3. मूल्य पर जुड़ने वाले कर का बट्टे खाते डाले गये

पहले के वर्षों का मूल्य पर जुड़ने वाले कर का बकाया ₹ 22,39,011/- तक बट्टे खाते डाल दिया गया है (पिछले वर्ष ₹ 17,67,348/-) जिससे सर्विस टैक्स रिटर्न में वह अंतिम शेष से मैच कर सके.

टिप्पणी 29.4. लेनदारों वापिस

कंपनी के प्रबंधन ने उन मामलों में उधार न चुकाने वालों को बट्टे खाते डालने का निर्णय किया जहां से उधार की राशि वापस पा सकने की कोई उम्मीद नहीं थी. इसी के अनुरूप वर्ष के दौरान उधार की राशि ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 1,46,157/-) बट्टे खाते डाल दी गई.

टिप्पणी 30. कर्मचारी कल्याण

प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड पर आधारित वास्तविक मूल्यांकन

(i) लाभ हानि लेखे में मान्य खर्च

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)
		मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014	मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014
		Gratuity (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Unfunded)	Leave Encashment (Unfunded)
		March 31, 2015	March 31, 2014	March 31, 2015	March 31, 2014
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	14,70,809	13,06,430	10,34,388	8,35,326
व्याज लागत	Interest Cost	33,31,438	24,30,901	26,03,747	22,31,424
योजना परिसम्पत्तियां पर अपेक्षित आय	Expected Return on Plan Assets	(96,441)	(2,14,983)	—	—
कुल बीमांकिक (वृद्धि)/हानियां	Net Actuarial (Gains)/Losses	38,58,405	44,88,191	23,31,194	11,91,324
गत सेवा लागत	Past Service Cost	—	—	—	—
कुल	Total	85,64,211	80,10,539	59,69,329	42,58,074

(ii) कुल परिसम्पत्तियां/(देयताएं) जिन्हें तुलन पत्र में स्वीकृत किया गया है

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)
		मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014	मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014
		Gratuity (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Unfunded)	Leave Encashment (Unfunded)
		March 31, 2015	March 31, 2014	March 31, 2015	March 31, 2014
निर्धारित दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Defined Obligation	4,29,30,144	3,68,93,004	3,18,20,311	2,88,34,402
योजना परिसम्पत्तियां का शुद्ध मूल्य	Fair Value of Plan Assets	6,19,208	11,08,521	—	—
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	—	—	—	—
शुद्ध परिसम्पत्ति/(देयताएं)	Net Asset/(Liability)	4,23,10,936	3,57,84,483	3,18,20,311	2,88,34,402

Note 29.2. Service Tax Written off

Service Tax balances of earlier years has been written off to the extent of ₹ Nil (Previous Year ₹ 1,10,68,433/-) to match with the closing balances as per the service tax return. This activity has been carried out for reconciliation of old balances appearing in books of account.

Note 29.3. Value Added Tax Written off

Value Added Tax balances of earlier years has been written off to the extent of ₹ 22,39,011/- (Previous Year ₹ 17,67,348/-) to match with the closing balances as per the VAT tax return.

Note 29.4. Creditors Written Back

The management of the Company has decided to write back creditors in cases where there is no likelihood of liability arising. Accordingly during the year creditors amounting to ₹ Nil (Previous year ₹ 1,46,157/-) have been written back.

Note 30. Employee Benefits

Valued as per Actuarial valuation using Projected Unit Credit Method

(i) Expense recognized in the Statement of Profit & Loss.

राशि रुपयों में
Amount in ₹

(ii) Net Assets/(Liability) recognized in the Balance Sheet

राशि रुपयों में
Amount in ₹

(iii) वर्ष के दौरान बाध्यताओं में परिवर्तन

(iii) Change in Obligation during the year

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)
		मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014	मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014
		Gratuity (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Unfunded)	Leave Encashment (Unfunded)
		March 31, 2015	March 31, 2014	March 31, 2015	March 31, 2014
वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of the Defined Benefit Obligation at the beginning of the Year	3,68,93,004	3,03,86,263	2,88,34,402	2,78,92,797
पूर्व सेवा लागत	Past Service Cost	—	—	—	—
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	14,70,809	13,06,430	10,34,388	8,35,326
व्याज लागत	Interest Cost	33,31,438	24,30,901	26,03,747	22,31,424
बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	Actuarial (Gains)/Losses	38,15,427	4,60,968	23,31,194	11,91,324
लाभ भुगतान	Benefit Payments	(25,80,534)	(16,91,558)	(29,83,420)	(33,16,469)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of the Defined Benefit obligation at the end of the year	4,29,30,144	3,68,93,004	3,18,20,311	2,88,34,402

(iv) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(iv) Change in Assets during the year

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)
		मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014	मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014
		Gratuity (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Unfunded)	Leave Encashment (Unfunded)
		March 31, 2015	March 31, 2014	March 31, 2015	March 31, 2014
वर्ष के प्रारम्भ में योजित परिसम्पत्तियों का शुद्ध मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the Year	11,08,521	24,71,064	—	—
योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	Expected Return on Plan Assets	96,441	2,14,983	—	—
नियोक्ता द्वारा अंशदान	Contribution by Employer	37,758	1,41,255	—	—
प्रदत्त वास्तविक लाभ	Actual Benefits Paid	(5,80,534)	(16,91,558)	—	—
योजना परिसम्पत्ति पर बीमांकित लाभ/(हानियाँ)	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets	(42,978)	(27,223)	—	—
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का शुद्ध मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the year end	6,19,208	11,08,521	—	—

(v) बीमांकित अनुमान

(v) Actuarial Assumptions

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक)
		मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014	मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014
		Gratuity (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Unfunded)	Leave Encashment (Unfunded)
		March 31, 2015	March 31, 2014	March 31, 2015	March 31, 2014
बट्टागत दर	Discount Rate	7.92%	9.03%	7.92%	9.03%
योजना परिसम्पत्तियों पर आय की दर	Rate of Return on Plan Assets	7.92%	8.70%	—	—
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

*वर्ष के दौरान उपलब्ध अवकाश लाभ सहित जिन्हें वर्ष में दिये गये वेतन में दर्शाया जाता है.

*Including Leave Benefit availed during the year which is accounted in Salary paid during the year.

(क) भविष्य में होने वाली वेतन में बढ़ोतरी के अनुमानों का वस्तुतः मूल्यांकन में प्रावधान करते समय मुद्रास्फीति की दर का लंबी अवधि के आधार पर विचार किया गया है.

a) The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take into account the inflation rate on Long term basis.

(ख) निगम की नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है.

b) The employees of the company retire at the age of 60 years as per the policy of the Company.

टिप्पणी 31

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपनी मुख्य सचिवालय की आयोजित योजना के अंतर्गत एन एफ डी सी को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाने की अपनी योजना लागू करने का भार सौंपा। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2015 तक ₹ 49.60 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान इन फिल्मों के वितरण से ₹ 1,55,03,944/- का राजस्व अर्जित हुआ (पिछले वर्ष ₹ 64,27,325/-) जिसमें ₹ 56,30,799/- पिछले वर्षों के हैं। इस राशि को ऑर्डर नं. 202/21/2009-एफ (पी एस यू) दिनांक 04.08.2009 की शर्तों के अंतर्गत निगम द्वारा सस्टेनिंग स्कीम में प्लॉ बैक कर दिया गया।

कंपनी ने फिल्मों के वितरण की मद में ₹ 1,51,70,902 खर्च किए जिनमें ₹ 1,14,50,963/- पिछले वर्षों के हैं। जो उक्त योजना के अंतर्गत बनीं फिल्मों की पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग में खर्च हुए।

टिप्पणी 32

निदेशक मंडल ने 15 सितंबर 2009 को आयोजित अपनी पहली बैठक में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्राप्त पत्र संख्या 202/21/2009 – एफ (पी यू सी) दिनांक 06.08.09 पर विचार किया। निदेशक मंडल का यह मानना था कि फिल्म उद्योग में प्रचलित मानकों के अनुरूप ही राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को भी निर्माता की फीस के रूप में फिल्म निर्माण की कुल लागत का 10% तथा इसके द्वारा संपन्न कराई गयी सभी विक्रयों पर 15% कमीशन मिलना चाहिये क्योंकि ये खर्चे फिल्म के निर्माण तथा वितरण व्यय का अभिन्न हिस्सा हैं। इसी के अनुरूप निगम ने वर्ष के दौरान पूरी हुई दो फिल्मों के कुल निर्माण व्यय में से ₹ 20,88,162/- (पिछले वर्ष ₹ 1,16,58,502/-) निर्माता की फीस के तथा ₹ 27,35,990/- (पिछले वर्ष ₹ 11,34,234/-) फिल्मों की विक्री के कमीशन के रूप में दर्शाये हैं जिन्हें फिल्म वितरण में शामिल किया गया है।

टिप्पणी 33

मीडिया रिलीजों के लिये आय स्वीकृत वर्ष के दौरान लिये गये मीडिया अभियान के अपने अपने आय व्यय के लेखे, टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट/प्रदर्शित किये गये विज्ञापनों के मूल्य का ग्राहक/मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वास्तविक मूल्य से सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापन/प्रमाणन के बाद किया जाता है। मीडिया कैम्पेन, जिसके विज्ञापनों के सफल प्रसारण/ब्रॉडकास्ट/प्रदर्शन के बाद वास्तविक मूल्य का सत्यापन/प्रमाणीकरण चल रहा है, उनका लेखा संबंधित कैम्पेन के प्रसारण/ब्रॉडकास्ट/प्रदर्शन की रिलीज राशि के आधार पर 15% की अनुमानित कमी को मानते हुए किया जाता है।

टिप्पणी 34

निदेशक मंडल की राय में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों की व्यक्त राशियां सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत वसूल हो जाएंगी। मूल्य ह्रास और सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान पर्याप्त है और आवश्यकतानुसार राशि से ज्यादा नहीं समझा जाएगा।

टिप्पणी 35

कंपनी को अति लघु, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं से उनकी श्रेणी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। गत वर्ष के अंत में भुगतान न की गई राशि ब्याज सहित अथवा देय से संबंधित प्रकटीकरण, यदि कोई है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, नहीं दिया गया है। वर्ष के अंत में विविध लेनदार संबंधित पार्टियों से पुष्टिकरण के अधीन है। कंपनी ने तुलनपत्र की तारीख को सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान किया है।

टिप्पणी 36

निगम ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय की ओर से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 2,71,00,000/-) स्वीकृत नहीं किया। लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार इनमें से निगम ने विभिन्न मदों पर ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 2,86,80,938/-) खर्च किये।

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने विदेशी तथा स्वदेश में होने वाले फिल्म समारोहों में अपने स्व निधियों से प्रतिभागिता की।

टिप्पणी 37

वर्ष के दौरान कंपनी ने एक प्रशिक्षण तथा विकास डिवीजन प्रारंभ किया -फ्रेमवर्क ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडियन फिल्म मेकर्स। यह उन

Note 31

The Ministry of Information and Broadcasting entrusted to NFDC the execution of its Plan Scheme of "Production of films in various Indian languages". Under the scheme, an amount of ₹ 49.60 Crore was received up to 31 March 2015. Revenue generated from distribution of these films is ₹ 1,55,03,944/- which includes ₹ 56,30,799/- pertaining to earlier years (Previous Year ₹ 64,27,325/-) that has been ploughed back by Company into the scheme as per the terms of the Order no.202/21/2009-F (PSU) dated 04.08.2009.

The company has incurred an expenditure of ₹ 1,51,70,902/- towards distribution of films, which includes ₹ 1,14,50,963/- pertaining to earlier years for publicity and advertising of release of films under the above scheme.

Note 32

The Board of Directors in their meeting held on 15th September 2009 considered the letter No.202/21/2009-F (PSU) dated 06/08/09 received from the Ministry of Information & Broadcasting and decided that NFDC should be given a Production Fee of 10% of the total cost of production of a film and 15% Commission on all sales effected by it in accordance with industry norms as these expenses are an intrinsic component of the production and distribution budgets of a film. Accordingly the Company has accounted for ₹ 20,88,162/- (Previous year ₹ 1,16,58,502/-) as Production Fees in the current year in respect of two films completed during the year and ₹ 27,35,990/- (Previous year ₹ 11,34,234/-) as Commission on sale of films which is included in Distribution of films.

Note 33

Revenue recognition for Media Releases, Revenue and Expense of respective Media Campaign undertaken during previous year is accounted for after due verification/certification by the Chartered Accountants of the actual value of telecast/broadcast/appearance of the advertisement out of the Release amounts approved by the client/ministry. Revenue and Expenses in respect of media campaigns for which verification/certification of the actual value of successful telecast/broadcast/appearance of advertisement is in process, are accounted for on the basis of Release amounts of the respective campaign, after taking effect of estimated shortfall of 15% in telecast/broadcast/appearance of advertisements.

Note 34

In the opinion of the Board, the current assets, loans and advances have been stated at amounts that would be realized in the ordinary course of business. The provision of depreciation and for all known liabilities is adequate and not in excess of amounts considered reasonably necessary.

Note 35

The Company has not received any intimation from Suppliers regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid or payable as required under the said Act have not been given. Sundry creditors at the year end are subject to confirmation from the respective parties. The Company has provided for all known liabilities as on the Balance Sheet Date.

Note 36

The Company participated in various film festivals in India and Abroad on behalf of the Ministry of Information & Broadcasting and the Ministry of Tourism. ₹ Nil (Previous year ₹ 2,71,00,000/-) was sanctioned by the Ministry of Information & Broadcasting. The Company has spent an amount of ₹ Nil (Previous Year ₹ 2,86,80,938/-) on the various items of expenditure as per Chartered Accountants Certificate.

During the financial year the company has participated in film festivals in India and Abroad with its own funds.

Note 37

During the year, the company Training and Development division conducted framework of professional development for Indian filmmakers already

फिल्मकारों के लिये था जो अपने काम में पहले से ही सुव्यवस्थित हैं या फिल्म अथवा मीडिया स्टडीज में अपने कैरियर का विकास कर रहे हैं। कंपनी ने ऐसी 9 वर्कशॉप्स का आयोजन किया। इनमें 48 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। इस गतिविधि पर ₹ 27,77,573/- की राशि खर्च की गई (पिछले वर्ष ₹ 43,87,285/-)

टिप्पणी 38

सन 1991में कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रख देने से प्राप्त जो ₹ 30,00,000/- (पिछले वर्ष ₹ 30,00,000/-) तीन पार्टियों के पास रख दिया गया था, पार्टियों ने यह राशि लौटाई नहीं और तत्संबंधी प्रतिभूतियों को परिसमाप्त भी नहीं किया गया। इस जमा राशि की वापसी के लिये निगम ने इन पार्टियों के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की और दो पार्टियों के साथ इस मध्यस्थता कार्यवाही का फैसला निगम के पक्ष में हुआ तथा दो पार्टियों को जमाराशि में से ₹ 18,00,000/- निगम को लौटाने का निर्देश दिया गया। (पिछले वर्ष ₹ 18,00,000/-) बाकी बची ₹ 12,00,000/- की राशि (पिछले वर्ष ₹ 12,00,000/-) के बारे में मध्यस्थता कार्यवाही अभी चल रही है। इसका लेखा खातों में उल्लेख नहीं किया गया है।

टिप्पणी 39

फिल्म *गांधी* के संबंध में लाभ तथा वितरण शुल्क का लेखा वास्तविकता के आधार पर कर दिया गया है सिवाय इसके कि इनका लेखा वित्त वर्ष के आधार पर न करके कैलेंडर वर्ष के आधार पर किया गया है। लाभ तथा वितरण शुल्क का लेखा अनुबंध के आधार पर नियुक्त एजेंटों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर किया गया है जिन्हें कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किया गया है। निगम ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि प्राप्ति योग्य शुल्क को वित्त वर्ष के आधार पर न लेकर कैलेंडर वर्ष के आधार पर पूरे वर्ष के लिये मान लिया जाय।

टिप्पणी 40

टी. वी. मार्केटिंग के देनदारों से वसूली, जिसके विरुद्ध निगम ने न्यायालयों में मुकदमे दर्ज कर रखे हैं सुनिश्चित नहीं हैं। कानूनी मामलों के नतीजों का वित्तीय विवरण पर प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता

टिप्पणी 41

कंपनी ने व्यापारिक/रिहायशी परिसर संचालन लीज पर दिए हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत आमतौर पर वापस कर दिए जाने वाली व्याजमुक्त राशियां स्वीकार की गई हैं। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत लीज से प्राप्त होने वाले किराए वर्ष के हानि-लाभ विवरण में दर्ज किए जाते हैं। किराए के ₹ 1,15,08,703/- (पिछले वर्ष ₹ 1,08,64,876/-) को टिप्पणी नं-20 में अन्य आय के अंतर्गत दिखाया गया है। ऑपरेटिंग लीज के संबंध में प्रारंभिक सीधे मूल्य को हानि-लाभ विवरण में दर्शाया गया है। कंपनी की महत्वपूर्ण लीज व्यवस्थाएं रिहायशी फ्लैट्स, कार्यालय स्थलों, प्लांट तथा मशीनरी और उपकरण आदि लीज पर देने के संबंध में हैं। यह व्यवस्था आमतौर पर 1 से लेकर 30 वर्ष तक के लिए है जिसे आपसी समझौते अथवा शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इन व्यवस्थाओं में आमतौर पर व्याजमुक्त वापस कर दी जाने वाली राशियां दी गई हैं। इस व्यवस्था में वर्ष के लिए देय लीज किराए हानि-लाभ और किराए की मद में शामिल किए गए हैं। (टिप्पणी नं-24 में इनका अन्य व्यय के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) वर्ष के लिए सभी प्रचलित पट्टे का कुल खर्च ₹ 1,13,60,332/- है। (पिछले वर्ष यह खर्च ₹ 1,06,27,516/- था)

established in the work-field or developing their careers following films and/or media studies. The company organized 9 such workshops and trained 48 professionals. An amount of ₹ 27,77,573/- spent on this activity (Previous Year of ₹ 43,87,285/-)

Note 38

Deposits of ₹ 30,00,000/- (Previous Year 30,00,000/-) placed with three parties in 1991 are secured against mortgage of immovable properties. The parties have not refunded the deposits and securities are also not liquidated. The Company has initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of the deposits. Awards have been issued in favour of the Company against two parties for recovery of the deposit amounting to ₹ 18,00,000/- (Previous Year ₹ 18,00,000/-) for the balance amount of ₹ 12,00,000/- (Previous Year ₹ 12,00,000/-) and the same has been filed in the High Court for decree. The Court process is going on. No provision has been made for the same in the books of accounts.

Note 39

In case of Film *Gandhi* the accounting of profits and distribution fee has been done on accrual basis except that these are accounted on calendar year basis instead of financial year basis. The fees and distribution fees are accounted based on statement of accounts received from the agents appointed under the agreement which are prepared on calendar year basis. The Company has ensured that the fees receivable are considered for the entire year on calendar year basis instead of financial year basis.

Note 40

The recoverability of TV marketing debtors against which the Company has filed cases in the court of law is not certain. The impact of the outcome arising out of the legal cases on the financial statement is not ascertainable.

Note 41

The company has given commercial/Residential Premises on operating lease. Under this arrangement, generally refundable interest-free deposit have been taken. In respect of above arrangements, lease rentals receivable are recognized in the Statement of Profit and Loss for the year and are included Rental of ₹ 1,15,08,703/- (Previous Year ₹ 1,08,64,876/-) (Disclosed under Other Income in Note no.20) The initial direct cost in respect of operating lease are recognized in the Statement of Profit and Loss. The company's significant leasing arrangements are in respect of residential flats, office premises, plant and machinery and equipments taken on lease. The arrangements range between 1 year and 30 years generally and are usually renewable by mutual consent or mutually agreeable terms. Under these arrangements, generally refundable interest free deposits have been given. In respect of above arrangements, lease rentals payable are recognized in the Statements of Profit and Loss for the year and included under Rent (Disclosed under Other Expenses in Note no.24) The aggregate rental expenses of all the operating leases for the year are ₹ 1,13,60,332/- (Previous Year ₹ 1,06,27,516/-)

टिप्पणी 42

Note 42

आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)

Deferred Tax Assets (Net)

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
		As at March 31, 2015	As at March 31, 2014
समय परिवर्तन के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर परिसम्पत्तियां :	Deferred tax Assets arising on account of timing difference due to :		
मूल्य-हास	Depreciation	56,49,249	31,58,129
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	Provision for Employee Benefits	24,051,883	2,09,65,598
संदिग्ध ऋणों/ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful debts/loans	7,07,66,436	7,08,12,392
आगे लायी गई हानियां	Brought forward Losses	5,93,43,211	3,76,35,604
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	Net deferred tax assets	15,98,10,779	13,25,71,723

विश्वसनीय प्रमाणों द्वारा समर्थित इस आभासी सुनिश्चितता के अभाव में कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे कि आगे लाया गया बिजनस घाटा पूरा हो जाएगा, आगे लाए गये बिजनस घाटे पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया गया है।

In the absence of virtual certainty supported by convincing evidence that future taxable profit will be available to get setoff of carried forward business loss, deferred tax assets on carried forward business loss has not been recognized.

टिप्पणी 43. संबंधित पक्षों के प्रकटीकरण

Note 43. Related Party Disclosures

रिपोर्टिंग उद्यम : राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड.

Reporting Enterprise : National Film Development Corporation Ltd.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

Key Management Personnel :

- 1) सुश्री नीना लाठ गुप्ता (प्रबंध निदेशक)
- 2) श्री साहब नारायण निदेशक (वित्त)
- 3) श्री ई. जे. पॉल (कंपनी सचिव)

- 1) Ms. Nina Lath Gupta (Managing Director)
- 2) Mr. Sahab Narain (Director Finance)
- 3) Mr. E. J. Paul (Company Secretary)

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन जो ए एस-18 द्वारा आवश्यक है, यहां दिया जा रहा है :

Transactions with the Related Parties as required by AS-18 is given below :

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

Key Management Personnel

राशि रुपये में
Amount in ₹

निदेशक का नाम	Name of the Director	लेन देन का स्वरूप	Nature of Transaction	2014-15	2013-14
सुश्री नीना लाठ गुप्ता, प्रबंध निदेशक	Ms. Nina Lath Gupta, Managing Director	पारिश्रमिक	Remuneration	21,67,319	20,22,795
श्री साहब नारायण, निदेशक (वित्त)	Shri Sahab Narain, Director (Finance)	पारिश्रमिक	Remuneration	19,56,038	18,37,181
श्री साहब नारायण, निदेशक (वित्त)	Shri Sahab Narain, Director (Finance)	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	65,000	—
श्री ई.जे.पॉल, कम्पनी सचिव	Shri E J Paul, Company Secretary	पारिश्रमिक	Remuneration	13,95,749	—

टिप्पणी 44. आय प्रति शेयर

Note 44. Earnings per Share

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
इक्विटी अंशधारकों को रोप्य शुद्ध लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) attributable to Equity Shareholders	(9,19,37,209)	(3,20,64,423)
मूल के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	Weighted Average No. of Equity Shares for Basic (EPS)	45,39,985	45,39,985
तनुकृत के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	Weighted Average No. of Equity Shares for Diluted (EPS)	45,39,985	45,39,985
शेयर का अंकित मूल्य	Nominal Value of Share	100	100.00
प्रति शेयर आय - मूल	Equity Per Share - Basic	(20.25)	(7.06)
प्रति शेयर आय - तनुकृत	Earnings Per Share - Diluted	(20.25)	(7.06)

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
प्रबंध निदेशक – पारिश्रमिक	Managing Directors Remuneration	19,88,889	18,59,487
इपीएफ का अंशदान	Contribution to EPF	1,78,430	1,63,308
निदेशक (वित्त) – पारिश्रमिक	Remuneration of Director (Finance)	17,93,391	16,87,290
इपीएफ का अंशदान	Contribution to EPF	1,62,647	1,49,891

टिप्पणी 46. कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसूची III के भाग-II के पैरा 5 (viii) ख, 5 (viii) इ तथा 5 (क) (इ) के प्रावधानों के अंतर्गत अतिरिक्त सूचना जहां तक संभव हो सकी दी गई है.

Note 46. Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 5 (viii) b, 5 (viii) e and 5 (A) (j) of the part II of Schedule III to the Companies Act, 2013 to the extent applicable.

i) विदेशी मुद्रा में आय

i) Earnings in Foreign Exchange

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
एफओबी आधार पर गिने गये सामानों/अधिकारों पर निर्यात	Export on goods/rights calculated on FOB basis	2,00,52,244	2,27,73,428

ii) विदेशी मुद्रा में व्यय

ii) Expenditure in Foreign Currency

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
विदेशी यात्रा/प्रतिभागिता व्यय	Foreign Tours/Participation Expenses	92,40,034	4,21,20,017

iii) लेखा परीक्षकों को भुगतान

iii) Payment to Auditors

राशि रुपये में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
लेखा परीक्षण फीस	Audit Fees	3,50,000	3,50,000
कर लेखा परीक्षण फीस	Tax Audit Fees	1,00,000	1,00,000

टिप्पणी 47

कंपनी के घाटे जमा हो कर बढ़ते रहे हैं और इसकी शुद्ध मलिक्यत का क्षरण होता गया है. चालू वर्ष तथा पिछले वर्षों में इसे शुद्ध हानि/शुद्ध रोकड़ हानि हुई है. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने एनएफडीसी के जरिये भारतीय तथा विदेशी बाजारों में 'भारतीय सिनेमा का उन्नयन' की योजना लागू करना बंद कर दिया है. इसके अलावा, जून 2013 में केंद्र सरकार द्वारा मीडिया अभियान के लिए डीएवीपी को एकमात्र एजेंसी बना दिया गया. इससे एनएफडीसी के बिजनेस में 85% तक का क्षरण हो गया. लेकिन अप्रैल 2015 में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपने ऑर्डर नं-1/9/2009-एमयूसी दिनांक 30 अप्रैल 2015 के जरिये एनएफडीसी को केंद्र सरकार के मीडिया अभियान रिलीज करने की एजेंसी पुनः अधिसूचित कर दिया. इससे एनएफडीसी के लिए एक बार फिर से भारत सरकार के अनुमोदित रिवाइवल प्लान के मुताबिक काम करना संभव हो गया. कंपनी को उम्मीद है कि वित्तवर्ष 2015-16 के दौरान वह लाभ कमा सकेगी और इसी के अनुसार वित्तीय विवरण 'गोइंग कन्सर्न' आधार पर तैयार किए गए हैं.

Note 47

The Company has accumulated losses and its net worth has been substantially eroded. It has incurred a net loss/net cash loss during the current and previous year. The Ministry of Information & Broadcasting is no longer executing its Plan Scheme for "Promotion of Indian Cinemas in markets in India and abroad" through NFDC. Further, in June 2013, DAVP was made the sole agency for execution of media campaigns of the Union Government, thereby eroding NFDC's business by almost 85%. However, in April 2015, vide Order no. 1/9/2009-MUC dated 30.04.2015, the Ministry of Information & Broadcasting has again notified NFDC as an agency to release Media Campaigns on behalf of the Central Government, thus enabling NFDC to once again run operation as per Revival Plan approved by the Government of India. The Company expects to generate profits during the financial year 2015-16 and accordingly, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

लेखांकन मानक 17 के अनुसार आवश्यक खण्ड सूचनाएं निम्नांकित हैं

The segment information required as per accounting standard 17 is given below

विवरण	Particulars	2014-15						2013-14					
		फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	अन्य	कुल	फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	अन्य	कुल
		Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	Other	Total	Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	Other	Total
खण्ड आय	Segment Revenue												
विदेशी बिक्री	External Sales	20,45,74,285	3,29,11,798	3,87,80,352	-	6,99,89,911	34,62,56,347	40,38,81,828	5,02,06,926	7,11,99,755	64,10,55,920	10,31,95,084	1,26,95,39,513
अंतर खण्ड बिक्री	Inter segment Sales						-						-
कुल आय	Total Revenue	20,45,74,285	3,29,11,798	3,87,80,352	-	6,99,89,911	34,62,56,347	40,38,81,828	5,02,06,926	7,11,99,755	64,10,55,920	10,31,95,084	1,26,95,39,513
खण्ड व्यय	Segment Expenses	17,77,88,679	1,61,93,067	6,26,13,741	-	-	25,65,95,487	34,56,56,060	5,25,38,870	9,30,46,647	64,01,95,187	-	1,13,14,36,764
परिचायित लाभ (हानि)	Operation Profit/(Loss)	2,67,85,606	1,67,18,731	(2,38,33,389)	-	6,99,89,911	8,96,60,860	5,82,25,768	(23,31,944)	(2,18,46,892)	8,60,733	10,31,95,084	13,81,02,749
व्याज व्यय	Interest Expenses	-	-	21,27,521	-	27,70,689	48,98,210	-	-	-	-	8,58,150	8,58,150
मूल्य - ह्रास	Depreciation	7,602	-	-	-	1,82,20,797	1,82,28,399	7,249	-	-	-	84,80,952	84,88,201
अनआवंटित व्यय	Unallocated Expenses	-	-	-	-	14,99,33,600	14,99,33,600	-	-	-	-	14,97,52,388	14,97,52,388
आयकर	Income Taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
साधारण गतिविधियाँ द्वारा लाभ/ (हानि)	Profit/(Loss) from ordinary activities	2,67,78,004	1,67,18,731	(2,59,60,910)	-	(10,09,35,175)	(8,33,99,349)	5,82,18,519	(23,31,944)	(2,18,46,892)	8,60,733	(5,58,96,406)	(2,09,95,990)
असाधारण मदें	Exceptional Item	-	-	-	-	22,39,011	22,39,011	-	-	-	-	1,10,68,433	1,10,68,433
पूर्व वर्षों में आय कर	Income Taxes Earlier Years					62,98,850	62,98,850	-	-	-	-	-	-
शुद्ध लाभ/ (हानि)	Net Profit/(Loss)	2,67,78,004	1,67,18,731	(2,59,60,910)	-	(10,94,73,036)	(9,19,37,210)	5,82,18,519	(23,31,944)	(2,18,46,892)	8,60,733	(6,69,64,839)	(3,20,64,423)
अन्य जानकारी	Other information						-						-
खण्डीय परिसम्पत्तियां	Segment Assets	24,59,99,871	6,09,77,683	6,56,61,523	4,21,36,288	72,45,46,441	1,13,93,21,805	23,19,62,684	6,65,66,930	4,96,68,005	8,96,77,340	1,18,23,68,451	1,62,02,43,411
अनआवंटित निगमित परिसम्पत्तियां	Unallocated Corporate Assets						-						-
कुल परिसम्पत्तियां	Total Assets	24,59,99,871	6,09,77,683	6,56,61,523	4,21,36,288	72,45,46,441	1,13,93,21,805	23,19,62,684	6,65,66,930	4,96,68,005	8,96,77,340	1,18,23,68,451	1,62,02,43,411
खण्डीय देयताएं	Segment Liabilities	14,08,67,514	44,92,08,324	3,61,66,472	17,33,22,642	23,64,78,859	1,03,60,43,811	83,78,57,146	3,90,30,062	1,61,67,737	36,75,95,490	16,38,75,263	1,42,45,25,698
अन आवंटित निगमित देयताएं	Unallocated Corporate Liabilities						-						-
कुल देयताएं	Total Liabilities	14,08,67,514	44,92,08,324	3,61,66,472	17,33,22,642	23,64,78,859	1,03,60,43,811	83,78,57,146	3,90,30,062	1,61,67,737	36,75,95,490	16,38,75,263	1,42,45,25,698
पूंजीगत व्यय	Capital Expenditure	-	-	1,74,322	-	55,845	2,30,167	-	-	1,57,64,130	-	55,845	1,58,19,975
अन्य	Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल पूंजीगत व्यय	Total Capital Expenditure	-	-	1,74,322	-	55,845	2,30,167	-	-	1,57,64,130	-	55,845	1,58,19,975
मूल्य - ह्रास	Depreciation	7,602	-	-	-	1,82,20,797	1,82,28,399	7,249	-	-	-	84,80,952	84,88,201
अन्य	Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल मूल्य-ह्रास	Total Depreciation	7,602	-	-	-	1,82,20,797	1,82,28,399	7,249	-	-	-	84,80,952	84,88,201
मूल्य-ह्रास के अलावा अन्य गैर रोकड व्यय	Non cash expense other than depreciation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी 49. पिछले वर्ष की राशियों का इस वर्ष की प्रस्तुतियों के साथ करने के लिये जहां लागू हो, वहां पुनः वर्गीकरण कर दिया गया है.

Note 49. Previous year figures have been re-classified to confirm with current year presentation, wherever applicable.

वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर

Signature to Notes
Financial Statements

निदेशक मंडल की ओर से

For and on behalf of Board of Directors

कृते सी.बी. छाजेड़ एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101796 डब्ल्यू

For C. B. Chhajed & Co.
Chartered Accountants
FRN 101796W

सी.पी.भाटिया
साझेदार
सदस्य क्र. 045210

C. P. Bhatia
Partner
M.No. 045210

नीना लाठ गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं
00350722

Nina Lath Gupta
Managing Director
DIN No. 00350722

के. संजय मूर्ति
निदेशक
डीआईएन नं
03532374

K. Sanjay Murthy
Director
DIN No. 03532374

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10 जुलाई 2015

Place : Mumbai
Dated : 10 July 2015

सी.पी.गुप्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
स.क्र. एसीएमए 16416

C. P. Gupta
Chief Financial Officer
M.No. ACMA16416

इ.जे. पॉल
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 4521

E. J. Paul
Company Secretary
M.No. FCS 4521

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
के सदस्यों के लिये

वित्तीय वक्तव्यों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (द कंपनी) के संलग्न वित्तीय वक्तव्यों का लेखा परीक्षण किया है जिनमें के 31 मार्च 2015 को तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखे तथा रोकड़ प्रवाह विवरण, साथ ही महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश भी शामिल है।

वित्तीय वक्तव्यों पर प्रबंधन का दायित्व

इन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है जिनमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह का समुचित परिदृश्य उन लेखा मानकों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हो जिनका उल्लेख कंपनी एक्ट 2013 (द एक्ट) के सेक्शन 134 (5) के अंतर्गत किया गया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धियों तथा रोकड़ प्रवाह का भारत में आमतौर पर मान्य लेखा परीक्षण सिद्धांतों के अनुरूप, जिनमें कंपनीज (लेखाओं) नियम 2014 के एक्ट के धारा 133 नियम-7 शामिल हैं, सही सही पक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में एक्ट के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड्स रखना भी शामिल है जिससे कंपनी की परिसंपत्तियाँ सुरक्षित रह सकें तथा किसी तरह की धोखेबाजी अथवा अनियमितताओं से भी बचा जा सके; समुचित लेखा परीक्षण नीतियाँ लागू की जा सकें; तर्कसंगत निर्णय तथा अनुमान लगा सकना संभव हो सके; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लगाए जा सकें जो कि लेखा रिकॉर्ड्स रख सकने के लिए प्रभावशाली सिद्ध हों और वित्तीय विवरणों की सच्ची तथा निष्पक्ष तस्वीर सामने रख सकें।

लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व इन विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय जाहिर करना है।

हमने एक्ट के प्रावधानों, लेखा परीक्षणों के मानदंडों तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है जो एक्ट के प्रावधानों तथा उसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार लेखा परीक्षण की रिपोर्ट नै शामिल किये जाने चाहिए।

हमने यह लेखा परीक्षण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुरूप, एक्ट के उपनियम 143 (10) के अंतर्गत किया है। इन मानदंडों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षण की योजना इस प्रकार बना कर काम करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का गलत आर्थिक विवरण नहीं दिया गया है।

लेखा परीक्षण में विवरणों में दी गई राशियों का लेखा साक्ष्य प्राप्त करने लिये निष्पादन प्रक्रिया का समावेश है। जांच प्रक्रिया के लिये अपनाई गई पद्धति लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर होती है जिसमें मूल्य निर्धारण संबंधी उन उन खतरों का समावेश होता है जो वित्तीय विवरणों की गलत बयानियों की वजह से होते हैं फिर चाहे ये गलतियाँ जान बूझ कर की गई हों अथवा गलती से हो गई हों। मूल्य निर्धारण के ये खतरे उठाने में लेखा परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखता है जो कंपनी की तरफ से प्रस्तुत न्यायोचित विवरणों एवं संतोषप्रद प्रस्तुतिकरण पर आधारित हों। इन्हीं के अनुसार वह लेखा परीक्षण की ऐसी पद्धति निर्धारित करता है जो परिस्थितियों के अनुकूल हो। लेखा परीक्षण में व्यवहार में लाई गई लेखा नीतियों का आकलन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये लेखा संबंधी आकलन एवं आर्थिक विवरणों के सकल प्रस्तुतिकरण का अनुमान भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा प्रमाण उपलब्ध कराये गये वे पर्याप्त हैं तथा हमारी योग्य लेखा राय के लिये पर्याप्त तथा उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

- (क) विभिन्न देनदारों, ऋणों तथा अग्रिमों जमाओं तथा चालू देयताओं, जिनमें कुछ आयकर, सेवाकर तथा वीएटी से संबंधित हैं, और जिनमें पिछले कुछ वर्षों के बकाया भी शामिल हैं, उनका सत्यापन और अगर हो तो परिणामस्वरूप समझौते के अनुसार समंजन किया जाना है। यदि इसका कोई वित्तीय प्रभाव हो तो वह अनिश्चित है (देखिये टिप्पणी 28)

Independent Auditors Report

To the Members of
National Film Development Corporation Limited

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of National Film Development Corporation Limited (the "Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Basis for Qualified Opinion

- (a) The balances in Sundry debtors, Loans and advances, Deposits and Current liabilities including few balances in respect of Income Tax, Service tax and Vat including outstanding balances for last few years are subject to confirmation and consequential adjustment, if any, on reconciliation. The financial impact if any is unascertained. (refer note no. 28)

(ख) सन 1991 में कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रख देने से प्राप्त जो ₹ 30 लाख तीन पार्टियों के पास रख दिया गया था, उसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया. पार्टियों ने यह जमा राशि लौटाई नहीं और तत्संबंधी प्रतिभूतियों को लिक्विडेट भी नहीं किया गया. इस जमा राशि की वापसी के लिये कॉर्पोरेशन ने इन पार्टियों के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की और दो पार्टियों के साथ इस मध्यस्थता कार्यवाही का फैसला उन्हें जमाराशि में से ₹ 18 लाख वापस करने के निर्देश के रूप में कॉर्पोरेशन के पक्ष में हुआ. बाकी बची ₹ 12 लाख की राशि के बारे में मध्यस्थता कार्यवाही अभी चल रही है. (देखें संदर्भ टिप्पणी 38)

(ग) फिल्म गांधी के संबंध में लाभ तथा वितरण शुल्क का लेखा वास्तविकता के आधार पर कर दिया गया है सिवाय इसके कि इनका लेखा वित्त वर्ष के आधार पर न करके कैलेंडर वर्ष के आधार पर किया गया है. लाभ तथा वितरण शुल्क का लेखा अनुबंध के आधार पर नियुक्त एजेंटों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर किया गया है जिन्हें कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किया गया है. कॉर्पोरेशन ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि प्राप्ति योग्य शुल्क को वित्त वर्ष के आधार पर न लेकर कैलेंडर वर्ष के आधार पर पूरे वर्ष के लिये मान लिया जाय. (संदर्भ टिप्पणी 39)

(घ) टी. वी. मार्केटिंग के देनदारों से वसूली, जिसके विरुद्ध कॉर्पोरेशन ने न्यायालयों में मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, सुनिश्चित नहीं हैं. कानूनी मामलों के नतीजों का वित्तीय विवरण पर प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता. (संदर्भ टिप्पणी 40)

योग्य राय

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार आर्थिक वक्तव्य में वह सारी सूचना, सिवाय उसके जो सशर्त राय के पैराग्राफ में संभावित प्रभावों के बारे में वर्णित है, प्रदान की गई है जिसे नियमों के अंतर्गत इस प्रकार दिया जाना चाहिये जिससे भारत में आमतौर पर मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और संतोषजनक आर्थिक दृश्य, 31 मार्च 2015 को कंपनी की स्थिति और इसी तारीख को इसका घाटा एवं रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत हो सके.

मामलों का निर्धारण

हम वित्तीय विवरणों के निम्न मामलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं :

(क) वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 27, जिसमें विभिन्न पार्टियों की ओर से कंपनी पर दायर किये गये मुकदमों की अनिश्चितता वर्णित है.

(ख) वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 47 जिसमें बताया गया है कि कंपनी के घाटे जमा होकर बढ़ते रहे हैं और कंपनी की कुल मिल्कियत का क्षरण होता जा रहा है. कंपनी को चालू वर्ष और पिछले वर्ष में पर्याप्त रोकड़ हानि हुई है. यह स्थिति तथा ऐसी अन्य मामलों, जिनका उल्लेख टिप्पणी 47 में किया गया है, 31 मार्च 2015 को अनिश्चय की स्थिति दिखलाती हैं जिनसे यह संशय उत्पन्न होता है कि कंपनी गॉइंग कन्सर्न के तौर पर गतिविधियां जारी भी रख सकेगी! लेकिन जैसा कि टिप्पणी 47 में कहा गया है, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपने आर्डर दिनांक 30 अप्रैल 2015 के जरिये कंपनी को भारत सरकार अनुमोदित रियाइवल प्लान के अंतर्गत मीडिया बिजनेस पुनः प्रदान कर दिया है, इसलिए वित्तीय विवरण टिप्पणी में दिये गये कारणों से गॉइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किये गये हैं.

अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम धारा 143 उपधारा (11) के संबंध में केंद्रीय भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी के (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2015 (द ऑर्डर) द्वारा अपेक्षित, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4 में उल्लिखित विषयों पर एक अनुलग्नक संलग्न कर रहे हैं.

2. जैसा कि नियम की धारा 143 (3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने वांछित तथा योग्य राय वाले पैरा में वर्णित मामलों को छोड़कर वे सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिये आवश्यक थे.

(ख) हमारी राय में, योग्य राय में उपरोक्त पैरा में वर्णित मामलों के सम्भावित प्रभावों को छोड़कर कंपनी द्वारा रखे गये वे सब खाते तथा बहियां, जो कानून के अनुसार आवश्यक हैं, उचित ढंग से तैयार करके रखे गये हैं. उन बही खातों की जांच से हमें यही लगता है.

(b) No provision has been made in respect of deposits of ₹ 30 Lacs placed with 3 parties in 1991 which are secured against mortgage of certain immovable properties. The parties have not refunded the deposits and relevant securities are also not liquidated. The Company had initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of deposits and Arbitration Awards have been made in favour of the Company in March 2007 for two parties for recovery of deposit amounting to ₹ 18 Lacs, however still the amount is not recovered due to pending procedures with High Court. For the balance amount of ₹ 12 Lacs arbitration proceedings are still continuing. (refer note 38)

(c) In case of film Gandhi the accounting of profits and distribution fee has been done on accrual basis except that these are accounted on calendar year basis instead of financial year basis. The profit and distribution fees are accounted based on the statement of account received from the agents appointed under the agreement which are prepared on calendar year basis. The Company has ensured that the fees receivable are considered for the entire year on calendar year basis instead of financial year basis. (refer note 39)

(d) The recoverability of TV marketing debtors against which the Company has filed cases in the court of law is not certain. The impact of the outcome arising out of the legal cases on the financial statement is unascertainable. (refer note 40)

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2015, and its loss and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters in the Notes to the financial statements :

(a) Note 27 to the financial statements which, describes the uncertainty related to the outcome of the lawsuit filed against the Company by various parties.

(b) Note 47 to the financial statements which indicates that the Company has accumulated losses and its net worth has been substantially eroded, the Company has incurred net cash losses during the current year as well as previous year. These conditions, along with other matters set forth in the Note 47, indicate the existence of a material uncertainty as at March 31, 2015 that may cast significant doubt about the Company's ability to continue as a going concern. However, as disclosed in Note 47, the Ministry of Information and Broadcasting vide its order dated April 30, 2015, has restored the Media Business to the Company in accordance with the revival plan approved by the Government of India and hence the financial statements have been prepared on a going concern basis for the reasons stated in the said Note.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by section 143(3) of the Act, we report that :

(a) we have sought and, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(b) except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

- (ग) योग्य राय वाले पैरा में वर्णित इस मामले के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर इस रिपोर्ट के साथ जिस तुलनपत्र तथा लाभ हानि के विवरण तथा रोकड प्रवाह से वास्ता रहा, उसका बही खातों से सामंजस्य था.
- (घ) योग्य राय वाले पैरा में वर्णित इस मामले के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर हमारी राय के अनुसार इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा लाभ हानि खाते तथा रोकड प्रवाह मानक लेखाओं के अनुरूप हैं जिनका जिक्र कंपनी एक्ट 1956 में है जिसे कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के सामान्य पत्र 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ कंपनीज एक्ट 2013 के धारा 133 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए.
- (ङ) हमारी राय में योग्य राय वाले पैराग्राफ में वर्णित मामले तथा गोइंग कन्सर्न मामले, जिनका उल्लेख उक्त मामलों का निर्धारण पैराग्राफ में है, कंपनी के कार्यकलापों पर विपरीत असर डाल सकते हैं.
- (च) कंपनी के निदेशकों की ओर से 31 मार्च 2015 तक एक्ट की धारा 164 (2) के अंतर्गत कोई ऐसा लिखित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि प्रबंधन की राय है कि कंपनी के निदेशक सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और कंपनी का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है. इसी बात की पुष्टि नोटिफिकेशन संख्या जी एस आर 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर 2003 द्वारा भी होती है जिसके अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधानों से मुक्त रखा गया था और इसी प्रकार की छूट नोटिफिकेशन जी.एस.आर. नं. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के तहत भी दी गई है. फिर भी, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की ओर से 1 अप्रैल 2014 से 5 जून 2015 की अवधि में किसी स्पष्टीकरण के अभाव में हम यह कह सकने में असमर्थ हैं कि 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी को छूट हासिल थी या नहीं और इसी कारण हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.
- (छ) लेखाओं के रखरखाव से संबंधित योग्यताओं और अन्य संबंधित मामले वैसे ही हैं जैसे ऊपर दिए गये बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनिअन पैराग्राफ में दिये गये हैं.
- (ज) हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनीज (ऑडिट एण्ड ऑडीटर्स) रूल्स 2014 नियम 11के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले अन्य मामले:
- कंपनी ने विवादों के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का खुलासा कर दिया है. देखिये: वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी संख्या 27.
 - कंपनी ने दीर्घकालीन अवधि के ऐसे कोई अनुबंध नहीं किये हैं जिनके कारण भविष्य में कोई नुकसान होने की संभावना दिखाई देती हो.
 - ऐसी कोई राशियां नहीं हैं जिन्हें कंपनी की ओर से इन्वेस्टर्स एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना हो.

- (c) except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
- (d) except for the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards notified under the Companies Act, 1956 read with the General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of Ministry of Corporate Affairs in respect of section 133 of the Companies Act, 2013;
- (e) the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph and the going concern matter described under the Emphasis of Matters paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
- (f) the Company has not obtained any written representation from the directors as on March 31, 2015 for disqualification under section 164 (2) of the Act, since in opinion of the Management, the Directors of the Company are appointed by Ministry of Information and Broadcasting and the Company has no control over the same. The same is substantiated with notification no. GSR 829(E) dated October 21, 2003 by virtue of which the Government Companies were exempted from the Provisions of corresponding Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 and similar exemption is provided vide notification no. 463(E) dated June 5, 2015. However, in absence of any clarification for period April 1, 2014 to June 5, 2015 from Ministry of Corporate Affairs, we are unable to comment whether the exemption is available to the Company for the Financial Year ended March 31, 2015 and accordingly unable to comment on this clause.
- (g) The qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above.
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 27 to the financial statements;
 - the Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses
 - There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

कृते सी. बी. छाजेड़ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
रजिस्ट्रेशन नं. 101796 डब्ल्यू

For C. B. Chhajer & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn No. : 101796W

स्थान: मुंबई
दिनांक : 10 जुलाई 2015

सी. पी. भाटिया
साझेदार
मैबरशिप नं-045210

Place : Mumbai
Dated : 10 July 2015

C. P. Bhatia
Partner
Membership No : 045210

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

[हमारी इसी तारीख की "रिपोर्ट अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताएं" के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में.]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के सदस्यों के लिये (द कंपनी)

- (क) कॉर्पोरेशन ने सभी अभिलेखों की साज सम्हाल सही तरीके से की है जिनमें सभी विवरण, व अचल संपत्तियों की स्थिति भी शामिल है, परिमाणात्मक विस्तार के साथ दिये गये हैं.
- (ख) वर्ष के दौरान कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है और बुक रिकार्ड्स तथा प्रत्यक्ष सामान सूची के बीच किसी तरह की कोई विषमता नहीं पाई गई. हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उपयुक्त है. प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान न पाई गई अचल परिसम्पत्तियों को 31 मार्च 2015 को बटुटे खाते में डाल दी गई जो कि हमारी राय में इससे कोई फर्क नहीं है.
- (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया. हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उपयुक्त है.
- (ख) हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार व्यवस्थापन द्वारा संपत्ति सूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया कंपनी के आकार तथा उसके कार्यकलापों के संदर्भ में तर्कसंगत तथा पर्याप्त है.
- (ग) हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने संपत्ति सूचियों संबंधी सभी अभिलेखों की साज सम्हाल उचित रूप से की है. साज सामानों के प्रत्यक्ष सत्यापन तथा दर्ज अभिलेखों के बीच की विसंगतियां विशेष महत्व की नहीं थीं और लेखा बहियों में उनका निर्वाह उचित रूप से किया गया है.
- (क) हमें दी गई सूचना तथा खुलासों से यह स्पष्ट हुआ कि कंपनी ने दूसरी किन्हीं कंपनियों, फर्मों या दूसरी पार्टियों को जिन्हें एक्ट की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में शामिल किया गया है, कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिये हैं. तदनुसार, ऑर्डर के पैराग्राफ 3 की उपधारा (iii)(क) और (iii)(ख) इस वर्ष के लिये कंपनी पर लागू नहीं होतीं.
- हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में अचल संपत्तियों की खरीद, संपत्ति सूचियों, साज सामान की बिक्री तथा सेवाओं के लिये कंपनी के आकार और प्रकृति एवं कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है. इसके अलावा, कंपनी के खातों और रिकार्ड्स के परीक्षण एवं हमें दी गई सूचना के मुताबिक हमारे लेखा परीक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का कोई दोष नजर नहीं आया.
- हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने वर्ष के दौरान जनता से कोई अमानतें स्वीकार नहीं की हैं. तदनुसार, ऑर्डर के पैराग्राफ 3 की उपधारा (v) कंपनी पर लागू नहीं होती.
- कम्पनी के किसी भी उत्पाद के लिए केंद्रीय सरकार ने एक्ट की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत अभिलेखों की देखरेख का निर्धारण नहीं किया है. तदनुसार, ऑर्डर के पैराग्राफ 3 का परिच्छेद (vi) वर्ष के लिये कंपनी पर लागू नहीं होता.
- (क) हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकार्ड्स के मुताबिक कंपनी सभी अविवादित देनदारियां अदा करती रही है जिनमें भविष्य निधि, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, राजस्व शुल्क तथा इस पर लागू होने वाली अन्य वस्तुपरक संवैधानिक देयताएं शामिल हैं. इन्हें वर्ष के दौरान उपयुक्त अधिकारी के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा कराया गया है.

हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार अविवादित राशि भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सैस, तथा अन्य वस्तुपरक संवैधानिक देयताएं 31 मार्च 2015 को छः महिनों से अधिक अवधि से बकाया है जिस तारीख से वे देय है.

आयकर की जिन देनदारियों का प्रावधान खातों में है लेकिन जमा नहीं की गयी है उनका विवरण इस प्रकार है :

Annexure To The Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 of "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date]

To the Members of National Film Development Corporation Limited (the "Company")

- (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets on the basis of available information.
- (b) The fixed assets of the Company have been physically verified by the management during the year and no material discrepancies between the book records and the physical inventory have been noticed. In our opinion, the frequency of verification is reasonable. Fixed Assets not found during the physical verification were written off on March 31, 2015, which in our opinion, was not material.
- (a) The inventory has been physically verified by the management during the year. In our opinion, the frequency of verification is reasonable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the procedures of physical verification of inventory followed by the management are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.
- (c) On the basis of our examination of the inventory records, in our opinion, the Company has maintained proper records of inventory. The discrepancies noticed on physical verification of inventory as compared to book records were not material.
- (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Act. Accordingly, clauses (iii)(a) and (iii)(b) of paragraph 3 of the Order are not applicable to the Company for the year.
- In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchase of inventory, fixed assets and for the sale of goods and services. Further, on the basis of our examination of the books and records of the Company, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across nor have been informed of any continuing failure to correct major weaknesses in the aforesaid internal control system.
- According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public. Accordingly clause (v) of paragraph 3 of the order is not applicable to the company.
- The Central Government of India has not prescribed the maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act for any of the products of the Company. Accordingly, clause (vi) of paragraph 3 of the Order are not applicable to the Company for the year.
- (a) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, investor education and protection fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, wealth tax, service tax, customs duty, excise duty, cess and other material statutory dues as applicable with the appropriate authorities.

According to information and explanation given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, sales-tax, wealth tax, service tax, customs duty, excise duty, value added tax, cess and other material statutory dues were in arrears as at 31 March 2015 for a period of more than six months from the date they became payable.

The income-tax dues which have been provided in the books but not paid are as under :

अधिनियम	देनदारियों की श्रेणी	राशि (रुपयों में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहां विवाद विचाराधीन है
आयकर एक्ट, 1961	आयकर	2,100,000	निर्धारण वर्ष 2006-07	कमिशनर (अपील) सी आई टी (क) - III
आयकर एक्ट, 1961	आयकर	1,930,850	निर्धारण वर्ष 2011-12	कमिशनर (अपील) सी आई टी (क) - III
आयकर एक्ट, 1961	आयकर	13,758,000	निर्धारण वर्ष 2012-13	कमिशनर (अपील) सी आई टी (क) - III

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (₹)	Period to which the amount relates	Forum where the dispute is pending
Income Tax Act, 1961	Income Tax	21,00,000	A.Y. 2006-07	Commissioner (Appeal) CIT (A) - III
Income Tax Act, 1961	Income Tax	19,30,850	A.Y. 2011-12	Commissioner (Appeal) CIT (A) - III
Income Tax Act, 1961	Income Tax	1,37,58,000	A.Y. 2012-13	Commissioner (Appeal) CIT (A) - III

(ख) हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक बिक्री कर, संपत्ति कर, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, चुगौ और सैस की ऐसी कोई देनदारी नहीं है जो किसी विवाद के कारण अदा न की गई हो।

सक्षम अधिकरण के सम्मुख लंबित विवादित मामलों के कारण आयकर की जो देनदारियां जमा नहीं की गयी हैं उनका विवरण इस प्रकार है :

अधिनियम	देनदारियों का स्वरूप	राशि (रुपयों में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहां विवाद विचाराधीन है
आयकर एक्ट, 1961	आयकर	7,854,320	निर्धारण वर्ष 2006-07	कमिशनर (अपील) सी आई टी (क) - III
आयकर एक्ट, 1961	आयकर	4,672,810	निर्धारण वर्ष 2012-13	कमिशनर (अपील) सी आई टी (क) - III

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (₹)	Period to which the amount relates	Forum where the dispute is pending
Income Tax Act, 1961	Income Tax	78,54,320	A.Y. 2006-07	Commissioner (Appeal) CIT (A) - III
Income Tax Act, 1961	Income Tax	46,72,810	A.Y. 2012-13	Commissioner (Appeal) CIT (A) - III

(ग) हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन्वेस्टर्स एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की जानी है। इसी के अनुसार एक्ट के पैरा 3 का परिच्छेद (3) (ग) कंपनी पर लागू नहीं होता।

8. वित्तीय वर्ष के अंत में निगम को हुए कुल संचित नुकसान की राशि वर्ष के अंत में कुल शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक है। वित्त वर्ष के दौरान तथा ठीक पिछले वित्त वर्ष में भी कंपनी को नगद नुकसान हुआ है।

9. हमने कंपनी के जिन रिकॉर्ड्स की जांच की और हमें जो सूचनाएं तथा जानकारीयां दी गई उनके अनुसार कंपनी ने किन्हीं वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों की किस्त भरने में कोई चूक नहीं की।

फिर भी, आवधिक ऋण के मामले में बैंक ने दिसंबर 2014 से फरवरी 2015 तक का ब्याज, ₹ 8.73, 921/- वसूल नहीं किया जो 31 मार्च 2015 तक देय हो चुका था।

10. हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने इस वर्ष के दौरान दूसरे लोगों द्वारा वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों से लिये गये ऋणों की कोई गारंटी नहीं ली है।

11. हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम द्वारा लिये गये गये टर्म लोन्स का कुल मिला कर उपयोग उन्हीं मर्दों के लिये किया गया जिनके लिये ये ऋण लिये गये थे।

12. कंपनी के खातों तथा रिकॉर्ड्स की जांच के दौरान, जो भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षणों की प्रथाओं के अनुरूप की गई, तथा हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के दौरान निगम द्वारा की गई अथवा निगम के साथ की गई कोई धोखाधड़ी न तो सामने आई और न ही रिपोर्ट की गई।

(b) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there are no dues of sales tax, wealth tax, service tax, customs duty, excise duty and cess which have not been deposited on account of any dispute.

The income-tax dues which are not deposited on account of disputed matters pending before the appropriate authorities are as under :

(c) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there is no amount required to be transferred to investor education and protection fund. Accordingly clause (vii) (c) of paragraph 3 of the order is not applicable to the Company.

8. The Company's accumulated losses at the end of the financial year are more than fifty percent of its net worth and it has incurred cash losses in the current year as well as in the immediately preceding financial year.

9. According to the records of the Company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution or bank or debenture holders.

However, in case of Term Loan, the Bank has not recovered Interest for the period December 2014 to February 2015 amounting to ₹ 8,73,921/- which have become due till March 31, 2015.

10. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year.

11. In our opinion, and according to the information and explanations given to us, on an overall basis, the term loans have been applied for the purposes for which they were obtained.

12. During the course of our examination of the books and records of the Company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of fraud on or by the Company, noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.

कृते सी. बी. छाजेड़ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 101796 डब्ल्यू

For C. B. Chhajed & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn No. 101796W

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 जुलाई 2015

सी. पी. भाटिया
साझेदार
मैबरशिप नं. 045210

Place : Mumbai
Dated : 10 July 2015

C. P. Bhatia
Partner
Membership No. 045210

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, की टिप्पणियां

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा अधिकारी द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक/परीक्षकों नियुक्त किया/किये हैं जो अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह दिनांक **10 जुलाई 2015** की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा किये गये काम को बताया गया है।

मैं नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2015 के समाप्त वर्ष के लेखाओं और अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत पूरक लेखा परीक्षा संचालित की हैं। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक परीक्षकों के कामकाज पत्रजात की पड़ताल किये बिना ही स्वतंत्र रूप से पूरी की गई और यह मूलतः वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिक से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों के चयनित परीक्षण तक सीमित रही। मेरे द्वारा किये गये लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा **महत्वपूर्ण नहीं** आया जिस पर टिप्पणी की जा सके अथवा वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक हो।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक,
भारत सरकार की ओर से

(डॉ. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षक
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षक मंडल - IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.10.2015

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(B) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Film Development Corporation Ltd. for the year ended 31st March 2015

The preparation of financial statements of National Film Development Corporation for the year ended 31st March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor / auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **10.07.2015**.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of National Film Development Corporation for the year ended 31st March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit **nothing significant** has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Dr. Ashutosh Sharma)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

Place: New Delhi
Date: 08.10.2015



by NFDC



डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, छठी मंजिल, नेहरू सेंटर, डॉ अंणी बेसंट रोड, वरली, मुम्बई 400 018
Discovery of India Building, Nehru Centre, 6th Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018

T 91 22 6628 8288 | F 91 22 2495 2262

E nfdc@nfdcindia.com | www.nfdcindia.com

CIN U92100MH1975GOI022994